पंचम माला, खंड 9, अंक 14 | गुरुवार, 2 दिसम्बर, 1971/11 अग्रहायण, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. IX, No. 14 | Thursday, December 2, 1971/Agrahayana 11, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

तीसरा सत्र

Third Session

खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं

Vol. IX contains Nos. 11 to 20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14, गुरुवार, 2 दिसम्बर, 1971/11 अग्रहायण, 1893 (शक)

No. 14, Thursday, December 2, 1971/Agrahayana 11, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
391. बेरोजगारी में वृद्धि	Increase in unemployment ..	1—5
413. मैसूर में बेरोजगारी के बारे में सर्वेक्षण	Unemployment survey in Mysore ..	5—9
395. राउरकेला इस्पात कारखाने में ऊष्म-सह (रीफ्रेक्ट्रीज) की खपत	Consumption of Refractories in Rourkela Steel Plant ..	10—11
396. उद्योगों द्वारा श्रमिकों को उत्पादन लाभों में हिस्सा दिया जाना	Sharing of Productivity Gains with Labour by industries ..	11—13
397. सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना के कार्य की धीमी प्रगति	Slow progress in setting up of Salem Steel Plant ..	13—15
398. मजदूर संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय बैठक	Tripartite Meeting of Recognition of Trade Union ..	15—17
399. भारी इंजीनियरिंग निगम (एच० ई० सी०) रांची में 'मस्टर रोल' के मजदूर	Muster Roll Labourers in Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	17—19
400. मजदूर संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में भारतीय श्रम सम्मेलन में इंटक द्वारा प्रस्तुत योजना	INTUC Plan for Recognition of Trade Unions submitted at I. L. C. ..	19—20
401. विदेशों के साथ शान्ति सन्धियां	Peace Treaties with Foreign Countries ..	20—21
402. खनन उद्योगों के श्रमिकों के लिये साझी कल्याण निधि की स्थापना	Setting up of Common Welfare Fund for Workers of Mining Industries ..	21—22

*किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्ताव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
403. कलकत्ता स्थिति मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्कस लिमिटेड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की अंशदान की राशियों का जमा न कराया जाना	Non-Deposit of E. P. F. and E. S. I. Contribution by M/s Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta	..	22—23

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
392. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारी द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Durgapur Steel Plant	..	23—24
393. खानों से कोयला निकालने में चैकोस्लोवेकिया का सहयोग	Collaboration of Czechoslovakia in Coal Mining	..	24
394. पश्चिम बंगाल में बन्द हो चुकी औद्योगिक फर्मों और कारखानों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान का जमा न कराया जाना	E. S. I. and E. P. F. Dues of Workers withheld by closed industrial firms and factories in West Bengal	..	24—25
404. पाकिस्तान के उच्च आयोग में एक पाकिस्तानी डाक्टर का आना	Joining of a Pakistani Doctor in Pakistan High Commission	..	25
405 राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों के प्रबंध में कर्मचारियों को प्रभावपूर्ण ढंग से भागीदार बनाना	Effective Participation of Workers in Management of Nationalised General Insurance Companies	..	25—26
406. खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए एक नये उपक्रम की स्थापना करना	Constitution of a new Undertaking for Minerals Exploration	..	26
407. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन	Production in Durgapur Steel Plant	..	26—27
408. राजस्थान में चिकनी मिट्टी के भण्डार	Deposits of Clay in Rajasthan	..	27—28
409. संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों संबंधी उच्च आयुक्त द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए अपील	Appeal by U. N. High Commissioner for Refugees for Aid for Refugees from Bangla Desh	..	28

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**			
410. ब्रिटेन में भारतीय छात्र को अध्ययन के लिये अनुमति का न दिया जाना	Indian Student not allowed to study in U. K.	..	28—29
411. नैनी स्थित त्रिवेणी स्ट्रक्चुरल्स लिमिटेड में उत्पादन	Production in Triveni Structurals Ltd. Naini	..	29
412. श्रमिक प्रशासन में एक रूपता	Uniformity in Labour Administration	..	29
414. नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Setting up of new Steel Plants	..	30
415. बीड़ी और सिगार मजदूर (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 का लागू किया जाना	Enforcement of Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	..	30
416. पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में मजूरी सम्बन्धी विवाद	Wages Dispute in Jute Mills in West Bengal	..	30—31
417. मजदूर संघों का प्रतिनिधि स्वरूप	Representative character of Trade Unions	..	31
418. केरल में कपड़ा मिलों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Employees' Provident Fund Dues from Cloth Mills in Kerala	..	31—32
419. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मुख्यालय को हैदराबाद ले जाने पर किया गया व्यय	Expenditure Incurred on the Shifting of Head Office of National Mineral Development Corporation to Hyderabad	..	32
420. विद्रोही नागाओं द्वारा सरकार बनाया जाना	Formation of Government by Rebel Nagas	..	32
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**			
2530. मध्यस्थों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guiding Principles for Arbitrators	..	32—33
2531. मैसर्ज कृष्णा सिलीकेट एंड ग्लास वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता द्वारा दो कारखानों का बन्द किया जाना	Closure of two Factories by M/s Krishna Silicate and Glass works Ltd. Calcutta	..	33
2532. औद्योगिक विवाद और श्रम न्यायालय	Industrial Disputes and Labour Courts	..	33
2533. स्वैच्छिक मध्यस्थ निर्णय को बढ़ावा देने के लिये त्रैमासिक प्रकाशन	Quarterly Publication to promote Voluntary Arbitration	..	34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

2534. राष्ट्रीय मध्यस्थता संवर्धन बोर्ड	National Arbitration Promotion Board ..	34
2535. स्वैच्छिक मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तिका	Brochure on Voluntary Arbitration ..	34—35
2536. एल्यूमिनियम एक्सट्रू-जंस का उत्पादन	Production of Aluminium Extrusions ..	35
2537. कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान की दर बढ़ाया जाना	Raising of Rate of Contribution to Employees Provident Fund ..	35
2538. कोयला खान श्रमिकों का पारिवारिक पेंशन योजना के लिए विकल्प	Coal Mines Workers' Option to Family Pension Scheme ..	35—36
2539. कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान	Higher Contribution to Employees Provident Fund ..	36
2540. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और पेंशन अधिनियम में संशोधन करने हेतु ट्रस्टी बोर्ड की सिफारिशें	Recommendation made by Board of Trustees to amend E. P. F. Act and Pension Act ..	36
2541. अरब लीग भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को मैत्रीपूर्ण ढंग से दूर करने के पक्ष में	Arab League for amicable settlement of Indo-Pak Differences ..	37
2542. श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में विभिन्न वेतन-क्रमों वाले कर्मचारी	Employees in various Pay Ranges in Ministry of Labour and Rehabilitation ..	37
2543. स्नातकोत्तर अध्यापकों और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के पदों के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार	S. C. and S. T. Candidates called for interview of T. G. T. and P. G. T. ..	37—38
2544. लघु उद्योगों में इस्पात की आवश्यकता	Requirements of Steel in Small Scale Industries	39
2545. अन्य देशों को तकनीकी जानकारी देने से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Providing Technical know-how to other Countries ..	39—40
2546. इस्पात का आयात	Import of Steel ..	40—41
2547. गैर-सरकरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी	Shortfall in Private Sector Employment ..	41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

2548. बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Bokaro Steel Plant ..	42
2549. कलकत्ता में बिड़लाओं के कार्यालयों का पुनः खुलना	Re-opening of Offices of Birlas in Calcutta ..	42—43
2550. मध्य प्रदेश की कोयला खानों में मजदूर संघ	Labour Unions in Coal Mines in Madhya Pradesh ..	43
2551. ननकाना साहिब को 'बेटकीकन' की तरह का दर्जा	Vatican Type in Status to Nankana Sahib ..	43
2552. कोयला खानों की ओर स्वामिस्व (रायल्टी) की बकाया राशि	Arrears of Royalty against Coal Mines ..	43
2553. सियालदह स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Fast by E. S. I. Hospital Employees, Sealdah ..	44
2554. दिल्ली में कैमिस्टों की दूकानों को रात्रि में खोला जाना	Opening of Chemists Shops in Delhi at Night ..	44
2555. भारत में सोवियत संघ के सांस्कृतिक केन्द्र/संस्थायें	U. S. S. R. Cultural Centres/Organisations in India ..	45
2556. लाजपतराय मार्कित, दिल्ली में सम्पत्ति के स्वामिस्व का हस्तान्तरण	Transfer of Ownership of Property in Lajpat Rai Market, Delhi ..	45
2557. छावनी बोर्ड के कर्मचारियों तथा सरकार के बीच विवाद पर राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित न करना	Non-implementation of National Tribunal's Award between Cantonment Board's Employees and Government ..	45
2558. बंगाल चतकल मजदूर संघ द्वारा हड़ताल की धमकी	Bengal Chatkal Mazdoor Union's threat to go on strike ..	46
2560. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में हुई हानि	Loss incurred in Neyveli Lignite Corporation ..	46—47
2561. दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड की यूनियन से मांग-पत्र	Charter of Demands from Unions of Durgapur Project ..	47—48
2562. श्री फिजों के साथ समझौते की सम्भावनायें	Prospects of Reconciliation with Mr. Phizo ..	48
2564. संयुक्त राष्ट्र की निधियों में अमरीकी अंशदान में कटौती	Cut in U. S. Contribution to U. N. Fund ..	48

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2565. गैस-पाईप लाईनों से गैस निकालने के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में लोगों का हताहत होना	Casualties in Durgapur Steel Plant due to leakage of Gas Pipelines ..	48—49
2566. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा हीरों की नीलामी	Auction of Diamonds by National Mineral Development Corporation Ltd. ..	49
2567. फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का भवन	Building of National Mineral Development Corporation Ltd. at Faridabad ..	49—50
2568. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा दिल्ली में किराये पर लिया गया स्थान	Premises rented by National Mineral Development Corporation at New Delhi..	50—51
2569. चीन द्वारा भारत पर पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्ताक्षेप करने का आरोप	China accused India of Interfering in Pakistan's Internal Affairs ..	51
2570. 1970 में हड़तालें	Strikes in 1970 ..	51—52
2571. भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजने की अमरीकी योजना	U. S. Plan to Send a Team to Study Situation in Indian Sub-continent ..	52
2572. दिल्ली में मजदूरों के लिये आवास सुविधायें	Housing Facilities for Workers in Delhi ..	52
2573. कोयला खानों से कोयला निकालना	Extraction of Coal from Coal Mines ..	53
2574. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांचि के मैनिजंग डायरेक्टर को हाटिया कामगार यूनियन का ज्ञापन	Memo from Hatia Worker's Union to Managing Director of H. E. C. Ranchi ..	53
2575. बिसरा स्टोन लाइम कवेरी, उड़ीसा का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Bisra Stone Lime Quary, Orissa ..	53—54
2576. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांचि के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का दिया जाना	Payment of Interim Relief to Employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	54—55
2577. इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in Steel Plants ..	55—56
2579. बंद पड़े कारखानों का पुन: खोला जाना	Reopening of Closed Units ..	56
2580. बेरोजगार श्रमिकों की संख्या में वृद्धि	Increase in Unemployed Labour Forces ..	56—57

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2581.	हिमाचल प्रदेश में खनिज निक्षेप	Deposits of Minerals in Himachal Pradesh ..	57
2582.	इस्पात के वितरण की पद्धति	Procedure for Distribution of Steel ..	57—58
2583.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों द्वारा कार खरीदने के लिये अग्रिम राशि लिया जाना	Car Advance by E. P. F. O. Officials ..	58—59
2584.	दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का बन्द किया जाना	Closure of Industrial Training Institute in Delhi ..	59
2585.	बंगला देश विस्थापितोंमें पुरुषों और स्त्रियों की संख्या	Number of Males and Females Among Bangla Desh Refugees ..	59
2586.	भू-जल विंग का कृषि मन्त्रालय को हस्तांतरण	Transfer of Ground Water Wing to Agriculture Ministry ..	60
2587.	क्रयादेश पूरे करने में विलम्ब	Delay in Execution of Supply Orders	60—61
2588.	बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए हैवी इंजीनिरिंग कारपोरेशन द्वारा निर्मित उपकरण	Heavy Engineering Corporation Equipment for Bokaro Steel Plant ..	61—62
2589.	मैंगनीज अयस्क खानों का पुनः खोला जाना	Reopening of Manganese Ore Mines ..	62
2590.	युद्ध विराम रेखा के पार संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के स्वच्छन्द रूप से घूमने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Free Movement of U. N. Observers Across the Ceasefire Line ..	63
2591.	शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च-आयुक्त का दौरा	Visit by U. N. High Commissioner for Refugees ..	63—64
2592.	हरिपुर कोयलाखान, आसनसोल के श्रमिकों की हड़ताल	Strike by Workers of Haripur Colliery, Asansol ..	64
2593.	आसनसोल कोयला-पट्टी के कोयला खान श्रमिकों को देय बकाया मजूरी	Arrears of Wage Dues to the Colliery Workers of Asansol Coal Belt ..	64—65
2594.	भारत द्वारा कथित सीमा उल्लंघन	Alleged Border Violation by India ..	65
2595.	बंगला देश से आये शरणार्थियों को अन्यत्र भेजने के लिए विशेष रेल गाड़ियां	Special Trains for Dispersal of Bangla Desh Refugees ..	65—66
2596.	एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि दल	Indian Delegation for Asian Regional Conference ..	66

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

2597. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में मजदूरों के भाग लेने के बारे में मजदूर संघ के संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव	Suggesstions made by Trade Union Organisations for Workers Participation in Management of Public Sector Undertakings	..	66
2598. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मशीन मजदूर संघ, नई दिल्ली के पदाधिकारियों की पदच्युति	Dismissal of Office-bearers of I. B. M. Workers' Union, New Delhi	..	67
2599. पाकिस्तान को भेजे गये विरोध पत्र	Protest Notes sent to Pakistan	..	67
2600. बाजारफंड़ फोर्टसैंडमैन, क्वेटा (पश्चिम पाकिस्तान) के भूतपूर्व सैनिकों को देय सामान्य भविष्य निधि की राशि	G. P. F. Dues of Ex-Military personnels of Bazar Fund Fortsandman Quetta (West Pakistan)	..	68
2601. माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड को हुई हानि	Loss Incurred in Mining and Allied Machinery Corporation, Limited	..	68—69
2602. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हुई हानि	Loss incurred at Heavy Engineering Corporation, Ranchi	..	69—70
2603. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रकशन लिमिटेड	Hindustan Steel Works Construction Limited	..	70
2604. कलकत्ता निगम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न कराया जाना	Non-Deposit of E. P. F. by Calcutta Corporation	..	71
2605. पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य का पुर्नविलोकन करने वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Committee on Review of Rehabilitation work in West Bengal	..	71
2606. इस्पात का उत्पादन	Production of Steel	..	71—72
2607. संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय प्रकाशन का सेंसर किया जाना	Censoring of Indian Publication in United Arab Republic	..	72
2608. बोनस अधिनियम पर त्रिपक्षीय समिति	Tripartite Committee on Bonus Act	..	73
2609. खान श्रमिकों के लिये उपदान	Gratuity for Coal-Mine Workers	..	73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.		

2610. कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं का विलय	Merger of E. S. I. and E. P. F. Schemes ..	73
2611. उत्तर बंगाल में छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Mini Steel Plant in North Bengal ..	73—74
2612. रोजगार की स्थिति में सुधार न होना	Non-improvement of Employment Situation ..	74
2613. पश्चिम बंगाल में कोयला खान के मालिकों द्वारा कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान न किया जाना	Non-Payment of Worker's dues by Coal-mine owners in West Bengal ..	74—75
2614. जंजीबार में भारत मूलक व्यक्तियों को जंजीबार छोड़ने का आदेश	Persons of Indian Origin Ordered to leave Zanzibar ..	75
2615. श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों को भूमि से वंचित करना	Indians in Ceylon to lose land ..	75
2616. संयुक्त राष्ट्र संघ से दक्षिण अफ्रीका को निकालना	Expulsion of South Africa From U. N. O. ..	75—76
2617. चमड़ा रंगने और चर्म निर्माताओं संबंधी औद्योगिक समिति का तीसरा अधिवेशन	Third Session of Industrial Committee on Tanneries and Leather Goods Manufacturers ..	76
2618. राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें	Recommendations of National Commission on Labour ..	77—78
2619. स्वचलित मशीनों के सम्बन्ध में बेंकटारमन समिति का प्रतिवेदन	Report on Venkataram Committee on Automation ..	78
2620. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की वाणिज्यिक शाखा का बम्बई ले जाया जाना	Shifting of Commercial Wing of National Mineral Development Corporation to Bombay ..	78
2621. पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस्पात का वितरण	Distribution of Steel to Public Worker Department of West Bengal ..	79
2622. गैर-पंजीकृत री-रोलिंग मिलों के लिए बिलेट्स का आयात	Import of Billets for unregistered rerolling mills ..	79
2623. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर के कोचीन प्रभाग में हड़ताल	Strike in Cochin Division of Fertilizer and Chemicals, Travancore ..	79—80

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.		
2624. बिहार की मिलों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियां	Arrears of Employees Provident Fund in Bihar Mills ..	80
2625. मुंगेर में जेल कम्पाऊंड में स्थित गन फैक्ट्रियों में लागू कर्मचारी भविष्य निधि योजना	Gun Factories in Jail Compound in Monghyr covered under E. P. F. Scheme ..	80—81
2626. बिहार में परिवार पेंशन योजना पर अनुक्रिया	Response to Family Pension Sbceme in Bihar ..	81
2627. कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों को अतिरिक्त मकान किराया भत्ता	Additional House Rent to E. P. F. Employees ..	81—82
2628. पाकिस्तान द्वारा राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने की धमकी	Pakistani's threats of breaking off diplomatic relations with India ..	82
2630. दण्डकारण्य में भेजे गये बंगला देश के शरणार्थी	Bangla Desh Refugees sent to Dandakaranya ..	82
2631. भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्ज लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा किए गए विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौते	Foreign Collaboration Agreements conducted by Bharat Heavy Plate and Vessels Ltd. Visakhapatnam ..	83
2632. इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्राप्त किए गए ठेके	Contracts secured by Engineering Projects (India) Ltd. ..	83
2633. फरीदाबाद में उद्योगों को इस्पात का वितरण	Distribution of Steel to Industries in Faridabad ..	83—84
2634. खास जम्बाद और शंकरपुर कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Khas Jambad and Shankarpur Collieries ..	85
2635. बंगला देश शरणार्थियों के लिए कम्बलों की सप्लाई में विलम्ब	Delay in supply of Blankets for Bangla Desh Refugees ..	85
2636. भारत-सोवियत सन्धि के बारे में विचार-गोष्ठी	Seminar on Indo-Soviet Treaty ..	86
2637. वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये गये इस्पात में से कुछ इस्पात का खुले बाजार में आना	Leakage of Steel from Stocks Supplied to Actual Users ..	86
2638. परिवार पेंशन योजना का विरोध	Opposition to Family Pension Scheme ..	86—87

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.		
2639. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा खनिज भण्डारों का पता लगाया जाना	Discovery of Mineral Deposits by Geological Survey of India ..	87
2640. मध्य प्रदेश में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण	Extensive Survey by Geological Survey of India in Madhya Pradesh ..	87—88
2641. मध्य प्रदेश में मैंगनीज के निक्षेप	Deposits of Manganese in Madhya Pradesh ..	88—89
2642. बंगला देश के शरणार्थियों के लिए शिविर	Camps for Bangla Desh Refugees ..	89
2643. भारतीय हीरा निगम की स्थापना	Setting up of a Gem Corporation of India ..	90
2644. राजस्थान में खनिज तथा गैर-खनिज पदार्थों का उत्पादन	Production of minerals and non-minerals in Rajasthan ..	90
2645. बर्मा से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Burma Refugees ..	90—91
2646. केरल में बहुमूल्य खनिज निक्षपों का पाया जाना	Discovery of valuable mineral deposits in Kerala ..	91
2647. तमिलनाडु में लौह अयस्क के भण्डारों का पता लगाया जाना	Exploration of Deposits of Iron Ore in Tamil Nadu ..	91
2648. अलौह तथा लौह धातुओं का पता लगाना	Exploration of Non-ferrous and Ferrous Metals ..	92
2649. भारत में सक्रिय होने के लिए पूर्वी बंगाल में रजाकारों का प्रशिक्षण	Training of Razakars in East Bengal for operations in India ..	92
2650. केरल मिनरल एम्पलाइज एसोसियेशन से ज्ञापन	Memorandum from Kerala Minerals Employees' Association ..	92—93
2651. मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेप	Deposits of Iron Ore in Madhya Pradesh ..	93
2652. नागालैंड में हीरों के निक्षेप	Diamond Deposits in Nagaland ..	93
2653. केरल में स्विटजरलैण्ड की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	Vocational Training Centre with Swiss aid in Kerala ..	93—94
2654. दण्डकारण्य में कर्मचारियों के लिये दण्डक एस० ए० एस० परीक्षा	Dandak S. A. S. Examination for Dandakaranya Employees' ..	94
2656. दिल्ली में सोफ्ट कोक के मूल्य	Price of Soft Coke in Delhi ..	94

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड के श्रमिकों पर कथित लाठी प्रहार	Reported lathi charge on workers in Mysore Cements Ltd. ..	94—96
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa ..	94—95
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ..	95—96
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	96—97
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	97
अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन	Report of Study Tour ..	97
संविधान (छब्बीसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-Sixth Amendment) Bill ..	98—113
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	98
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ..	98
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra ..	99
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhawat Jha Azad ..	99
श्री फ्रेंक एन्थनी	Shri Frank Anthony ..	99—100
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi ..	100
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey ..	100—101
श्री पी० वेंकट्टासुब्बैया	Shri P. Vankatasubbaiah ..	101
श्री सी० टी० दण्डपाणी	Shri C. T. Dhandapani ..	102
श्री रामसहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey ..	102
श्री श्याम नन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra ..	102—103
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Newal Kishore Sharma ..	103—104
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur ..	104
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody ..	104
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik ..	105
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh .	105
श्री फतहसिंह राव गायकवाड	Shri Fatesinghrao Gaekwad ..	105—106
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramkrishna Reddy ..	106—107
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate ..	107
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale ..	107—108

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	..	109—111
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	..	111
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	..	111
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	..	111
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	..	111—112
श्री दशरथ देब	Shri Dasaratha Deb	..	112
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	..	112
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	113
आयुध (संशोधन) विधेयक	Arms (Amendment) Bill	..	113—118
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	..	113
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	..	113—114
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	..	114—115
श्री सी० चित्ति बाबू	Shri C. Chittibabu	..	115—116
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	..	116
श्री फूल चन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	..	116
खण्ड 2 और 1	Clause 2 and 1	..	117
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	..	117
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	..	117
श्री रामनिवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Midha	..	118
वायु निगम (संशोधन) विधेयक	Air Corporation (Amendment) Bill	..	118—119
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	..	118
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	..	118—119

LOK SABHA
लोक-सभा

गुरुवार, 2 दिसम्बर, 1971/11 अग्रहायण, 1893 (शक)

Thursday, December 2, 1971/Agrahayana 11, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्य महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बेरोजगारी में वृद्धि

\+
*391. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री बीरेन दत्त :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्तियों की संख्या में अगस्त, 1971 के अन्त तक एक वर्ष में लगभग 23 प्रतिशत वृद्धि हुई है अर्थात् उनकी संख्या लगभग 35 लाख से बढ़कर 48 लाख हो गई है ;

(ख) इस अवधि में रोजगार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ; और

(ग) सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) रोजगार बाजार सूचना अध्ययन के अनुसार अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 की समयावधि के दौरान संगठित क्षेत्र में 2.2 प्रतिशत ।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

अधिक नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रम के

अलावा अतिरिक्त नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए कुछ विशेष योजनायें भी बनाई गई हैं। कुछ प्रमुख योजनाओं की विशिष्ट जानकारी नीचे लिखी गई है।

(एक) **ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्य :**

इस कार्यक्रम (जिसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं) की रूप रेखा इस प्रकार तैयार की गई है जिससे बढ़े हुए अतिरिक्त नियुक्ति अवसर जुटाने के साथ साथ स्थायी महत्व के निर्माण कार्य भी पूरे किये जा सकें। इसके फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय के लिए परिसम्पत्ति का निर्माण भी होगा।

(दो) **लघु कृषक विकास एजेंसी :**

इस योजना के अधीन लघु कृषक के विकास के लिए एजसियों की स्थापना की जायेगी। इस तरह की प्रत्येक एजेंसी विकास क्षमता रखने वाले लगभग 50 हजार कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। वह उन्हें आवश्यक ऋण सुविधा भी देगी और सघन कृषि विकास के लिए आवश्यक अन्य सुविधायें भी जुटायेगी। चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 67.5 करोड़ रुपयों का प्रबन्ध किया गया है।

(तीन) **सीमान्त कृषक और खेतीहर मजदूर प्रायोजनाएं :**

यह प्रायोजना उन लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करती है जिनके पास या तो जमीन है ही नहीं अथवा ऐसी जमीन है जो आकार अथवा स्तर के कारण विकास क्षमता नहीं रखती। योजना में पशु पालन, मुर्गी-पालन, सूअर पालन, मछली उद्योग आदि पूरक व्यवसायों के विकास पर जोर दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 47.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(चार) **क्षेत्रीय विकास योजना :**

यह कार्यक्रम, जिसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़कें, बाजार आदि के विकास के लिए निश्चित हैं और इसे दस प्रमुख सिंचाई प्रायोजना के क्षेत्रों में लागू किया जायेगा।

(पांच) **अजल खेती का विकास :**

इस कार्यक्रम द्वारा, जिसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 20 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है, नमूने के तौर पर बनाई 24 प्रायोजनायें 12 राज्यों में चलाने का विचार है। यह कार्यक्रम अजल खेती की उन्नत तकनीक में अनुसंधान तथा इस तकनीक को अजल खेती वाले क्षेत्र में लागू करने की दो अनुपूरक दिशाओं में, आरम्भ किया जायेगा।

(छः) **डेयरी विकास :**

विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से आरम्भ की इस योजना का हर उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में स्थापित बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के संयंत्रों में दूध एकत्र करने की क्षमता और दूध को अन्य रूप में सुरक्षित रखने के कार्यों का विस्तार करना है। इसके साथ ही इन संयंत्रों के लिए 10 राज्यों में स्थापित अन्य दुग्ध एकत्रक केन्द्रों का विस्तार करना है।

(सात) **लघु उद्योगों का विकास :**

इस कार्यक्रम के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों की विकास योजना अनुषंगी उद्योगों का विकास और लघु उद्योग की सुविधाओं का विकास सम्मिलित है ।

(आठ) **कृषि सेवा केन्द्र :**

योजना काल में 5,000 केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । ऐसे प्रत्येक केन्द्र में उसके स्वरूप व गतिविधियों के आकार के आधार पर 50,000 रु० से 2,00,000 रुपये तक लगाने का प्रस्ताव है । इस योजना का लक्ष्य इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों और कृषि विषय के स्नातक आदि को स्वनियोजन का अवसर प्रदान करना है ।

(नौ) **ग्राम-रोजगार की त्वरित योजना :**

हाल ही में, 1 अप्रैल, 1971 से ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए एक त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है । सन् 1971-72 के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की जा चुकी है । इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में आधारभूत संरचना सम्बन्धी निर्माण कार्यों पर कम से कम 1,000 व्यक्तियों को वर्ष में दस महीनों के लिए नियुक्त किया जायेगा ।

(दस) **इंजीनियर और तकनीशियन :**

स्व-नियोजन की सुविधा जुटाने के लिए शिक्षितों में विशेष कोटि के लोगों, जैसे इंजीनियरों और तकनीशियनों, के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 3 करोड़ रुपयों (एक करोड़ प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए और दो करोड़ उद्योग स्थापना कार्य में प्रशिक्षितों को वित्तीय सहायता देने के लिए) की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक आफ इण्डिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति में भी सुधार किया जा रहा है ताकि उन लोगों को जो अपना निजी उद्योग स्वयं स्थापित करना चाहते हैं, आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके ।

(ग्यारह) **शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजना :**

सन् 1971-72 के बजट में शिक्षित बेरोजगारों के उपयुक्त सक्रिय सहायता के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के लिए 25 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है, ताकि शिक्षित बेरोजगार लोग स्वयं लाभदायी रचनात्मक उद्यम की स्थापना कर सकें । इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों से विचार विनियम के बाद कुछ योजनायें बनाई हैं । इन्हीं में से लगभग 12.90 करोड़ रुपयों की लागत वाली योजनाओं को तो मंजूरी भी दी जा चुकी है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : The problem of Unemployment is still posing a serious threat. It is a matter of regret that this problem has been neglected. It has been admitted in the statement that growth rate has increased by 2.2 percent between April '70 to March '71. Regarding the measures, mentioned in the statement, it has been stated that their scope has been extended. But I see no new item in it except Agro-Service centres. I want to know about those items which have not found a place since First Five Year Plan. The figures of every plan submitted by the Reserve Bank show that there were 33 lakhs unemployed persons in the First Plan and it increased to 53 lakhs by the end of that Plan. Similarly, the number was 53 lakhs at the Commencement of Second Plan but it

increased to 71 lakhs at the end of the Plan. At the beginning of third plan, the number was 71 lakhs which increased to 96 lakhs at its end. The number was 1 crore and 46 lakhs at the end of 1969. There is variations in figures given by Reserve Bank, Planning Commission and President Giri in his book; I want to know the reason for this variation. It was stated last year that the closure of industrial units was the cause of increase in unemployment. This is true. Regarding the three Plans....

Mr. Speaker : Please put a straight question. This should not go on every day.

Shri Jagannath Rao Joshi : It is necessary to say these things; otherwise, he would attribute it to increase in population. It is imperative to clarify it in the beginning; otherwise he would attribute it to the closure of Units. But there was no question of closure of units in the third Plan. So far as the population is concerned, only those are seeking employment who were born in 1952. Theoretically, no child was born after 1952. Even today, they are facing unemployment problem. I want to know the programme which was not included in the earlier Plans meant for giving employment but which has now been included. May I also know the shortcomings of the earlier Plans which they now have tried to remove?

श्री आर० के० खाडिलकर : यदि उन्होंने विवरण पढ़ा हो तो उन्हें पता चलेगा कि इन योजनाओं से बेरोजगारी की समस्या को तह से सुलझाया जा रहा है क्योंकि शहर की बेरोजगारी, गांवों के बेरोजगारों के आ जाने से उत्पन्न होती है। लोग शहरों की ओर भागते हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिले, हम स्वीकार करते हैं कि आंकड़ों में अन्तर है, इस बात को दृष्टि में रखते हुए योजना आयोग ने दंतवाला समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बेरोजगारों की सही संख्या का पता लगाना था, जैसे ही लोगों में चेतना जागी है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है "मैं बेरोजगार हूं" जो हमारे ग्राम्य समाज में कोई नहीं कहता था, वस्तुस्थिति यही है। जब समिति का प्रतिवेदन कुछ सीमा तक क्रियान्वित किया जायेगा, हमें तब सही स्थिति का पता लगेगा। प्रति वर्ष लगभग 3 लाख व्यक्ति विश्वविद्यालयों से बाहर आ-रहे हैं और लगभग 30 लाख मैट्रिक परीक्षा पास करके आ रहे हैं, इस स्थिति में आंकड़े यह हैं, इसमें अन्तर भी हो सकता है।

Shri Jagannath Rao Joshi : The Parliament had sanctioned Rs. 25 crores and Rs. 50 crores in the budget for the implementation of the crash programme intended to remove unemployment in amongst the educated and rural areas, respectively. It has been admitted in this statement that under the crash programme schemes for Rs. 12 crores and 90 lakhs have been chalked out for the educated unemployed. Already the amount of Rs. 25 crores was small, but you have chalked out this programme only for Rs. 12 crores and 90 lakhs. Under this programme a provision of Rs. 50 crores was made for the rural areas. No mention has been made in the statement as to how much has been sanctioned for the Plan in this direction. No one knows about this. To my knowledge, only one percent has been spent on it. What is the reason? Under the crash programme, Rs. 25 crores has been earmarked for educated unemployed but provision of Rs. 12.90 crores has been made. Regarding Rs. 50 crores for rural areas, no mention has been made in the statement.

There is a scheme for giving a minimum subsistence to goondas, thieves, bad elements, etc. in the jail. But no subsistence allowance is given to those who seek employment. What provision has been made in this direction.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं स्वीकार करता हूं कि द्रुत कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन-25 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया पर्याप्त नहीं है। परन्तु हम धन ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हैं। जब योजनाएं आरम्भ की जाती हैं तो परिणामों को प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। परन्तु सरकार ने योजनाएं आरम्भ की हैं और इसमें कार्य आरम्भ हो गया है, इसके परिणाम अगले वर्ष उपलब्ध हो जायेंगे।

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker Sir, Do you think this reply is sufficient ?

Mr. Speaker : Not one question has finished in 10 minutes. These are thirty questions in the list. In this way, we cannot finish five questions in an hour. Some hon. Members start speaking in a way as if no other Member has to speak.

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker, the hon. Minister has not mentioned the scheme which has been chalked out to spend Rs. 50 crores. If the hon. Minister does not reply in proper way, we would not put question.

श्री बीरेन दत्त : क्या यह सच है कि रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 1961 में 42.98 थी जो कम होकर 1971 में 33.45 रह गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल में इन सभी योजनाओं को स्थगित किया हुआ है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मेरी सूचना में कहीं भी योजनाओं को स्थगित नहीं किया गया है । इस समय त्रिपुरा में व्याप्त विशेष स्थिति के कारण संभवतः उनके क्रियान्वयन में थोड़ी ढिलाई आ गई हो, इसके अलावा और कोई बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह भी पूछा है कि 1971 की तुलना में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, यह ठीक है ।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न संख्या 413 भी इसके साथ मिला दिया जाये, यह भी बेरोजगारी के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वे परस्पर संबंधित हैं, आप पूछ सकते हैं, केवल मैसूर नाम को छोड़कर यह समान प्रश्न हैं ।

श्री आर० के० खाडिलकर : इसका प्रादेशिक समस्या से सम्बन्ध है ।

श्री के० लकप्पा : जी नहीं, मंत्री महोदय इसे प्रादेशिक प्रश्न बताते हैं, वे इसे राष्ट्रीय समस्या और राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में लें ।

मैसूर में बेरोजगारी के बारे में सर्वेक्षण

*413. **श्री के० लकप्पा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में बढ़ी हुई बेरोजगारी को देखते हुए वहां पर बेरोजगारी के बारे में सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को बनाते हुए बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखा गया है और इन कार्यक्रमों को इस तरह बनाया गया है जिससे (मैसूर राज्य सहित) देश में अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाये जा सकें । निबल वर्ग और क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जहां कि यह समस्या बहुत जटिल है, कुछ विशेष कार्यक्रम बनाये गये हैं । जिनका उद्देश्य आमदनी की क्षमता को बढ़ाना एवं नियुक्ति अवसर जुटाना है । इन कार्य-क्रमों पर 1970-71 से अमल हो रहा है । ये योजनाएं जो कि मैसूर राज्य में भी लागू की जा रही हैं, छोटे किसानों के लिए विकास एजेंसियों, सीमान्त किसानों व खेतीहर मजदूरों के लिए एजेंसियों, सतत् सूखा पीड़ित क्षेत्र में ग्रामीण निर्माण कार्यों, अजल खेती योजनाओं और सिंचाई योजना के कमांड क्षेत्र में क्षेत्र विकास कार्यों से संबंधित है ।

ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक जिले को चौथी योजना की अवधि में कुल 2 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है । मैसूर राज्य के चिरकाल सूखे से प्रभावित 5 जिले नामतः बीजापुर, चित्र दुर्ग, बेल्गाम, धारवाड़ और कोलार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं, जहां मध्यम/लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, वन रोपण, सड़क निर्माण आदि जैसी श्रम प्रधान एवं उत्पादनोन्मुख योजनायें अभाव स्थिति की गम्भीरता को कम करने के कार्यक्रम के अधीन चालू की गई हैं । ये योजनाएं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अधिकाधिक रोजगार की व्यवस्था करेंगी । वर्ष 1970-71 के दौरान अनुमोदित योजनाओं पर 1.16 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई । चालू वित्त वर्ष में चल रही और नई योजनाओं के लिए 4.92 करोड़ रुपयों के कुल परिव्यय का राज्य सरकार का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । इस बीच पिछले वर्ष मंजूर की गई चालू योजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्य सरकार को 35 लाख रुपये की राशि दी गई है ।

चालू वित्त वर्ष में एक विशेष कार्यक्रम यथा देहाती क्षेत्रों में रोजगार की त्वरित योजना मैसूर राज्य सहित देश भर में पहले से ही आरम्भ की गई है । इसके फलस्वरूप प्रत्येक जिले में एक हजार अतिरिक्त लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । इस योजना के अधीन, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को कम करना है और जिसमें मैसूर के तमाम 19 जिले सम्मिलित हैं, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, वन रोपण और ग्रामीण संचार से संबंधित 237.50 लाख रुपये की राशि की परियोनायें चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वित करने के लिए पहले से ही स्वीकृति दे दी गई है । ये योज-नायें तालुका विकास बोर्ड और लैंड आर्मी के निदेशालय द्वारा चालू की जा रही हैं । अक्टूबर, 1971 के अन्त तक कुल व्यय 10.76 लाख रुपये हुआ जिसके फलस्वरूप 3.74 लाख श्रम दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया ।

राज्य सरकार ने विशिष्ट निर्माण कार्य करने के लिए लैंड आर्मी बनाई है जिससे स्थाई परिसम्पति उपलब्ध होगी । मैसूर राज्य सरकार ने भी शिक्षित व्यक्तियों विशेषकर तकनीकी योग्यता रखने वालों में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए अनेक उपाय आरम्भ किए हैं । इनमें से

अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :—

(एक) लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के रूप में काम लेने के लिए सिविल इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को प्रोत्साहन दिये जाते हैं ।

(दो) सिविल, इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम, मैसूर राज्य विद्युत् बोर्ड और लोक निर्माण विभाग में एक वृत्ति-विहीन प्रशिक्षण योजना आरम्भ की गई है ।

(तीन) भारत सरकार की वृत्ति योजना के अतिरिक्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी इंजीनियरी स्नातकों, और डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण के लिए एक वृत्ति योजना आरम्भ की गई है ।

(चार) इंजीनियरों को सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है ।

(पांच) इंजीनियरों को औद्योगिक सम्पत्तियों के आवंटन में वरीयता दी गई है और किराये, विद्युत् शुल्क-दर आदि में रियायत दी जाती है ।

(छः) नियुक्ति सहायता की एक प्रायोगिक योजना आरम्भ की गई है ।

(सात) इंजीनियरों में रोजगार अवसरों के प्रचार के सम्मिलित प्रयास किए जाते हैं ।

(आठ) लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा उद्योग संचालन सम्बन्धी अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं और राज्य सरकार ने कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थी भेजे हैं जिनकी वृत्ति आदि की पूर्ण राशि सरकार वहन करेगी ।

(नौ) भूतपूर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों में स्व-नियोजन के लिए प्रोत्साहन योजना आरम्भ की गई है ।

(दस) घरेलू इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल पुर्जों की मरम्मत के लिए चार कस्टम सर्विस यूनिट प्रायोगिक आधार पर आरम्भ किये गये और सरकार अन्य स्थानों पर इनका विस्तार करने के लिये विचार कर रही है ।

(ग्यारह) कृषि एवं विपणन में गहन प्रशिक्षण के लिए मैसर्स एस्कार्ट्स लि०, फरीदाबाद में कुछ चुने हुए इंजीनियर प्रतिनियुक्त किये जाते हैं ।

(बारह) रोजगार क्षमताओं के आधार पर कई अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरम्भ किये जा रहे हैं ।

(तेरह) बैंगलोर विश्वविद्यालय सैंडविच पाठ्यक्रम चलाने पर विचार कर रहा है ।

(चौदह) रिपेयर्स और सर्विस शाप्स के लिए इंजीनियरों की सहकारी समितियां बनाने पर विचार किया जाता है ।

(पन्द्रह) कृषि स्नातकों के लाभ के लिए एक भूमि उपनिवेशन योजना की स्वीकृति दी गई है।

(सोलह) बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को टैक्सी एवं आटो-रिक्शाओं के आवंटन के लिए एक योजना भी स्वीकृत की गई है।

(सतरह) विकलांग संस्था, बैंगलोर द्वारा चलाई जा रही कर्मशाला में 50 विकलांग उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिये भी एक योजना चलाई जा रही है।

राज्य सरकार ने हाल ही में 10 विशिष्ट परियोजनाओं को मिलाकर कुल 216.23 लाख रुपये के परिव्यय की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की है। जो इस समय योजना आयोग के विचाराधीन है। इन योजनाओं का लक्ष्य शिक्षित व्यक्तियों को समुचित प्रशिक्षण देकर उनकी नियोजन क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वे स्वतः नियोजित व्यक्तियों के रूप में कार्य आरम्भ कर सकें।

श्री के० लकप्पा : मैंने पूछा था कि क्या मैसूर राज्य में बेरोजगारी का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था और उसका उत्तर 'नहीं' है जैसे कि हरेक के साथ होता है।

अध्यक्ष महोदय : जिसको आपने कभी स्वीकार नहीं किया है।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने रोजगार में वृद्धि करने हेतु एक कार्यक्रम दिया है। ये दो बातें परस्पर विरोधी हैं। केन्द्रीय सरकार ने निश्चित कार्यक्रम बनाए हैं और योजना आयोग ने मैसूर राज्य सहित अन्य स्थानों पर पिछड़े क्षेत्र चुने हैं परन्तु मैसूर राज्य में शिक्षित और अशिक्षित क्षेत्र में ग्राम्य बेरोजगारी समस्या का सामना करने के लिये जो कार्यक्रम बनाए हैं उनमें तेजी नहीं लाई गई है। वर्तमान समाजवादी कार्यक्रम और सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि रोजगार कार्यक्रम समाजवाद की पूर्ण भावना के साथ क्रियान्वित किया जाये ? सरकार देश में तथा विशेषकर मैसूर राज्य में बेरोजगारों की आकांक्षाओं को पूरा करने की गति में तेजी लाने हेतु तत्काल सर्वेक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री आर० के० खडिलकर : बेरोजगारी के प्रश्न का समाधान रोजगार के अवसर उत्पन्न करने से है और इसमें, जैसाकि मैं देखता हूं, राज्य सरकार ने 10 विशिष्ट योजनाओं के लिये कुल परिणाम 216 लाख रुपयों की एक विस्तृत योजना बनाई है जो अभी विचाराधीन है, माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि इसका उद्देश्य इन योजनाओं के द्वारा मुख्यतः रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।

श्री के० लकप्पा : मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई योजना का प्रस्ताव नहीं है परन्तु योजना आयोग ने कतिपय केन्द्रीय योजनाएं आयोजित की हैं। जहां तक मेरे प्रश्न का सम्बन्ध है सरकार स्वयं इसका खंडन कर रही है क्योंकि योजना आयोग मैसूर राज्य में कतिपय छोटे किसान विकास एजेंसियां और क्षेत्रीय विकास योजनाएं चला रही है। परन्तु मंत्री महोदय ने कहा है कि ऐसी कोई योजनाएं नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। आखिर आपको कुछ स्वीकार तो करना होगा।

श्री के० लकप्पा : मैसूर राज्य को विभिन्न जिलों में सदा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में इस बेरोजगारी समस्या का सामना करना है । 17 जिले इससे लगभग बहुत प्रभावित हैं । इसी कारण से मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मैसूर राज्य इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तरह से क्रियान्वित करे । क्या मंत्री महोदय सभा में आश्वासन देंगे ?

श्री आर० के० खाडिलकर : विवरण में हमने सभी 17 योजनाओं का उल्लेख किया है । यह प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं हैं । इनके अतिरिक्त, मैसूर के सम्बन्ध में मेरे विचार में कोई विशेष योजना नहीं है ।

श्री ए० पी० शर्मा : बताया गया है कि इंजीनियरों और तकनीशनों के प्रशिक्षणों के लिये एक करोड़ और उन्हें उद्योग स्थापित करने लिये वित्तीय सहायतार्थ दो करोड़ रुपये रखे गये हैं । यह भी बताया गया है कि 25 करोड़ रुपये साक्षर बेरोजगारों की सहायतार्थ योजनाओं आदि के लिये रखे गये हैं । यह भी बताया गया है कि वर्ष 1971-72 में 12.90 करोड़ रुपये का अनुमित परिव्यय का अनुमोदन योजना आयोग द्वारा पहले ही किया जा चुका है । तो क्या श्रम मंत्रालय बताएगा कि इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की कोई व्यवस्था की गई है या क्या ये योजनाएं चालू की गई हैं अथवा वे कब तक चालू कर दी जाएंगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : ये योजनाएं आरम्भ करने और इनके लिये धन जुटाने के कुछ समय बाद ही हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है और इनमें लोगों को कहां तक लाभ पहुंचा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री को पता है कि पश्चिम बंगाल और अन्यत्र छोटे-बड़े कारखानों के बन्द हो जाने से बेकारी की समस्या और गम्भीर हो गई है । इसलिए इन्हें तुरन्त अपने अधिकार में ले लेने के लिए सरकार ने क्या ठोस उपाय किये हैं और अब तक बेकार हो गये और फालतू घोषित हुये कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता दिया जाये ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते ही हैं कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम बनाया जा चुका है जो इन्हें बन्द कारखानों को पुन: खोलने और अनेक नए कारखाने खोलने में सहायता देता है । अन्य राज्यों में बन्द कारखानों को सरकारी नियन्त्रण में लेने सम्बन्धी नये अध्यादेश के बाद यह देखने में समय लगेगा कि कौन कौन से कारखाने बन्द करने पड़ेंगे, पुन: खोले जायेंगे, आदि । मैं यह नहीं बता सकता कि कितने कारखाने अपने नियंत्रण में लिये जा चुके हैं परन्तु राज्य-स्तर पर प्रारम्भिक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बीच उन्हें किसी प्रकार का भत्ता दिया जायेगा ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं पहले ही बता चुका हूं कि पश्चिम बंगाल के लिये तो विशिष्ट योजनाएं हैं परन्तु अन्य राज्यों के लिये ऐसी कोई योजना नहीं है । अत: मैं यह नहीं बता सकता कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की जाती है ।

राउरकेला इस्पात कारखाने में ऊष्म-सह (रिफ्रेक्टरीज) की खपत

*395. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात कारखाने में उष्मसह (रिफ्रेक्टरीज) की वार्षिक खपत कितनी है और उसकी कितनी मात्रा आयात की जाती है और कितनी देशी साधनों से प्राप्त की जाती है ;

(ख) क्या राउरकेला इस्पात कारखाने में वर्ष 1969-70 में 15 करोड़ रुपये की उष्मसह खरीदी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी उष्मसह देशी साधनों से खरीदी गई थी और कितनी आयात की गई थी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) पिछले 4 वर्षों में राउरकेला इस्पात कारखाने में उष्मसह की वार्षिक खपत इस प्रकार थी :—

1967-68	49,200 टन
1968-69	53,300 टन
1969-70	49,400 टन
1970-71	43,300 टन

आयातित और देशीय उष्मसह की खपत का अलग अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गजाधर मांझी : भारतीय निर्माताओं से ऊष्मसह (रिफ्रेक्ट्रीज) खरीदने की क्या प्रक्रिया है और क्या टेन्डर मांगे जाते हैं, यदि हां, तो किस फर्म का टेन्डर सबसे कम मूल्य का था ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : प्रश्न में प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है, अतः मेरे पास इसका ब्यौरा नहीं है, परन्तु सामान्यतः टेन्डर मांगे जाते हैं, परन्तु इन निर्माताओं की संख्या बहुत कम है । यदि सदस्य चाहें तो मैं यह जानकारी सभा पटल पर रख दूंगा ।

श्री के० प्रधानी : क्या बनावट और रासायनिक कारणों से एक बार अस्वीकृत रिफ्रेक्ट्रीज को पास कर दिया गया था और रिफ्रेक्ट्रीज विभाग ने प्रबन्धकों पर फर्मों को भुगतान करने के लिये जोर दिया था, यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : कुछ रिफ्रेक्ट्रीज में त्रुटियां थीं जिनकी ओर रिफ्रेक्ट्रीज निर्माता संघ का ध्यान दिलाया गया है, परन्तु हम किस्म में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं । मेरे विचार में अस्वीकृति के मामले में इस कारण संयंत्र को कोई हानि होगी ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : माननीय मंत्री ने बताया है कि आयातित और देशीय 'रिफ्रेक्ट्रीज' के प्रयोग का कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि रिकार्ड रखे बिना इनका आयात कैसे किया जाता है ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : मैंने यह नहीं कहा था कि आयातित रिफ्रेक्ट्रीज का रिकार्ड नहीं रखा जाता। मैंने तो इन्हें प्रयोग में लाने की बात की थी। आयातित और देशीय दोनों प्रकार की 'रिफ्रेक्ट्रीज' एक ही स्थान पर रखी हैं और जैसे जैसे आवश्यकता होती है, इन्हें प्रयोग में लाया जाता है।

इनके आयात सम्बन्धी ब्यौरा मैं मंगवा रहा हूं और मिलते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या सरकार को पता है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये देशीय 'रिफ्रेक्ट्रीज' जुटाने में भ्रष्टाचार व्याप्त है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको दूसरा प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दी है।

उद्योग द्वारा श्रमिकों को उत्पादिकता-लाभों में हिस्सा दिया जाना

396. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न उद्योगों के उत्पादिकता-लाभों में श्रमिकों को भागीदार बनाने के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं और उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एच० के० एल० भगत : क्या इस बात को देखते हुए कि सरकार समाजवाद लाने के लिये दृढ़ संकल्प है और जहां उद्योगों में उत्पादन कम हो रहा है और श्रमिक असंतुष्ट हैं, क्या सरकार सिद्धान्त रूप में उत्पादिता-लाभ में श्रमिकों को हिस्सा देने के पक्ष में है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : राष्ट्रीय श्रम आयोग इस मामले पर विस्तृत अध्ययन के बाद भी कोई निश्चित सूत्र नहीं बना सका। राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् भी इसका अध्ययन कर रहा है, ये लाभ विभिन्न दिशाओं में जाते हैं परन्तु यह कहना कठिन है कि श्रमिकों को कितना भाग मिलना चाहिए। यह बहुत ही कठिन समस्या है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने सूत्र के बारे में नहीं पूछा था। मैं तो यहजानना चाहता था कि क्या सरकार सिद्धान्त रूप में इसे स्वीकार करती अथवा नहीं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हम सिद्धान्त रूप में इसके पक्ष में हैं...**(अन्तर्बाधा)**...

श्री ए० पी० वर्मा : यहां तो प्रश्न उनके हिस्से का है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं–हां या नहीं ?

श्री खाडिलकर : अवश्य । उत्पादिता-लाभों में से अपना हिस्सा पाने का श्रमिकों को पूरा अधिकार है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या हमारे देश में उत्पादिता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और अन्य देशों के मुकाबले में इसकी स्थिति क्या है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । मुझे सूचना मिलनी चाहिए ।

Shri Narsingh Narian Pandey : I want to know the names of those Sugar Mills who are not implementing the linking formula of 1965, where by workers were entitled to a share in additional profit? It was sent to all the State Governments.

श्री खाडिलकर : मैं इस समय तो यह नहीं बता सकता । परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यह आदेश विद्यमान है और मिलों से आशा की जाती है कि वे इसे लागू करें ।

श्री नरसिंह नारायण पान्डे : यह उत्तर परस्पर-विरोधी है ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर तो स्पष्ट और सीधा ही ठीक होता है क्योंकि गोल-मोल उत्तर पर सदस्य और प्रश्न पूछते हैं और मुझे कठिनाई होती है ।

श्री एस० बी० गिरि : यदि कोई आदेश विशेष कार्यान्वित नहीं किया जाता तो उसके प्रभावी कार्यान्वियन के लिये सरकार क्या कदम उठाएगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की है और हम केवल निदेश देते हैं ।

श्री एस० बी० गिरि : मेरा प्रश्न तो यह था कि प्रभावी कार्यान्वियन के लिये क्या सरकार कोई ठोस उपाय करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कह चुके हैं कि यह राज्यों की जिम्मेदारी है और उन्हें अनुदेश देने के अलावा और कोई अधिकार नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मजूरी निश्चित करने के मामले में सरकार सदा ही मजूरी को उत्पादन से सम्बद्ध करती है तो सामान्य से अधिक होने पर लाभ का हिस्सा श्रमिकों को देने से सरकार क्यों हिचकिचाती है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यदि श्रमिक यह मान लें कि वह उत्पादन वृद्धि में योगदान देंगे तब तो कई योजनाएं, जैसे बोनस आदि की, बनाई जा सकती हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि ए० आई० टी० यू० सी० और हिन्द मजदूर सभा जैसे अन्य महासंघों ने मजूरी को उत्पादिता से सम्बद्ध करने पर आपत्ति की है तो क्या सरकार ऐसा कोई कदम उठाने से पूर्व इन महासंघों से सलाह करेगी और एकपक्षीय आधार पर कोई ऐसी योजना लागू नहीं करेगी ।

Mr. Speaker : That stage has not reached yet.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने कहा था कि कुछ केन्द्रीय श्रमिक संघ ऐसा किए जाने के विरुद्ध हैं और मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि ए० आई० टी० यू० सी० ऐसा किये जाने पर सहमत है। शायद सदस्य महोदय को पता हो कि कम से कम सरकारी क्षेत्र में श्रमिक ऐसा किये जाने के लिये तैयार है······

श्री ए० पी० शर्मा : जी नहीं, सरकारी क्षेत्र के श्रमिक संघों ने कभी कोई विचार प्रकट नहीं किया······

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय बैठ जाएं। मैं इसप्रकार का व्यवधान सहन नहीं कर सकता।

श्री आर० के० खाडिलकर : मेरे पास एक विवरण है और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकारी क्षेत्र में पहली बार ए० आई० टी० यू० सी० ने अपना दृष्टिकोण बदला है और कहा है कि वे उत्पादिता के बारे में चिन्तित हैं और कि श्रमिकों को इसके लिये कुछ उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिये। परन्तु यदि माननीय सदस्य वरिष्ठ श्रमिक नेता के नाते यह मत श्रमिकों में फैलाने में हमारा साथ दें तो इससे उन्हें लाभ ही होगा और उन्हें अधिक उत्पादिता के लिये अधिक हिस्सा मिलेगा।

सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना के कार्य की धीमी प्रगति

\+
*397. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री जी० भुवाराहन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना के कार्य में बहुत धीमी प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) . एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) . जबकि प्रारम्भिक कार्यों में प्रगति हो रही है, फिर भी, सलाहकारों द्वारा प्रायोजना पर तकनीकी-आर्थिक-शक्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कुछ विलम्ब हो गया है। उनके प्रतिवेदन को जो अगस्त, 1971 के अन्त तक दिया जाना था, अब दिसम्बर, 1971 के पूर्वार्द्ध में मिल जाने की सम्भावना है। विलम्ब का आंशिक कारण प्रोडक्ट-मिक्स के लिये विभिन्न विकल्पों पर विचार करने में लगा समय है।

(ग) (1) कारखाने के क्षेत्र को सीमांकित कर दिया गया है। राज्य-सरकार को प्रावस्था-

भाजित कार्यक्रमों के अनुसार भूमि-अर्जन के लिये धन खर्च करने को कह दिया गया है ।

(2) इस्पात कारखाने की बस्ती के क्षेत्र को सीमांकित कर दिया गया है ।

(3) प्रायोजना के स्थल तथा बस्ती के लिए स्थलरूपरेखीय सर्वेक्षण पूर्ण हों गये हैं ।

(4) हिन्दुस्तान स्टील-वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (सरकारी संस्थान) ने प्रायोजना स्थल पर भूमि सर्वेक्षण तथा जांच का कार्य पूरा कर लिया है ।

(5) राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में कंजामलाई लौह अयस्क के नमूनों के परीक्षण किये जा रहे हैं ।

(6) रेलवे मार्शलिंग-यार्ड, एक्सचेन्ज-यार्ड, साइडिंग आदि के लिए सर्वेक्षण पूर्ण हो चुके हैं ।

(7) कारखाने तथा बस्ती की जल-पूर्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये राज्य-सरकार द्वारा बनाई गई प्रायोजना पर विचार करने का काम लगभग पूरा हो गया है ।

(8) एक कर्णधार-समिति जिसके अध्यक्ष इस्पात विभाग के सचिव हैं, कार्य की प्रगति पर सतत् रूप से ध्यान देती है ।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : वक्तव्य में कहा गया है कि विलम्ब का आंशिक कारण 'प्रोडक्ट-मिक्स' के लिये विभिन्न विकल्पों पर विचार करने में लगा समय है । इस सम्बन्ध में किन विकल्पों का सुझाव दिया गया है और वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : जो तीन विकल्प सुझाये गये हैं, वे इस प्रकार हैं : (1) स्टेनलैस इस्पात की पट्टियां/चादरें 40,000 टन, (2) अलॉय रचनात्मक इस्पात, कार्बन रचनात्मक इस्पात आदि (सलाखें तथा छड़ें) 75,000 टन ; और (3) अत्याधिक तनाव वाले तथा अन्य स्पेशल स्टील 'सैक्शन' 90,000 टन ।

क्या मैं अन्य दो विकल्प सभा पटल पर रखूं ?

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : वास्तविक निर्माण कार्य के लिये कोई निश्चित तिथि निर्धारित करना मेरे विचार से संभव नहीं है । वर्तमान स्थिति यह है कि पहले हम सलेम परियोजना पर कार्य शुरू कर रहे हैं । इस पर इस वर्ष 75 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे, जमीन ली जायेगी, आदि । परन्तु मुझे आशा है कि हम एक अथवा दो वर्ष में इस पर कार्य आरम्भ कर देंगे ।

श्री जी० मुवाराहन : क्या यह सच है कि सलाहकार कम्पनी अधिक धन चाहती थी और यद्यपि इस संयंत्र का उद्घाटन प्रधान मन्त्री द्वारा किया गया था तो भी इसमें विलम्ब हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि तकनीकी-आर्थिक व्यवहारिकता प्रतिवेदन के लिये सलाहकार कम्पनी को कितनी राशि दी गई ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : मैंने अध्यक्ष महोदय से साग्रह कहा था कि क्या ऐसे वाणिज्यिक मामलों में हमसे आंकड़े देने को भी कहा जायेगा। यदि आप निर्देश दें तो मैं ये आंकड़े भी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना में हुई प्रगति से सम्बन्धित है। यह बात आप पहले ही कह चुके हैं। माननीय सदस्य वस्तुतः क्या चाहते हैं ?

श्री जीं० मुवाराहन : तकनीकी-आर्थिक व्यवहारिकता प्रतिवेदन के लिये सलाहकार कम्पनी को अब तक कितनी राशि दी गई ? साथ ही, वह इसमें विलंब क्यों कर रहे हैं, जबकि गत वर्ष स्वयं प्रधान मन्त्री ने इसका उद्घाटन किया था ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : व्यवहारिकता प्रतिवेदन के लिये हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं। यह कहना न्यायोचित नहीं होगा कि उसमें बहुत विलम्ब हुआ है क्योंकि इस संयंत्र के ढांचे की रूप-रेखा तैयार करने, कंजामलाय के अयस्क के उपयोग, नैवेली लिगनाइट तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में काफी जटिलताएं हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि सलेम जिले में तथा तमिलनाडु सरकार के दिल में भी यह भावना व्याप्त है कि सलेम संयंत्र के कार्य को त्याग दिया गया है ? यदि हां, तो क्या वह इस धारणा को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।

श्री मोहन कुमारमंगलम् : मूझे इसकी जानकारी नहीं है परन्तु यदि यह सच है तो मुझे विश्वास है कि प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य इस गलत धारणा को दूर कर देंगे।

मैं अपने पूर्व के विवरण में एक शुद्धि करना चाहता हूं, व्यावहारिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जो राशि मैंने बताई थी, वह 5 लाख रुपये नहीं बल्कि 3 लाख रुपये है।

मजदूर संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय बैठक

+
*398. **श्री जे० बी० पटनायक** :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री अमर नाथ चावला :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों को मान्यता देने के बारे में त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जे० बी० पटनायक : अन्तर्संघीय आचार-संहिता के उल्लंघन को देखते हुए क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि सरकार के पास इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या व्यवस्था है और सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह प्रश्न तो मजदूर संघों को मान्यता देने संबंधी त्रिपक्षीय बैठक के बारे में है। आपका प्रश्न तो एक विभिन्न प्रकार के मामले से संबंधित है।

श्री जे० बी० पटनायक : यह प्रश्न मजदूर संघों को मान्यता देने से भी संबंधित है, क्योंकि अन्तर्संघीय आचार-संहिता के निरन्तर बढ़ते हुए उल्लंघनों के कारण यह जानना भी अनिवार्य है।

श्री आर० के० खाडिलकर : अन्तर्संघीय विवादों के बारे में, मजदूर संघ क्षेत्र में अनेक मजदूर संघों जैसे इन्टक, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा एच० एम० एस० जैसी केन्द्रीय संस्थाओं को देखते हुए, वे परस्पर समीप आने सम्बन्धी किसी करार पर विचार कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि उन्होंने किसी करार का कोई आधार पा लिया है। गत भारतीय श्रम सम्मेलन में जब प्रश्न उठाया गया, तो उन्होंने प्रारूप पर अन्तिम रूप से विचार करने के लिये 6 माह का समय मांगा था। अतः वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये, इन तीन-चार अखिल भारतीय मजदूर संघों के बीच परस्पर सूझ-बूझ पैदा करने का यही एक विकल्प था और इस दिशा में कार्य आरम्भ हो चुका है।

श्री अमरनाथ चावला : क्या स्थायी श्रम समिति ने औद्योगिक संस्थानों के मजदूर संघों को मान्यता देने के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं, और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : मुख्य समस्या यह है कि मान्यता देने का आधार जांच करना हो अथवा कि चुनाव हो। माननीय सदस्य जानते होंगे कि इस प्रश्न पर राष्ट्रीय श्रम आयोग ने विचार किया था। जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं, कोई भी मजदूर संघ इन दोनों में से एक प्रक्रिया पर सहमत नहीं हुआ है और इस समस्या का हल निकालने के लिये इन सिफारिशों के प्रकाश में कोई फार्मूला ढूंढ रहे हैं।

डा० रानेन सेन : केन्द्रीय मजदूर संघ की ओर से काफी लम्बी अवधि से प्रयास किया जा रहा है और आपने उन्हें और छः मास का समय दिया है। अब ऐसा लगता है कि जांच अथवा मतदान के आधार पर इन संघों के बीच कोई समझौता होने की बहुत कम संभावना है। ऐसी स्थिति में, सरकार क्या करेगी क्योंकि केवल एक केन्द्रीय संस्था को छोड़कर शेष सभी व्यापार संघ चुनाव के पक्ष में हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति होगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं उक्त विचार-विमर्श के परिणामों के बारे में माननीय सदस्य की इतनी उदासीनता से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं उनसे निकट का सम्बन्ध बनाये हुए हूं। वे लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जहां प्रतिनिधित्व के बारे में कोई सन्देह है अथवा जांच का कार्य उचित ढंग से नहीं किया गया है, ऐसे मामले में मतदान करा लिया जाये। तथापि अन्तिम रूप से अभी समझौता नहीं हुआ है। मैं जांच अथवा मतदान दोनों में से किसी के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु इनमें से कोई भी बात समझौता करके ही लागू करनी होगी।

Shri Dhan Shah Pradhan : The hon. Minister has stated that there is no such proposal, but may I know the number of the representatives of the employers, workers and the Government respectively in case the Government set up a tripartite Committee in accordance with International Labour Conference held in 1919 ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह सच है कि श्रम सम्बन्धी मामलों में हम त्रिपक्षीय प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं और त्रिपक्षीय समिति में नियोक्ताओं, श्रमिकों तथा सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इस विशिष्ट मामले में स्थिति इस प्रकार है। प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या मैं मान्यता सम्बन्धी प्रश्न पर निर्णय करने के लिये कोई त्रिपक्षीय बैठक बुला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ये सभी प्रश्न तथा उत्तर मुख्य प्रश्न के उत्तर के बाद आते हैं जिसका उत्तर "नहीं" तथा "प्रश्न नहीं उठता" दिया गया है (**व्यवधान**)। श्री कुलकर्णी, आप हर प्रश्न पर खड़े हो जाते हैं।

श्री राजा कुलकर्णी : मैंने तो कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको हर प्रश्न के बाद उठते देखा है। कृपया कुछ समय के लिये प्रतीक्षा कीजिये।

Muster Roll Labourers in Heavy Engineering Corporation, Ranchi

*399. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether according to the standing orders of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi there is a provision for regularisation of those labourers, who have put in work for 240 days ;

(b) whether thousands of labourers working there for more than three years continuously are still treated as muster roll labourers ; and

(c) if so, the action taken to regularise them ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारी इंजीनियरी निगम लि० रांची के स्थायी आदेशों में मस्टर रोल के कर्मचारियों को नियमित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु कम्पनी ने मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन पर रख लेने के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक निर्णय किये हैं:—

(1) अर्धकुशल और कुशल मस्टर रोल कर्मचारियों को एक साल की संतोषजनक सेवा पर।

(2) अकुशल कर्मचारियों को 3 साल की लगातार संतोषजनक सेवा पर।

1-10-1971 को मस्टर रोल कर्मचारियों की संख्या 1392 थी। मस्टर रोल के कर्मचारियों को नियमित वेतन मानों में लाने के मामलों को सुलझाने में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण अनिवार्यतः कुछ विलम्ब होता है। नियमित सेवा का लाभ प्रायः एक साल/तीन साल की सेवा पूरी करने की तिथि से, जो भी लागू हो, दी जाती है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार जो कर्मचारी 240 दिन की लगातार सेवा पूरी कर लेते हैं वे भविष्यनिधि, छंटनी-भुगतान आदि के हकदार हो जाते हैं। निगम द्वारा अधिनियम के इन उपबन्धों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has stated that in the standing orders of H. E. C. Ranchi, there is no provision regarding regularisation of muster-roll workers. I, therefore want to know the reasons thereof, and whether the Government consider it desirable to include such an important item in these standing orders ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य ने ध्यान दिया होगा कि जो जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट है कि एच० ई० सी० में मस्टर-रोल के कर्मचारियों को खपाने सम्बन्धी कुछ प्रशासनिक निर्णय दिये गये हैं। मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि उनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मेरे विचार से यदि उन्हें स्थायी आदेशों में शामिल कर लेने पर भी कोई अन्तर नहीं पड़ेगा और इसी लिये उनको शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has also stated in his reply that there are 1392 muster-roll workers ; so I want to know since how long have those workers been working here otherwise it will not be easy to say whether these decisions have been correctly followed or not. Therefore let me first know their period of work.

Secondly, he has told about certain benefit being given. But how much time do you want to regularise the byelaws ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : मुझे ठीक से यह मालूम नहीं है कि 1392 मजदूरों में से प्रत्येक की कार्य अवधि कितनी है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि जब प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार उनको नियमित किया जाता है तो पिछली तारीखों से किया जाता है ताकि मजदूरों को किसी विलम्ब के कारण कोई हानि न हो अर्थात् अर्द्ध-कुशल मजदूरों को एक वर्ष बाद तथा अकुशल मजदूरों को तीन वर्ष के पश्चात् नियमित किया जाता है। परन्तु यदि नियमित करने में कोई विलम्ब होता है जिसको हम कम से कम करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें प्रशासनिक अनुदेशों में निर्धारित समय से ही नियमित किया जायेगा।

Shri Mohammad Ismail : May I know whether it is legally proper to employ contract labour, in addition to muster-roll in every department ?

श्री मोहन कुमारमंगलम् : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यदि वह यह जानकारी चाहते ही हैं तो मैं उन्हें दे सकता हूं।

Shri Mohammad Ismail : May I know whether the work being got from the contractors is legally proper or not ?

Mr. Speaker : It should have some relation with the question.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जिन श्रमिकों ने 240 दिन से अधिक सेवा की है, उन्हें नियमित किये जाने की व्यवस्था भी है। ऐसे ठेके के कर्मचारियों को, जिन्होंने 240 दिन से अधिक सेवा की है, नियमित किये जाने के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : प्रश्न हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के स्थायी आदेशों से सम्बन्धित है, जिसकी श्रेणी में ठेकेदारों के कर्मचारी नहीं आते।

Shri Sarjoo Pandey : There are so many complaints pertaining to dispute with the management and bribery etc. in respect of the labourers working on muster-roll. May I know the reasons for which these labourers were not appointed in the industry on regular basis instead of muster-rolls ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं कह चुका हूं कि इन्हें नियमित किया जा रहा है। मैं यह भी कह चुका हूं कि विलम्ब भी हो सकता है लेकिन यथासम्भव इसमें शीघ्रता करने का प्रयत्न करते हैं। शिकायतें हमेशा रहती हैं और हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं।

मजदूर संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में भारतीय श्रम सम्मेलन में इंटक द्वारा प्रस्तुत योजना

+
*400. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री राजा कुलकर्णी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1971 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में इंटक ने मजदूर संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में कोई योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उस योजना पर विचार किया है और उस पर कोई निर्णय लिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). सम्मेलन के सामने इस प्रकार की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई। फिर भी, जब कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मजदूर संघ मान्यता के प्रश्न पर किसी प्रकार के समझौते के लिए आपस में परामर्श कर रहे हैं, सम्मेलन ने उनको अपने परामर्श पूरे करने के लिए छः महीने का समय दिया है।

श्री राम सहाय पांडे : क्या इस दौरान सरकार ने भारतीय श्रम सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रीय म सम्मेलन में मजदूर संघों के प्रतिनिधियों का पुनर्गठन करने के बारे में विचार किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जब तक सत्यापन अथवा मत द्वारा संख्या निश्चित नहीं हो जाती, उस समय तक यह कहना कठिन हो जाता है कि हम उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में प्रतिनिधित्व दें। अभी हम सन् 1968 के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और सत्यापन की नई प्रणाली शुरू कर दी गयी है लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, मजदूर संघों में आपसी मतभेद है और जब तक ये मतभेद दूर नहीं किये जाते, उस समय तक कोई प्रगति करना कठिन काम है।

श्री राजा कुलकर्णी : मंत्री महोदय द्वारा केन्द्रीय मजदूर संघ संस्थाओं को दी गयी छः महीने की अवधि में से दो महीने बीत गये हैं। यदि सरकार का भविष्य में मान्यता देने का विचार नहीं है तो क्या सरकार को मौजूदा संघों को मान्यता दिये जाने सम्बन्धी बातचीत की विफलता की जानकारी है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जी, हां। दो महीने बीत गये हैं लेकिन मैंने उन्हें समझौता करने के लिये छः महीने की अवधि का वचन दिया था। मैं इसका उत्तर विस्तार से देना चाहता हूं क्योंकि यही प्रश्न फिर दोहराया जायेगा। सत्यापन अथवा मत सम्बन्धी यह प्रश्न बड़ा जटिल है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि हमें औद्योगिक सम्पर्क आयोग नामक केन्द्रीय मशीनरी स्थापित करनी चाहिये और सारा निर्णय उस पर छोड़ें लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं हुई। स्थायी श्रम समिति के जुलाई, 71 में हुऐ 29 वें अधिवेशन में लगभग वे सब सहमत हुऐ लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और हिन्द मजदूर संघ ने करार का प्रत्याख्यान किया। ऐसी दशा में, मैं माननीय सदस्य से चल रही बातचीत सम्बन्धी सुझाव के अनुसार नहीं चल सकूंगा।

श्री राजा कुलकर्णी : इस बीच केन्द्रीय मजदूर संघ संस्थाओं के वर्ष 1970 के सत्यापन में क्या प्रगति हुई है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : काम शुरू कर दिया है। इसमें पर्याप्त समय लगेगा।

Shri Phool Chand Varma : May I know whether Indian Trade Union also gave some suggestions in the Indian Labour Conference held for giving recognition to the trade unions, if so, is the Government implementing it or considering it ?

Mr. Speaker : It relates to INTUC.

अध्यक्ष महोदय : सुझावों को कार्यान्वित करने का प्रश्न उसी दशा में उत्पन्न होगा यदि सदस्यता का सत्यापन अथवा सुनिश्चयन मतदान अथवा सम्बन्धित मजदूर संघों की किसी अन्य प्रणाली द्वारा किया जाये। अतः वह प्रश्न अर्ध निर्णयाधीन है। मैं इसे इस प्रकार समझूंगा।

श्री सी० टी० दंडपाणि : देश में दो प्रकार के मजदूर संघ हैं। कुछ मजदूर संघ देश भर में काम कर रहे हैं और कुछ सीमित क्षेत्रों में। मान्यता के लिये मंत्रालय तथा आयोग अखिल भारतीय मजदूर संघों पर ही विचार करता है। कुछ अखिल भारतीय स्तर के मजदूर संघ भी हैं जिनके पास किसी क्षेत्र विशेष में कार्यकर्ताओं का बहुमत नहीं है। ऐसे मामलों में क्या सरकार क्षेत्रीय मजदूर संघों को मान्यता देने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मजदूर संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में नहीं है ? यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री आर० के० खाडिलकर : अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता के लिये कुछ योग्यताएं रखी गई हैं। एक मजदूर संघ का कार्यक्षेत्र एक राज्य तथा कारखाने से अधिक होना चाहिये और गत भारतीय श्रम सम्मेलन चार लाख की सदस्यता के लिये सर्वसम्मत था। इन सब योग्यताओं को पूरा करने पर ही एक मजदूर संघ मान्यता प्राप्त कर सकता है।

विदेशों के साथ शांति संधियां

*401. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-रूस शांति संधि की तरह कुछ अन्य देशों के साथ संधियां करने के सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रधान मंत्री वर्तमान विदेश दौरे के दौरान विदेशों में भारत-रूस संधि के बारे में जो गलतफहमियां पैदा हुईं, क्या उन्हें दूर करने के लिये प्रधान मंत्री ने ऐसी ही संधियों को अन्य देशों के साथ करने के सम्बन्ध में बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव किया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं। प्रधान मंत्री ने अपने दौरे के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि भारत ने ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा, तो क्या किसी अन्य देशों ने रखा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : अभी नहीं।

Shri Shashi Bhushan : Is the Government cosidering to enter into peace treaty of the type of Indo-Soviet Treaty with other socialist countries of the world also ?

श्री स्वर्ण सिंह : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खनन उद्योगों के श्रमिकों के लिये साझी कल्याण निधि की स्थापना

*402. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार कोयला, अभ्रक, लौह-अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, नमक और स्वर्ण के अतिरिक्त 36 खनन उद्योगों के लिए साझा कल्याण निधि स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). एक सामान्य निधि के, जिसमें कुछ खनन उद्योगों में नियोजित श्रमिकों का कल्याण सम्मिलित होगा, गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह निधि वर्तमान कोयला, अभ्रक और लौह अयस्क खानों के लिए लगभग सांविधिक कल्याण निधियों की तरह चलायी जानी अपेक्षित है। इस निधि का वित्त प्रबन्धक सम्बन्धित खनिजों पर उपकर लगाकर करना प्रस्तावित है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : जिन 36 उद्योगों का जिक्र किया गया है, उन्हें छोड़कर इन खानों से सम्बद्ध व्यक्तियों की संख्या का क्या कोई मूल्यांकन किया गया है ? यदि हां, तो इस निधि को शुरू करने के लिये मंत्रालय कौन सा आधार अपनाने पर विचार कर रहा है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : दो प्रस्ताव हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर के कर्मचारियों सम्बन्धी एक प्रस्ताव को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरा प्रस्ताव शेष खनन उद्योगों के सम्बन्ध

में है । मैं वास्तविक आंकड़े तो नहीं दे सकता, फिर भी जहां तक मुझे याद है कुल संख्या 1,05,000 है । इसे कार्यान्वित करने की योजना हम बना रहे हैं और शीघ्र ही इसके सम्बन्ध में कानून पेश किया जायेगा ।

श्री दामोदर पांडे : क्या साझा कल्याण निधि की इस योजना के अन्तर्गत अभ्रक बाकसाईट खानें भी आयेंगी ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जी, हां । इसके अन्तर्गत अभ्रक, कोयला, लौह-अयस्क, नमक तथा सोने की खानों को छोड़कर सभी प्रकार की खानें आयेंगी । चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों के बारे में हम पृथक कार्यवाही कर रहे हैं ।

कलकत्ता स्थित मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की अंशदान की राशियों का जमा न कराया जाना

*403. **श्री समर मुखर्जी : क्या श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्कस लिमिटेड ने, जिसने जादवपुर तथा बरुईपुर, जिला 24-परगना (पश्चिम बंगाल) में अपने दो कारखानें बन्द कर दिये थे, कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदानों की लाखों रुपये की राशि सरकार के पास जमा नहीं करायी थी ;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). एक विवरण जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

कर्मचारी भविष्य निधि :

मैसर्स कृष्णा सिलीकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड के दोनों कारखानें (एक जादवपुर में और दूसरा बरुईपुर में) एक प्रतिष्ठान के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की परिधि में लाए गए थे । इस प्रधिष्ठान ने अभी भी भविष्य निधि अंशदानों के बकाया की बाबत लगभग 5.46 लाख रुपयें की राशि अदा करनी है । नियोजकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट अभियोग संस्थित किए गए हैं और कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन अभियोजन-कार्यवाहियां भी शुरू की गई हैं । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन भी नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम :

(i) जादवपुर एकक की ओर 31 मार्च, 1970 तक नियोजकों के विशेष अंशदान की बाबत 1,58,459 रुपये और सितम्बर, 1968 तक कर्मचारियों के अंशदान की बाबत 309.83 रुपये और इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के अंशदान की विलंबित अदायगी पर ब्याज की बाबत 139 रुपये की राशि बकाया थी ।

(ii) बरुईपुर एकक की ओर 31 दिसम्बर, 1970 तक नियोजकों के विशेष अंशदान की बाबत 1,10,088 रुपये और नवम्बर, 1968 तक ब्याज-सहित कर्मचारियों के अंशदान की बाबत 683.40 रुपये की राशि बकाया थी । एकक की बन्दी की तारीख तक बाद की अवधि के लिए देय राशियों का निर्धारण किया जा रहा है ।

उपर्युक्त राशियों की वसूली के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन कानूनी कार्यवाही पहले ही की जा चुकी थी । बन्दी की तारीख तक की बाद की अवधि के लिए वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही विचाराधीन है । नियोजक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 85 के अधीन भी अभि-योजन चलाया गया था । उसे 25 रुपये जुर्माना किया गया या उसके अभाव में 10 दिन की सादा कैद की व्यवस्था थी ।

श्री समर मुखर्जी : विवरण में कहा गया है कि मालिकों के ऊपर भविष्य निधि अंशदान की 5.46 लाख रुपये की राशि बकाया है और इस प्रकार उन्होंने कर्मचारियों को अपने लाभ से वंचित रखा । राज्य कर्मचारी बीमा निगम के मामले में एक कारखाने ने 1,58,459 रुपये और दूसरे ने 1,10,088 रुपये की राशि जमा नहीं की । अतः कर्मचारियों के अंश को जमा न करके मालिक उन्हें धोखा दे रहे हैं । लेकिन आपने क्या कदम उठाये हैं ? आपने कानूनी कार्यवाही की और उन पर 25 रुपये का जुर्माना किया । इस प्रकार के मालिकों के प्रति इतनी उदारता क्यों है ? सरकार ने मालिकों को बकाया राशि जमा कराने के लिये वाध्य क्यों नहीं किया ? कारखानों को खोलने के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय करार भी हुआ था । क्या सरकार ने त्रिपक्षीय करार के अन्तर्गत मालिकों को कारखाने खोलने के लिये बाध्य किया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं इस बात को मानता हूं कि बकाया राशि बढ़ती जा रही है और दोषियों को दंड दिया ही जाना चाहिये । हमने उनमें से कई के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है, क्योंकि जब तक हम सख्त कार्यवाही नहीं करते, उस समय तक वमूली का काम कठिन होगा ।

श्री समर मुखर्जी : त्रिपक्षीय करार का क्या बना है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं उन्हें सूचना बाद में दूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*392. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 नवम्बर, 1971 को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लोकोशाप तथा अन्य एककों में

कर्मचारियों द्वारा एक दिन की हड़ताल किये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन ने (एच० एस० इ० यू०) जिसके आह्वान पर कर्मचारियों ने हड़ताल की थी । हड़ताल के नोटिस के साथ एक मांग-पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने 9 मांगें रखी थीं । मुख्य मांगें 16 लाख टन के चरण की कुछ इकाइयों में कर्मचारियों की संख्या को अन्तिम रूप से तय करने तथा डीजल इंजिनशाप में रेल क्रेन हेल्परों के पदों का ग्रेड बढ़ाने के बारे में थी ।

खानों से कोयला निकालने में चैकोस्लोवेकिया का सहयोग

*393. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चैकोस्लोवेकिया के सहयोग से कोयला निकालने हेतु आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

पश्चिम बंगाल में बन्द हो चुकी औद्योगिक फर्मों और कारखानों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान का जमा न कराया जाना

*394. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की बन्द हो चुकी बहुत सी फर्मों एवं कारखानों ने कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में श्रमिकों के अंशदान की राशि को रोक रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निधि में श्रमिकों के अंशदान की राशियों की उन्हें अदायगी हेतु उन फर्मों को बाध्य करने की दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). भविष्य निधि और

कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

कर्मचारी भविष्य निधि

30-6-1971 को बन्द पड़े छूट न प्राप्त ऐसे 23 प्रतिष्ठान थे, जिन्होंने नियोजकों और कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदानों के मांगों की बाबत और योजना के लागू होने से पूर्व की जमा राशियों के बकाया और 30-6-1971 को छूट के रद्द किए जाने की बाबत एक लाख रुपये और इससे अधिक भविष्य निधि अंशदानों की अदायगी में चूक की।

छूट न प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों में से अधिकांश के विरुद्ध अभियोजनों वसूली-कार्यवाहियों के रूप में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। कुछ नियोजकों के विरुद्ध विश्वास-भंग के कारण दंड-अभियोग भी शुरू किए गए हैं। कुछ प्रतिष्ठानों ने राज्य सरकारों / कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ व्यवस्थित अदायगी की योजनाओं के अनुसार बकाया राशियों का भुगतान करने के समझौते किए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

सूचना एकत्र की जा रही है।

पाकिस्तान के उच्च आयोग में एक पाकिस्तानी डाक्टर का आना

*404. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग में राजनयिक पार-पत्र के आधार पर एक डाक्टर भेजा है ;

(ख) क्या ऐसे मामलों में यह प्रथा है कि सम्बन्धित देश की सरकार से पूर्व अनुमति ली जाये ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में ऐसा किया गया था ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को प्रभावपूर्ण ढंग से भागीदार बनाना

*405. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों के प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लिए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) सभी उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लिया जाना कब तक सम्भव हो सकेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण

होने तक सरकार ने सामान्य बीमा कम्पनियों का केवल काम-काज सम्भाला है। उसमें श्रमिकों द्वारा भाग लिए जाने के प्रश्न पर समुचित समय पर विचार किया जाएगा।

(ख) शुरुआत करने के लिए, सरकार ने हिन्दुस्तान ऐंटीबायाटिक्स लिमिटेड, पिम्प्री के प्रबन्धक-बोर्ड में एक श्रमिक-निदेशक नियुक्त करने का निर्णय किया है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में श्रमिक-निदेशकों की नियुक्ति विचाराधीन है। बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन तैयार की गई एक योजना के अन्तर्गत प्रबन्धक-बोर्डों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों में से एक निदेशक नियुक्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जीवन बीमा निगम भी अपने बोर्डों में श्रमिक-निदेशक नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। अन्य उद्योगों पर इस योजना को लागू करने के बारे में सम्बन्धित पक्षों के परामर्श से तब विचार किया जाएगा जब इस मामले में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो जाएगा।

खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए एक नये उपक्रम की स्थापना करना

*406. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के अतिरिक्त किसी नये उपक्रम की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) विस्तृत खनिज समन्वेषण करने के लिए सरकार ने पब्लिक सेक्टर में निगम स्थापित करने का विनिश्चय किया है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्य भू-वैज्ञानिक मान-चित्रण और प्रारम्भिक समन्वेषण तक सीमित होगा। निगम को स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) भू-वैज्ञानिक मान-चित्रण, समन्वेषण और समुपयोजन से सम्बन्धित विभिन्न अभिकरणों के कार्यों में अनावश्यक अतिव्यापन को रोकने के लिए और वर्तमान में प्रारम्भिक समन्वेषण और वाणिज्यिक समुपयोजन में विद्यमान अन्तर को दूर करने हेतु विस्तृत समन्वेषण कार्य करने के लिए स्वशासी निगम स्थापित करने का विनिश्चय किया गया था।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन

*407. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों द्वारा की गई हड़तालों तथा उनकी हिंसात्मक गतिविधियों, आदि के कारण तथा असन्तोषजनक रखरखाव के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में चालू वर्ष में उत्पादन कितनी बार स्थगित किया गया ;

(ख) उससे उत्पादन में कितनी कमी हुई ;

(ग) श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या विशेष प्रयत्न किये गये और क्या उनके साथ कोई समझौता हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उत्पादन में वृद्धि करने और हानि को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1971 तक की अवधि में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन की संख्या तथा उनके कारण नीचे दिये गये हैं :—

	कितनी बार
1. हड़तालें	5
2. बंद	5
3. अचानक काम बन्दी	302
4. आंशिक कार्य-स्थगन	17
5. हिंसात्मक घटनाओं के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन	3

संधारण में त्रुटि के कारण उत्पादन कभी बन्द नहीं हुआ है ।

(ख) उपर्युक्त कार्य-स्थगन के फलस्वरूप 1,42,702 टन विक्रेय उत्पादन की हानि हुई, जिसका मूल्य लगभग 10.08 करोड़ रुपए होता है ।

(ग) यूनियनों के प्रतिनिधियों से वार्ता द्वारा कर्मचारियों की न्यायोचित शिकायतों को दूर करने के लिए सतत् प्रयत्न किये जाते हैं । ऐसी वार्ताओं के फलस्वरूप वर्तमान कैलेण्डर वर्ष में प्रबन्धक-वर्ग और निम्नलिखित यूनियनों के बीच निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं :—

हिन्दुस्तान एम्पलाइज यूनियन	11
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स यूनियन	3

(घ) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के उत्पादन में वृद्धि की आम योजना के अंग के रूप में सरकारी स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि उसके कार्यकरण का नियमित समयांतर से मूल्यांकन किया जा सके । यह टास्क फोर्स समस्याओं का पता लगाती है, उनके हल ढूंढती है और उनका प्रतिपालन करती है ।

मलिक-मजदूर-सम्बन्ध में सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

कारखाने के संयंत्रों और उपकरण के इष्टतम संधारण पर और लम्बी अवधि के लिए फालतू पुर्जों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की समय से सप्लाई सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

राजस्थान में चिकनी मिट्टी के भण्डार

*408. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बीकानेर जिले में चिकनी मिट्टी (क्ले) के बड़े भण्डार मिले हैं ;

(ख) क्या इसके वाणिज्यिक महत्व का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप राजस्थान के बीकानेर जिले में कालायत क्षेत्र के आस-पास मिट्टी के कई निक्षेप अवस्थित किए गए हैं ।

(ख) और (ग). भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार इन निक्षेपों में प्राप्त मिट्टी (चीनी मिट्टी और बाल मिट्टी) उत्तम श्रेणी की है तथा कागज और कपड़ा उद्योग में पूरक के रूप में प्रयोग के लिए तथा मिट्टी द्वारा निर्मित वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयुक्त है । इस क्षेत्र में अस्थायी रूप से अनुमानित मिट्टी की उपलभ्य राशियां 120 लाख टन हैं ।

संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों सम्बन्धी उच्च आयुक्त द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए अपील

*409. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त ने विश्व की सरकारों से अपील की है कि पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों की सहायता के लिए भारत द्वारा मांगी गई 55.8 करोड़ डालर की निधि जुटाने के लिए अंशदान दें ; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अब तक कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार को 27-11-1971 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से 16.53 करोड़ रुपए नकद प्राप्त हुए हैं । इसके अलावा सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से खाद्यान्न (चावल, खाने का तेल, चीनी) आश्रय-स्थान बनाने का सामान, वाहन, दवाइयों आदि के रूप में भी सहायता प्राप्त हुई है । अब तक हमें वास्तव में प्राप्त विदेशी सहायता का मूल्य 56-57 करोड़ रुपए है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से प्राप्त नकद राशि भी शामिल है ।

ब्रिटेन में भारतीय छात्र को अध्ययन के लिये अनुमति का न दिया जाना

*410. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय छात्र युगल बहल जिसे ब्रिटेन के कालेज में प्रवेश मिल गया था को ब्रिटेन में रहने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया है और तीन सप्ताह तक जेल में रखने के बाद ब्रिटेन के अधिकारियों ने उसे जबरदस्ती भारत भेज दिया है ; और

(ख) इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । युगल बहल 4 अक्तूबर, 1971 से 25 अक्तूबर, 1971 तक ब्रिटेन में रहे थे जबकि उनकी तरफ से ब्रिटिश प्राधिकारियों से

अभ्यावेदन किया जा रहा था कि उन्हें ब्रिटेन में रहने की इजाजत दी जाए। बताया जाता है कि इस अवधि में से 8 अक्तूबर, 1971 से 23 अक्तूबर, 1971 तक उनको ब्रिटेन के एक जेल में रखा गया था।

(ख) हमारे हाई कमीशन ने ब्रिटेन के गृह कार्यालय के साथ इस मामले को उठाया। हमें यह सूचित किया गया कि युगल बहल को, जो बिना प्रवेश आज्ञापत्र के न्यू कासल हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे, युनाइटेड किंगडम में नहीं घुसने दिया गया क्योंकि ब्रिटिश प्राधिकारियों का यह विचार था कि न तो उसके पास और न उसके चाचा के पास इतना धन था कि वह युनाइटेड किंगडम में एक पूर्णकालिक छात्र के रूप में रह सके। उनका यह भी विचार था कि उसके चाचा का वास्तविक उद्देश्य कोई रोजगार खोज कर ब्रिटेन में बस जाना था।

नैनी स्थित त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड में उत्पादन

*411. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **इस्पात तथा खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैनी स्थिति त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड में 18,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष के कुल उत्पादन का लक्ष्य कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या उक्त कम्पनी को तब तक घाटा होता रहेगा जब तक कि इसके उत्पादन में 'न-लाभ न हानि' की स्थिति नहीं आ जाती ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० कुमारमंगलम्) : (क) ऐसी सम्भावना है कि 1972-73 में उत्पादन 18,000 टन हो जायेगा।

(ख) आशा है मार्च 1972 तक कम्पनी की उत्पादन दर लाभ-हानि-सम-स्तर पर पहुंच जाएगी। तब तक कुछ घाटा होता रहेगा।

श्रमिक प्रशासन में एकरूपता

*412. **श्री वी० मायावन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश के श्रमिक प्रशासन में एकरूपता लाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया जायेगा ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अपने विचार बताने का अनुरोध किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों व त्रिपक्षीय निकायों के निष्कर्षों के प्रकाश में औद्योगिक विवाद अधिनियम में, संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) राज्य सरकारों के विचार, सीधे और सामान्य सलाहकार निकायों के माध्यम से निश्चित रूप से जाने गए हैं।

नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना

*414. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की तेजी से बढ़ती हुई मांग और निरन्तर कमी को देखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि उन नये कारखानों के अतिरिक्त जिनको स्थापित करने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है और अधिक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थानों का अध्ययन आरम्भ किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां।

(ख) स्थल अध्ययन कार्य 1972-73 में पूरा हो जाने की संभावना है।

बीड़ी और सिगार मजदूर (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 का लागू किया जाना

*415. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी और सिगार मजदूर (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के लागू किये जाने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) बीड़ी और सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966, 1966 में पारित हुआ था और अब तक बिहार, केरल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम, मैसूर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, (धारा 3 को छोड़कर) और पश्चिम बंगाल, (धारा 3, 14 और 16 को छोड़कर) और उड़ीसा के राज्यों में लागू किया जा चुका है। जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हरयाणा और नागालैंड के राज्यों में बीड़ी और सिगार प्रतिष्ठानों की संख्या उपेक्षणीय है। तथापि, अधिनियम के प्रवर्तन में इस तथ्य से बाधा पड़ी है कि इस अधिनियम की सांवैधानिक वैधता को चुनौती देने सम्बन्धी कई रिट् याचिकाएं कतिपय उच्च-न्यायालयों द्वारा ग्रहण की जा चुकी हैं और कुछ मामलों में रोकने के आदेश भी जारी हो चुके हैं।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 बीड़ी उद्योग में नियोजन पर प्रयोज्य है और राज्य सरकारों ने, जो कि सम्बन्धित सरकारें हैं, अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी-दरें निर्धारित की हैं। न्यूनतम मजदूरी-दरों का प्रवर्तन भी उनकी जिम्मेदारी के क्षेत्र में आता है।

पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में मजूरी संबंधी विवाद

*416. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल की जूट मिलों के श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के मध्य न्यूनतम मजूरी के प्रश्न पर उत्पन्न हुये विवाद की ओर दिलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो विवाद के विषय क्या थे ; और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार श्रमिकों ने 300 रुपये प्रति मास के न्यूनतम वेतन की मांग की है जब कि नियोजकों ने 195 रुपये का वेतन पेश किया है । पता चला है कि इस विषय पर अक्तूबर और नवम्बर, 1971 में किए गए विचार-विमर्शों के अनिश्चायक रहने के कारण पटसन श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पटसन उद्योग के लिए स्थापित की गई मजदूरी निर्धारक समिति के अध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग की है । राज्य सरकार भी इस मामले से अवगत है और उसने समझौता कराने के लिए कार्यवाही की है ।

मजदूर संघों का प्रतिनिधि-स्वरूप

*417. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप का गुप्त मतदान के द्वारा फैसला करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या फैसला किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). तीन केन्द्रीय श्रमिक संगठन अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा पारस्परिक विचार-विमर्श करते रहे हैं ताकि वे इस विषय पर किसी समझौते पर पहुंच सकें । अक्तूबर, 1971 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 27वें सत्र में उनके प्रतिनिधियों ने 6 मास का समय मांगा था जो उन्हें दिया गया ताकि वे अपने विचार-विमर्श पूर्ण कर सकें । इन विचार-विमर्शों का परिणाम मालूम हो जाने के बाद सरकार अन्तिम निर्णय लेने की स्थिति में होगी ।

केरल में कपड़ा मिलों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की राशि

*418. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के उन कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं, जिन्होंने कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई है और 31 अक्तूबर, 1971 को प्रत्येक मिल की ओर कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) उन मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). विवरण, जिसमें भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचित, केरल में, 30-6-1971 की अनुसूचित शीर्षक "टैक्सटाइल्स" में लगे, छूट न प्राप्त ऐसे प्रतिष्ठानों के नाम दिये गये हैं, जिन्होंने भविष्य निधि अंशदानों की एक लाख रुपये की राशि और इससे अधिक की अदायगी में चूक की और जिसमें देय राशियों को वसूल

करने के लिए की गई कार्यवाही से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1201/71.**]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मुख्यालय को हैदराबाद ले जाने पर किया गया व्यय

*419. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मुख्यालय को हैदराबाद ले जाने के बारे में 18 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत बारह वर्षों से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मुख्यालय को कितनी बार एक से दूसरे स्थान पर ले जाया गया और प्रत्येक बार ऐसा करने पर कितना व्यय हुआ ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : विगत 12 वर्षों के दौरान निगम का रजिस्टर्ड कार्यालय पूर्णतया दिल्ली में रहा है। तथापि, स्टाफ में वृद्धि के कारण और उपलब्ध कार्यालय-स्थान की कमी के कारण मुख्य कार्यालय और/अथवा उसके कुछ शाखाओं को दिल्ली में सात बार एक भवन से दूसरे भवन में स्थानांतरित करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त, 1963 में मुख्य कार्यालय के कुछ प्रभागों को दिल्ली से फरीदाबाद स्थानांतरित करना पड़ा था, जिनमें से कुछेक कार्यालयों को1969 में दिल्ली वापिस लाना पड़ा। इन समस्त स्थानांतरणों पर, कुल व्यय लगभग 25,000/- रु० हुआ था।

विद्रोही नागाओं द्वारा सरकार बनाया जाना

*420. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के भीतर टयून सांग क्षेत्र में विद्रोही नागाओं के एक गुट ने हांग किन गवर्नमेंट के नाम से एक सरकार बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। यह छिपे नागाओं और अधिक फूट पड़ जाने का परिणाम है जिनमें पहले ही गुटबंदी है।

(ख) सरकार पहले कई अवसरों पर छिपे नागाओं से अभी बातचीत करने के प्रश्न पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। 1960 में नागा नेताओं के साथ नागा समस्या का समाधान निकाल लिया गया था। सरकार का भूमिगत नागाओं से आगे कोई बातचीत करने का विचार नहीं है।

मध्यस्थों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

2530. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मध्यस्थता संवर्द्धन बोर्ड ने मध्यस्थता के लिये अपने समक्ष आये विभिन्न मामलों को निपटाने हेतु कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त अथवा प्रक्रियायें निश्चित की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सिद्धान्तों अथवा प्रक्रियाओं की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विवाचन वर्धन बोर्ड ने मध्यस्थों के लिये मार्गदर्शन हेतु एक स्मारक पत्र जारी करने का निर्णय किया है। उसके मसौदे पर, जो अभी बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय विवाचन वर्धन बोर्ड की एक सभा में विचार किये जाने को सम्भावना है। अन्तिम रूप देने के बाद स्मारक पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी जायेगी ?

मैसर्ज कृष्णा सिलीकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा दो कारखानों का बन्द किया जाना

2531. **श्री समर मुखर्जी :**
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज कृष्णा लिमिटेड एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता ने अपने दो कारखानों को एक जादवपुर, कलकत्ता में और दूसरा बारूपुर, 24-परगना जिला (पश्चिमी बंगाल) में अवैध रूप से बन्द कर दिया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ख) इन कारखानों के बन्द होने के परिणामस्वरूप रोजगार से वंचित हुए कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ;

(ग) क्या एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रबन्धकों ने इसका पालन नहीं किया और कारखानों को पुनः खोलने से इंकार कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन बन्द पड़े हुए कारखानों को पुनः खोलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

औद्योगिक विवाद और श्रम न्यायालय

2532. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री औद्योगिक विवाद और श्रम न्यायालय के बारे में 3 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1144 के भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) सूचना संसदीय मामलों के उप मंत्री द्वारा 25-11-1971 को सदन की मेज पर रखी गयी थी। देखिये कार्यान्विति रिपोर्ट मद संख्या 9, विवरण संख्या 5।

स्वैच्छिक मध्यस्थ-निर्णय को बढ़ावा देने के लिये त्रैमासिक प्रकाशन

2533. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मध्यस्थ-निर्णय सम्वर्धन बोर्ड ने अपनी किसी बैठक में देश में स्वैच्छिक मध्यस्थ-निर्णय को बढ़ावा देने के लिये त्रैमासिक-प्रकाशन निकालने का निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और अक्तूबर, 1971 के अन्त तक ऐसे कितने प्रकाशन निकाले गये तथा इसे किस तारीख से आरम्भ किया गया था ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी हां, परन्तु सरकार ने महसूस किया कि स्वैच्छिक मध्यस्थ-निर्णय सम्बन्धी सामग्री को स्थान देने के लिये, यदि आवश्यक हो तो, "इंडियन लेबर जर्नल"—एक मासिक प्रकाशन जो श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है, के आकार को बढ़ाकर उसे उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है बोर्ड को उसकी 10 दिसम्बर, 1970 को हुई चौथी बैठक में उक्त निर्णय से अवगत करा दिया गया था ।

राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्वर्धन बोर्ड

2534. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्वर्धन बोर्ड का वर्तमान गठन किस प्रकार का है, उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं तथा पिछली बार इसका गठन कब हुआ था ;

(ख) क्या राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्वर्धन बोर्ड प्रभावहीन सिद्ध हुआ है तथा देश में स्वैच्छिक मध्यस्थता के सवर्धन के लक्ष्य में बुरी तरह असफल रहा है ; और

(ग) सरकार इस बोर्ड को पुनः गतिशील बनाने के लिये कौन से कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व देने के लिये जुलाई, 1967 में मूल रूप से बने बोर्ड के गठन में नवम्बर, 1970 में परिवर्तन किया गया । नये बोर्ड के नवीनतम गठन के बारे में सूचना संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-1202/71.**]

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वैच्छिक मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तिका

2535. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मध्यस्थता संवर्द्धन बोर्ड ने स्वैच्छिक मध्यस्थता के बारे में प्रस्तावित पुस्तिका को तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). स्वेच्छा विवाचन की विवरणिका के मसौदे को बोर्ड के सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों के प्रकाश में अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही विवरणिका को अन्तिम रूप दिया गया, उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

अल्यूमीनियम एक्सट्रयुजंस का उत्पादन

2536. **श्री प्रताप सिंह नेगी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे निर्माताओं द्वारा निर्मित अल्यूमीनियम एक्सट्रयुजंस (कलैप्सिबल ट्यूबों के इलावा) की किस्म हिन्डालको जैसे बड़े निर्माताओं द्वारा निर्मित वैसे ही एक्सट्रयुजंस जैसी है ; और

(ख) यदि हां, तो छोटे निर्माताओं द्वारा अपने एक्सट्रयुजंस के अधिक मूल्य निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) ऐल्यूमिनियम वहिर्वेधन की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

2537. **श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरम्भ में कुछ उद्योगों तथा संस्थानों में अशंदान की दर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत बढ़ा देने के विचार से कर्मचारी भविष्य निधि और परिवारिक पेंशन अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में संशोधन करने वाला विधान अथवा कार्यपालिका आदेश कब तक पुरःस्थापित करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि भविष्य निधि के अंशदान की दर को $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत (जहां $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत है) से बढ़ाकर 8 प्रतिशत और 8 प्रतिशत, (जहां 8 प्रतिशत है) से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

कोयला खान श्रमिकों का पारिवारिक पेंशन योजना के लिए विकल्प

2538. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में क्षेत्र-वार हाल ही में लागू की गई पारिवारिक पेंशन योजना के लिये कितने श्रमिकों ने इस बीच विकल्प दिया है ;

(ख) क्या विकल्प देनें वालों की संख्या कम होने से पता चलता है कि खान श्रमिकों को इस रूप में पेंशन योजना स्वीकार्य नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो पेंशन योजना को उदार बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे अधिक श्रमिक इस योजना को स्वीकार कर लें ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है। यथासमय इसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान

2539. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से गैर-सरकारी उद्योग कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त कर के या उनकी अनुमति के बिना कर्मचारियों के वेतन का 10 प्रतिशत या इससे भी अधिक अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि में जमा कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र में ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जो गत तीन वर्षों में वर्षवार और क्षेत्रवार अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि में सांविधिक सीमा से अधिक अंशदान जमा कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और पेंशन अधिनियम में संशोधन करने हेतु ट्रस्टी बोर्ड की सिफारिशें

2540. **श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निधि के ट्रस्टी-बोर्ड द्वारा अपनी हाल ही की बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेंशन अधिनियम, 1952 में और आगे संशोधन करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो संशोधन करने वाले विधान को कब तक पेश कर दिये जाने की सम्भावता है ;

(ग) प्रस्तावित विधान की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या संशोधन करने वाले विधान में, समय पर भविष्य निधि की अदायगी न करने के दोषी नियोक्ताओं तथा उनके अधिकारियों को कड़ा दण्ड देने का प्रावधान भी किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने अपनी अनेक बैठकों में कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है। बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों सहित अनेक संशोधनों पर, जिनमें दोषी नियोजकों के विरुद्ध अधिक कड़े दण्ड की व्यवस्था है, सम्बन्धित पक्षों का परामर्श लेकर विचार किया जा रहा है।

अरब लीग भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को मैत्रीपूर्ण ढंग से दूर करने के पक्ष में

2541. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरब लीग के महासचिव, श्री अब्दुल खलक हसन से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें पाकिस्तान के साथ मतभेदों को मैत्रीपूर्ण ढंग से दूर करने के लिये अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार को अभी तक इस आशय का कोई पत्र नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में विभिन्न वेतनक्रमों वाले कर्मचारी

2542. **श्री अम्बेश** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग में (1) 200/—रुपये, (2) 500/—रुपये, (3) 1,000/—रुपये, (4) 1,500/–रुपये तक के और 1,500 रुपये से ऊपर के वेतनक्रमों वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

स्नातकोत्तर अध्यापकों और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के पदों के लिये साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार

2543. **श्री अम्बेश** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली में विषय-वार स्नातकोत्तर अध्यापकों और सामान्य रूप से प्रशिक्षित तथा विज्ञान, गणित और कृषि विषयों में विशेषकर स्नातक अध्यापकों के पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कितने उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया ; और

(ख) उनमें से कितने अध्यापकों का चयन किया गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) . उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम-संख्या	विषय	उम्मीदवारों की संख्या			
		1 नवम्बर, 1970 से 31 अक्टूबर, 1971 तक की समयावधि के दौरान नियोजक के पास साक्षात्कार के लिये भेजे गए		1 नवम्बर, 1970 से 31 अक्टूबर, 1971 तक की समयावधि के दौरान रोजगार में रखे गए	
		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन-जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन-जातियां
1	2	3	4	5	6
	स्नातकोत्तर अध्यापक				
(1)	कृषि	12	—	—	—
(2)	अर्थशास्त्र	13	—	—	—
(3)	राजनीतिक-विज्ञान	9	—	—	—
(4)	हिन्दी	4	—	—	—
(5)	अंग्रेजी	3	—	1	—
(6)	भूगोल	2	—	—	—
(7)	वाणिज्य	3	—	—	—
(8)	इतिहास	2	—	—	—
(9)	गणित	2	—	—	—
(10)	जीव-विज्ञान	2	—	—	—
(11)	मनोविज्ञान	1	—	—	—
	(ख) प्रशिक्षित स्नातकोत्तर अध्यापक				
1	विज्ञान	3	—	—	—
2	गणित (विज्ञान समेत)	1	—	—	—
3	कृषि	—	—	—	—
4	अन्य विषय	37	1	14	—

टिप्पणी :–उपरोक्त सूचना केवल 12 मास के सम्बन्ध में उपलब्ध है, क्योंकि रोजगार कार्यालयों से केवल इस समयावधि के सम्बन्ध में ही अभिलेख रखने की अपेक्षा की जाती है ।

लघु उद्योगों में इस्पात की आवश्यकता

2544. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु उद्योगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार इस्पात सप्लाई नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार इस्पात सप्लाई करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). मन्दी की समाप्ति और परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि में तेजी आ जाने से इस्पात की मांग बढ़ गई है। दुर्योगवश कई कारणों से इस्पात का उत्पादन मांग के बराबर नहीं हुआ है। अतः लघु उद्योग क्षेत्र तथा बड़े उद्योग क्षेत्र की कई इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्णतया पूर्ति सम्भव नहीं हो सकी है।

(ग) इस्पात कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। निर्यात को विनियमित कर दिया गया है और उन श्रेणियों को, जिनकी सप्लाई कम है, आयात की अनुमति देने में उदारता बरती जा रही है। वितरण प्रणाली को दोष रहित बनाया गया है। लघु उद्योग एककों को देशीय इस्पात के प्रेषक यथासम्भव राज्य लघु उद्योग निगमों की मार्फत करने का भी फैसला किया गया है।

अन्य देशों को तकनीकी जानकारी देने से अर्जित विदेशी मुद्रा

2545. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी जानकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए गत तीन वर्षों में किन किन देशों ने भारत सरकार से बातचीत की ;

(ख) ऐसे देशों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत सरकार ने तकनीकी जानकारी का प्रशिक्षण दिया ; और

(ग) इससे भारत ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में, निम्नलिखित देशों ने तकनीकी जानकारी की सहायता के लिए भारत सरकार से निवेदन किया :—

(i) अपने राष्ट्रिकों के लिए भारतीय विशेषज्ञों के प्रतिनिधि-मंडल या प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में :—

आबू धावी, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अंगोला, मित्र अरब गणराज्य, अर्जेन्तीना, बारबाडोस, ब्राजील, वर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, इथोपिया, फिजी, गाम्बिया, घाना, गुयाना, इण्डोनेशिया, इराक, ईरान, कीनिया, लाओस, लेसोथो, मलयेशिया, मालवी, मारीशस, मोरक्को, मस्कट, नाइजीरिया, यमन लोक जन गणराज्य, पेरू, फिलिपीन्स, सेनेगल, सीयरा लिओन, सिंगापुर, सोमालिया, सूडान,

सीरिया, तनजानिया, थाईलैंड, त्रिनिडाड और टोवागो, उगाण्डा, अपर वोल्टा, जैरे (पहले कौंगो किनशासा के नाम से जाना जाता था) और जाम्बिया ।

(ii) सम्भाव्यता अध्ययन तथा तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में अफगानिस्तान, श्रीलंका, फीजी, गुयाना, इण्डोनेशिया, ईरान, ईराक, लीबिया, मारीशस, यमन लोक जन गणराज्य, फिलिपीन्स, सूरीनाम, थाईलैंड, त्रिनिडाड और टोवागो ।

(ख) भारत सरकार ने निम्नलिखित देशों के राष्ट्रिकों को तकनीकी जानकारी का प्रशिक्षण दिया :—

अफगानिस्तान, अंगोला, मिश्र, अरब गणराज्य, अर्जेन्तीना, ब्राजील, वर्मा श्रीलंका, इथोपिया, फिजी, गाम्बिया, घाना, इण्डोनेशिया, इराक, ईरान, कीनिया, मलयेशिया, मालदी, व मारीशस, नेपाल, नाइजीरिया, यमन लोक जन गणराज्य, पेरू, फिलिपीन्स, सेनेगल, सियरा, लिओन, सिंगापुर, सोमालिया, सूडान, सीरिया, तनजानिया, थाईलैंड, उगांडा, वियतनाम, जाम्बिया ।

(ग) जहां तक भारतीय विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल या प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था के रूप में तकनीकी सहायता देने का सम्बन्ध है भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मित्र देशों को यह सहायता दी गई थी जैसे भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, विशेष राष्ट्र-मंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम कोलम्बो योजना और कुछ मामलों में, आपसी सहयोग के करार के अंग के रूप में । चूंकि विकासशील देशों में, मुख्य रूप से, विशिष्ट जनशक्ति संसाधनों को विकसित करना तथा उनकी इस प्रकार की जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है अतः कोई प्रत्यक्ष वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करना इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नहीं है । इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता । विशेषज्ञों के भेजने में जो खर्च होता है उसे हमारे और सहायता प्राप्त करने वाले देशों में सम्मत आधार पर बांट लिया जाता है ।

जहां तक सम्भाव्यता अध्ययन तथा तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध है इनके साथ भी किसी वाणिज्यिक पक्ष को आवश्यक रूप से जोड़े बिना मित्र देशों को सामान्यतः सीधी सहायता देने के रूप में ये किए जाते हैं । लेकिन सम्भाव्यता अध्ययन कर लेने के बाद वाणिज्यिक संविदा किया जा सकता है । उदाहरण के लिए रद्दी-इस्पात गलाने के संयंत्र के लिए, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने लीबिया में सम्भाव्यता अध्ययन का कार्य अपने हाथ में लिया और भारत सरकार ने धन दिया और इसके बाद संयंत्र सम्बन्धी परामर्श के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के साथ संविदा किया गया ।

इस्पात का आयात

2546. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार वर्ष 1971-72 के लिए कितनी मात्रा में इस्पात का आयात करेगी ;

(ख) इस्पात का आयात किन-किन एजेंसियों के माध्यम से तथा किन-किन देशों से किया जाता है ।

(ग) क्या किसी अन्य देश के जहाज द्वारा इस्पात के आयात पर भारतीय जहाज से आयात किये जाने वाले इस्पात की तुलना में बहुत अधिक भाड़ा लगता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उक्त त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). 1971-72 में सरकारी क्षेत्र का एजेंसियों द्वारा लगभग आठ लाख टन इस्पात आयात करने का अनुमान है ।

सरकारी क्षेत्र में आयात करने वाली मुख्य एजेंसियों हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा रेलवे है । भारत की राज्य व्यापार निगम का औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र भी कुछ आयात करता है ।

मुख्यतः आयात जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, अमरीका, हालैण्ड पूर्वी यूरोप के देश तथा अन्य दूसरे देशों से जो हमारी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त प्रकार के इस्पात की सप्लाई कर सकते हैं, किया जाता है ।

(ग) जहां भारतीय अथवा दूसरे देशों के जहाजों द्वारा आयात करने में भाड़े में अन्तर नहीं होता, आयात अधिकतर लाइनर शर्तों पर किया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी

2547. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या का नवीनतम अनुमान क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ग). सम्पूर्ण निजी क्षेत्र के रोजगार अवसरों से सम्बन्धित यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी रोजगार बाजार अध्ययनों के अनुसार जिनमें केवल संगठित क्षेत्र* आता हैं, निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में, जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं, रोजगार अवसरों में अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 के दौरान 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उससे पिछले वर्ष में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । मार्च, 1971 में अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र* में कुल रोजगार अवसर 175 लाख थे ।

(ख) प्रारम्भिक आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन किये जाने तक, इस समय इस कमी का कारण बताना कठिन है ।

---

*सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र में गैर-कृषि प्रतिष्ठान, जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं ।

बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना

2548. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री श्यामनन्दन मिश्र :
श्री माधुर्य्य हाल्दार :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह नये इस्पात संयंत्रों में उत्पादन के बारे में 18, नवम्बर 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). प्रथम धमन भट्टी कम्पलेक्स का सिविल कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा निर्माण-कार्य तेजी से चल रहा है। अक्तूबर, 1971 के अन्त तक प्रथम धमन भट्टी कम्पलेक्स के लिए भवन का निर्माण तथा प्रौद्योगिक ढांचों की स्थापना का लगभग 90 प्रतिशत कार्य, तापसह ईंटों को लगाने का लगभग 80 प्रतिशत कार्य तथा यांत्रिक और विद्युत उपकरणों की स्थापना का लगभग 61 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। समस्त प्रथम चरण के लिए लगभग 96 प्रतिशत खुदाई का काम, लगभग 80 प्रतिशत कंक्रीट का काम, 76 प्रतिशत भूमिगत संचार कार्य, लगभग 47 प्रतिशत बिल्डिंग तथा प्रौद्योगिक ढांचों की स्थापना का कार्य तथा लगभग 23 प्रतिशत यांत्रिक तथा विद्युत उपकरणों की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका हैं।

(ख) अक्तूबर, 1971 के अन्त तक बोकारो इस्पात परियोजना के प्रथम चरण पर कुल 548.50 करोड़ रुपये के लगभग खर्च हो चुके थे।

कलकत्ता में बिड़लाओं के कार्यालयों का पुनः खुलना

2549. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री समर मुखर्जी :
श्री के० मालन्ना :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक कोई युक्ति संगत और प्रभावी उपाय किये हैं जिससे कलकत्ता में बिड़लाओं के कार्यालय पुनः खुल जायें और कर्मचारियों को अपने अपने रोजगार पर पुनः लिया जा सके ;

(ख) क्या वह 23 अगस्त, 1971 को सम्बन्धित कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से उनके इस आशय के ज्ञापन के उत्तर में मिले थे और उन्हें यह आश्वासन दिया था कि उनके 29 अगस्त, 1971 को कलकत्ता जाने पर वह इस मामले पर विचार करेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले के सम्मानपूर्ण हल के लिए और सम्बन्धित कार्यालयों को शीघ्र पुनः खुलवाने के लिए जो गत 21 मास से बन्द हैं, सरकार के प्रयत्नों में क्या प्रगति हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस मामले में आधुनिकतम स्थिति के बारे में सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है ।

(ख) और (ग). जी हां, यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया गया है ।

मध्य प्रदेश की कोयला खानों में मजदूर संघ

2550. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य की सभी कोयला खानों में कितने मजदूर संघ हैं ;

(ख) किन मजदूर संघों में सबसे अधिक सदस्य हैं ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने उनको मान्यता दी हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है ।

Vatican Type in Status to Nankana Sahib

2551. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Pakistan has prepared a scheme to declare Nankana Sahib as a Vatican City ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have no information to this effect.

(b) Does not arise.

कोयला खानों की ओर स्वामित्व (रायल्टी) की बकाया राशि

2552. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कोक-कोयला खानों के मालिकों की ओर स्वामित्व की बहुत बड़ी राशि बकाया है जिनको सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक खान मालिक की ओर कितनी कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) उपर्युक्त बकाया राशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

सियालदाह स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल

2553. **डा० सरदीश राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सियालदाह (पश्चिम बंगाल) स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में सितम्बर मास में की गई भूख-हड़ताल की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उन्हें सितम्बर के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, सियालदाह के कर्मचारियों की मांगों या अनशन के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में कैमिस्टों की दूकानों को रात्रि में खोला जाना

2554. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कैमिस्टों की दुकानों का रात को खुले रहना अब बन्द हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि ये दुकानें रात्रि को भी खुली रहें ताकि जनता को असुविधा न हो ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां । संघ शासित क्षेत्र में दिन रात खुली रहने वाली औषधयोजक कैमिस्टों की 7 दुकानों में से इस समय केवल एक कैमिस्ट दुकान, अर्थात् मैसर्स कैम्प एण्ड को० रविवार की रात्रि छोड़कर 24 घंटे खुली रहती है ।

(ख) दिल्ली स्टेट कैमिस्ट्स ऐसोसिएशन में दिल्ली प्रशासन को, जो दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के बारे में परिपालक प्राधिकारी है, ये कारण दिये हैं कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 के कारण कैमिस्टों को लाभ की पर्याप्त गुंजाइश नहीं है जिससे कि वे रात्रि सेवा दे सकें ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली स्टेट कैमिस्ट्स ऐसोसिएशन से अनुरोध किया था कि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ चुने हुए कैमिस्टों को प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न दिनों को 24 घंटो की सेवा जारी रखनी चाहिए और की दूकानों की सामान्य कार्य-घंटों के बाद खोलने के लिए उपयुक्त उतप्रेरक के बारे में विचार किया जा सकता है परन्तु कैमिस्टों ने रात्रि सेवा चालू करने से इन्कार कर दिया ।

भारत में सोवियत संघ के सांस्कृतिक केन्द्र संस्थायें

2555. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत संघ ने भारत में कितने सांस्कृतिक केन्द्र अथवा संस्थायें स्थापित कर रखी हैं तथा उनके नाम क्या हैं और वे कहां-कहां पर हैं ;

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित राजनयिक अथवा कौंसली मिशनों की सांस्कृतिक शाखाओं को छोड़कर भारत में अन्यत्र कोई सांस्कृतिक केन्द्र नहीं हैं।

लाजपतराय मार्किट, दिल्ली में सम्पत्ति के स्वामित्व का हस्तान्तरण

2556. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री 1 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3565 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लाजपतराय मार्किट, दिल्ली में सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है तथा सम्पत्ति की लागत को किन शर्तों पर तथा ढंग से वसूल किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : लाजपतराय मार्केट में सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण का प्रश्न तथा उसके मूल्य की वसूली की शर्तों और पद्धति का अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों तथा सरकार के बीच विवाद पर राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित न करना

2557. **श्री अमर नाथ विद्यालंकार :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड के कर्मचारियों तथा सरकार के मध्य विवाद पर राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा 4 मार्च, 1960 को दिये गये पंचाट को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पंचाट को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). रक्षा मन्त्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार आल इंडिया कैन्टोमेंट बोर्ड एम्पलाईज फेडरेशन, समय समय पर न्यायाधिकरण के पंचाट की क्रियान्विति से उत्पन्न मामलों को सरकार के ध्यान में लाती रही है। इनमें से अधिकांश मामले, व्यक्तिगत मामलों के बारे में पंचाट की व्याख्या से सम्बन्ध रखते हैं जिन पर विचार और निर्णय गुण दोष के आधार पर किया जाता है। ऐसी सूचना दी गई है कि केवल सामान्य विषय जिसको अन्तिम रूप देना बाकी है, भर्ती पदोन्नति और बदली आदि से सम्बन्धित नियम बनाने के बारे में है। फैडरेशन ने सरकार द्वारा 1969 के दौरान दूसरी बार प्रकाशित नियमों में कुछ तरमीम करने का सुझाव दिया है। मामला रक्षा मन्त्रालय के विचाराधीन है।

बंगाल चतकल मजदूर संघ द्वारा हड़ताल की धमकी

2558. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल चतकल मजदूर संघ ने जूट उद्योग में निरन्तर हड़ताल की धमकी दी है यदि मजदूर संघों और उद्योग के व्यवस्थापकों के बीच चल रही द्विपक्षीय बातचीत में कोई समझौता नहीं होता ;

(ख) यदि हां, तो द्विपक्षीय बातचीत का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और हड़ताल को टालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सरकार के पास बंगाल चतकल मजदूर यूनियन द्वारा दी गयी किसी हड़ताल की धमकी की सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). श्रमिकों ने मांग की है कि नियोजक और अधिक न्यूनतम वेतन देना स्वीकार करें। मामला जूट उद्योग की वेतन निर्धारक समिति के समक्ष है।

नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में हुई हानि

2560. **श्री एम० गोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में नवेलो लिग्नाइट कारपोरेशन को कितनी हानि हुई ; और

(ख) सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है जिससे यह कारपोरेशन लाभ अर्जित करने लगे ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा उपगत हानियां इस प्रकार थीं :—

	लाख रुपयों में
1967-68	551.06
1968-69	227.97
1969-70	204.73

(ख) नेवेली लिग्नाइट निगम को मुख्यतः उपभोक्ता एककों को अनुकूलतम स्तरों पर संक्रियाशील करने हेतु लिग्नाइट की अपेक्षित मात्राओं की अनुपलभ्यता, और उर्वरक संयंत्र में संक्रियात्मक एवं प्रक्रियागत कठिनाईयों के कारण हानियां हो रही हैं। उपक्रम के भौतकीय और आर्थिक कार्यकरण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं :—

(i) लिग्नाइट खान के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वर्तमान मशीनरी की मरम्मत और

नवीकरण का कार्यक्रम बनाया गया है। खनन क्षमता में वृद्धि करने के लिए, आगे की ओर अतिरिक्त खनन मशीनरी भी प्राप्त की जा रही है।

(ii) नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा प्रजनित बिजली की विद्यमान दर तमिलनाडु राज्य विद्युत् बोर्ड के साथ किए गए 4 वर्षीय करार के अधीन नियत की गई है, उस करार की अवधि मार्च 1972 को समाप्त होती है। विगत 3 वर्षों में बिजली प्रजनन की लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल, 1972 से उच्चतर दर नियत करने के लिए तमिलनाडु राज्य विद्युत् बोर्ड से बात-चीत प्रारम्भ की गई है।

(iii) उर्वरक संयंत्र के निम्न उत्पादन के लिए अनेक प्रक्रियात्मक कठिनाईयां उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, संयंत्र में पर्याप्त मरम्मत और पुनः कल्पन (ओवर हाल) की आवश्यकता है। संयंत्र की कमियों का परिशोधन कर प्रक्रियात्मक कठिनाईयां दूर करने हेतु कदम उठाए गए हैं। आशा की जाती है कि 1971-72 की अपेक्षा 1972-73 में उत्पादन अधिक होगा।

(iv) उपक्रम के लिये वैज्ञानिक सामान तालिका नियन्त्रण पद्धति स्थापित करने के लिए और उससे तालिका में अविरुद्ध पूंजी को कम करने के लिए नेवेली लिग्नाइट निगम की तालिकाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रारम्भ किया गया है।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की यूनियन से मांग-पत्र

2561. **श्री रेणुपद दास : क्या इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगस्त के महीने में दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के कार्मिक संघों से एक सात सूत्री मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दुर्गापुर प्रायोजना लिमिटेड के कर्मचारियों की तीन यूनियनें हैं :—

(1) दुर्गापुर प्रायोजना कर्मचारी यूनियन,

(2) कर्मचारी यूनियन, और

(3) स्टाफ और कर्मचारी संगम।

प्रथम दो यूनियनों ने अगस्त, 1971 में या उस कालावधि के दौरान के लगभग कोई मांग-पत्र प्रस्तुत नहीं किया, परन्तु उन्होंने जुलाई, 1971 में अपनी सेवा शर्तों से सम्बन्धित अनेक मांगों के लिए संयंत्र में आन्दोलन किए। तथापि, तृतीय यूनियन नें दुर्गापुर प्रायोजना लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक को 31 जुलाई, 1971 को (न कि अगस्त, 1971 में) एक 8 सूत्री मांग-पत्र (न कि 7 सूत्री मांग-पत्र जैसाकि प्रश्न में उल्लिखित है) प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति पश्चिमी बंगाल सरकार को भी भेजी गई है।

(ख) मांग की मुख्य बातें उपबन्ध 'क' के विवरण में दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1203/71.**]

(ग) यूनियन की विभिन्न मांगों पर विचार करने के पश्चात और यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के उपरान्त, पश्चिमी बंगाल सरकार ने समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए समिति को गठित किया है। समिति की संरचना और निर्देश-निबन्धन उपबन्ध 'ख' के विवरण में दिए गए हैं। समिति का कार्य प्रगति पर है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1203/71.**]

श्री फिजो के साथ समझौते की संभावनायें

2562. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में श्री फिजों के साथ समझौता होने की कोई सम्भावना है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जी नहीं। फिजो चूंकि ब्रिटिश नागरिक हैं इसलिए नागालैंड में उनकी कोई अधिकारिता नहीं।

संयुक्त राष्ट्र की निधियों में अमरीकी अंशदान में कटौती

2564. **श्री भोला मांझी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व संगठन से तायवान के निकाले जाने के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की निधियों में अमरीकी अंशदान में कटौती करने पर अमरीका द्वारा विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। अमरीकी काग्रेस में इस आशय की बात उठाई गई है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र चार्टर में ऐसा निहित है कि "संगठन का खर्च महासभा द्वारा अनुभाजित तरीके से इसके सदस्य वहन करेंगे।"

जहां तक विकास क्षेत्र में संगठन की सक्रिय गतिविधियों का प्रश्न है, इसके लिए धन की व्यवस्था अधिकांशत: स्वेच्छिक अंशदान से होती है। लेकिन किसी भी प्रमुख विकसित देश द्वारा ऐसे अंशदानों में कोई कमी करना द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक को अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति के अनुकूल नहीं होगा।

गैस-पाइप लाइनों से गैस निकलने के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में लोगों का हताहत होना

2565. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अगस्त, 1971 को, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में धमन भट्टी विभाग की गैस की

पाईप लाइनों से गैस निकलने के कारण उक्त संयंत्र के हैवी मेंटिनेन्स डिपार्टमेंट के एक चौकीदार की मृत्यु हो गई थी तथा अन्य 33 व्यक्ति घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त घटना की जांच कराई है और उक्त जांच से क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 18/19 अगस्त, 1971 को धमन भट्ठी की गैस सांस के साथ अन्दर जाने से एक चौकीदार की मृत्यु हो गई थी तथा 22 दूसरे लोगों पर भी गैस का प्रभाव पड़ा था।

(ख) जांच करने वाली समिति इस नतीजे पर पहुंची थी कि धमन भट्ठी की गैस लाइन की सील टूटने के कारण यह दुर्घटना हुई थी।

(ग) समति ने कई सुझाव दिए हैं, जिनमें वाटर सील का संशोधन भी शामिल है। जिस समय तक ये परिवर्तन नहीं कर दिए जाते, तब तक प्रत्येक पाली में कड़ी सामान्य जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा हीरों की निलामी

2566. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का वाणिज्य विभाग देश के विभिन्न स्थानों पर हीरों की नीलामी करता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर तथा कितनी बार उक्त नीलामी हुई ; और

(ग) इस विभाग में कुल कितने कर्मचारी कार्य करते हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के वाणिज्यिक स्कंध का गठन मई 1970 में ही हुआ था। तब से जयपुर, बंगलौर, पन्ना, दिल्ली, बम्बई और मद्रास में नियमित अंतरालों में कुल 11 नीलिमियां हुई हैं।

(ग) इस स्कंध के कर्मचारियों की कुल संख्या 12 है।

फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का भवन

2567. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
श्री हरी सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में फरीदाबाद में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अपना भवन तथा कर्मचारियों के क्वार्टर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण कब हुआ था और इनका प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित भवन, उनके समक्ष दर्शित वर्षों के दौरान निर्मित किए गए थे :—

(1) अस्थायी कार्यालय भवन (शेड) जिसमें दो खण्ड सम्मिलित हैं, 1963-64 के दौरान निर्मित ।

(2) अतिरिक्त कार्यालय भवन, 1965-66 के दौरान निर्मित ।

(3) आवासीय कालोनी को, जिसमें 56 क्वार्टर तथा एक समाज केन्द्र सम्मिलित हैं, 1966-67 में सम्पूरित किया गया ।

(4) नया कार्यालय भवन 1967-68 में सम्पूरित किया गया ।

(5) अयस्क प्रसाधन प्रयोगशाला का निर्माण 1969-70 में किया गया था ।

जबकि निगम के अनुसंधानिक प्रयोगशाला तथा योजना प्रभाग के पूर्वेक्षण स्कंध को अस्थायी कार्यालय भवन में स्थान दिया गया है, कार्यालय के शेष स्थान को मई, 1968 से हवाई खनिज सर्वेक्षण को किराये पर दिया गया है ।

निगम के कर्मचारियों द्वारा आवासीय कालोनी तथा समाज केन्द्र का प्रयोग किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा दिल्ली में किराये पर लिया गया स्थान

2568. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मोहन सिंह प्लेस (मार्किट) इर्विन रेड, नई दिल्ली में 36,000 रुपये मासिक किराये का स्थान लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह स्थान किस दिन से किराये पर लिया गया है और उसकी शर्तें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां । मासिक किराया 36,048/— रुपए है ।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने परिसर को 1 मार्च, 1971 को अपने अधिकार में लिया । यद्यपि, नई दिल्ली नगर पालिका और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बीच अभी तक कोई औपचारिक पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है, तथापि प्रस्तावित करार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रारम्भ में स्थान को 1 मार्च, 1971 से पांच वर्ष के लिए अनुज्ञप्त किया गया है जिसको दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से विस्तारित किया जा सकता है तथा किसी भी

पक्ष द्वारा तीन माह की लिखित रूप में सूचना देने के पश्चात् संविदा के समाप्त करने का विकल्प भी है ।

(2) संविदा के सम्यक और निष्ठा पूर्वक निष्पादन के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने तीन मास के किराए की समतुल्य धनराशि को प्रतिभूति के रूप में जमा किया है ।

(3) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अनुज्ञप्त स्थान को केवल कार्यालय के रूप में ही प्रयुक्त किया जा सकता है ।

(4) भवन को अधिकार में लेने के पश्चात्, भूतल किराया, मकान किराया और अन्य ऐसे कर जो उद्गृहीत किए जाएं, को छोड़कर समस्त अन्य वास्तविक प्रभाव के संदाय की जिम्मेदारी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की होगी ।

चीन द्वारा भारत पर पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप

2569. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री जे० बी० पटनायक :
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन में दिये गये एक वक्तव्य में भारत पर पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है और बंगला देश की समस्या को केवल पाकिस्तान की घरेलू समस्या बताया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में चीन की सरकार से विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो चीन सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हमने चीन सरकार को बता दिया है कि उनके आरोप निराधार हैं और विदेश मन्त्री ने अपने वक्तव्य में उनका स्पष्ट रूप से खंडन किया है ।

(ग) लेकिन चीन की सरकार के विचार अब भी वही हैं, जो पहले थे ।

1970 में हड़तालें

2570. **डा० सरदीश राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में कुल कितनी हड़तालें हुयीं और उनमें कितने कर्मचारियों ने भाग लिया ;

(ख) क्या वर्ष 1967 की तुलना में वर्ष 1970 में हड़तालों की संख्या में 100 प्रतिशत तथा हड़तालों में भाग लेने वालों की संख्या में 300 प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1970 में हुई हड़तालों की कुल संख्या 2,598 थी और इन हड़तालों में भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या लगभग 15.5 लाख थी।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसा नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजने की अमरीकी योजना

2571. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उप महाद्वीप में स्थिति का अध्ययन करने के लिये छः सदस्यीय आयोग भेजने की राष्ट्रपति निक्सन की योजना सरकार को प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं । सरकार ने दक्षिण एशियाई को राहत पहुंचाने के लिए सहायता के वास्ते एक सलाहकार समिति के गठन किए जाने के बारे में बयान देखे हैं, जिसकी स्थापना उनके कथनानुसार, विशुद्धतः मानवीय उद्देश्यों से की गई है। जो भी हो, हमसे भारत में इस समिति को सहयोग देने की प्रार्थना नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में मजदूरों के लिये आवास सुविधायें

2572. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित सरकारी तथा गैर-सरकारी पंजीकृत कारखानों के मजदूरों के लिये आवास-सुविधायें जुटाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) गत दो वर्षों में कितने आवास एककों की व्यवस्था की गई है तथा आगामी दो वर्षों में कितने आवास-एककों की व्यवस्था करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन दिल्ली प्रशासन, मिल मालिकों और पंजीकृत श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा पंजीकृत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, घर बनाये गये हैं।

(ख) पिछले दो सालों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2036 घर बनाये गये थे और आगामी दो सालों के दौरान 696 घर बनाने का प्रस्ताव है।

कोयला खानों से कोयला निकालना

2573. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या कोयला अनुमानित वार्षिक मांग के अनुसार ही निकाला जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोयला खानों की कुल निर्धारित वार्षिक सम्भाव्य उत्पादन क्षमता लगभग 900 लाख टन प्रतिवर्ष है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इसके मुख्य कारण कोयला उद्योग द्वारा कोयले का रेल द्वारा संचलन के लिए वैगनों की अत्यन्त कमी तथा इस्पात संयंत्रों द्वारा कोयले का कम अपक्रय है।

Memo from Hatia Worker's Union to Managing Director of H. E. C., Ranchi

2574. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Hatia Worker's Union has submitted a memorandum to the Managing Director of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi in regard to the demands of the workers of the gas plant ;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) There is no union named Hatia Workers Union. A memorandum has however been received by the management of Heavy Engineering Corporation from the Hatia Kamgar Union ; which is not the recognised Union.

(b) The demand made by the Union are of a general nature, and relate to promotions, allowances etc.

(c) This is a matter within the purview of the company management and the State Government.

बिरला स्टोन लाइम क्वैरी, उड़ीसा का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

2575. **श्री गजाधर माझी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सर्वश्री एस० नारायण स्वामी, एस० सी० चक्रवर्ती, ए० आर० गोकुल द्वारा लिखित भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था की बुलेटिन संख्या 12, जो 'उड़ीसा' के सुन्दरगढ़ जिले में डीलोमाइट निक्षेपों में चूना पत्थर सम्बन्धी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में है, की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वीरमित्रपुर की बिसरा स्टोन लाइम क्वैरी का, 1971-72 में इसके वर्तमान पट्टे के समाप्त हो जाने पर, राष्ट्रीयकरण करने का है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) (क) सर्वश्री एस० नारायण स्वामी, एस० सी० चक्रवर्ती और ए० आर० गोकुल द्वारा दी गई रिपोर्ट में यह उपदर्शित किया गया है कि सुन्दरगढ़ जिले के छह क्षेत्रों में सीमेन्ट और फलक्स ग्रेड के चूना पत्थर की लगभग 3070 लाख टन और डोलोमाइट की लगभग 2540 लाख टन उपलभ्य राशियां हैं। अकेले वीरमित्रपुर क्षेत्र में चूना पत्थर और डोलोमाइट की उपलभ्य राशियां क्रमश: 2740 और 2520 लाख टन तक है ।

(ख) इस समय सरकार का वीरमित्रपुर में बिश्रा स्टोन लाइम क्वैरी को अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Payment of Interim Relief to Employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi

2576. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of labourers, employees and officers working in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, separately ;

(b) whether an interim relief ranging from Rs. 25 to Rs. 45 per month is being paid to the officers there, whereas other employees are being paid Rs. 10 only as dearness allowance ; and

(c) if so, the justification for this discriminatory policy ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) (i) Persons in posts carrying a pay, or on a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 1,000/-.	1263
(ii) Persons in posts carrying a pay, or on a scale of pay with a maximum, of not less than Rs. 690/- but less than Rs. 1,000/-	748
(iii) Persons in posts carrying a pay, or on a scale of pay with a maximum, of over Rs. 200/- but less than Rs. 690/-	10,960
(iv) Persons in post carrying a pay or on a scale of pay with a maximum of Rs. 200 or less.	4937
	17,908

(b) and (c). Interim relief has been granted to certain categories of officers on the analogy of interim relief granted by the Government of India on the basis of the interim recommendations of the Third Pay Commission. In accordance with this, interim relief at the rate of Rs. 45/- P. M. is payable to personnel drawing pay in the following scales, with effct from 1.3.70 :—

(i) Rs. 450-1,250
(ii) Rs. 600-1,300
(iii) Rs. 700-1,150
(iv) Rs. 700-1,250
(v) Rs. 1,100-1,400

Subject to Marginal adjustments that in the case of doctors, D. A. plus non-practising allowance plus interim relief, does not exceed Rs. 1,295/- p. m. and in the case of others pay plus interim relief does not'exceed Rs. 1,295.

In case of personnel drawing pay in the replacement scales of Rs. 400-900, Rs. 480-1,000, and Rs. 480-1,100, interim relief is payable at the rate of Rs. 45/- P. M. with effect from 1.3.70 subject to the condition that actual financial benefits already derived by them as on 1.11.68 due to revision of scales of pay is to be deducted from Rs. 45/- with effect from 1.3.70. In the case of those personnel whose scale of pay has not been revised, interim relief of Rs. 45/- p. m. is payable with effect from 1.3.70 without any adjustment.

In the case of workers, as per agreement dated 27.11.69 with the recognised union the pay scales of the workers had been revised allowing an increase of 10% over their gross amoluments as on 31.10.68 with effect from 1.11.68 subject to a minimum of Rs. 30/- and maximum of Rs. 35/-. The D. A. of workers has been fixed with reference to the different scales and is linked with All India Consumer Price Index. The base index has been assumed as 174 (base 1950-100) and rise and fall is to be calculated on quarterly average of all India Consumers Price Index for workers with effect from 1.1.1969. Increase or decrease over the base point of 174 is to be made at the rate of Rs. 1 per point. The increased D. A. payable to workers during the quarter ending 1.10.71 to 31.12.71 on this basis comes to Rs. 19 per month which is over and above the minimum increase of Rs. 30/- allowed to them in consequence of rationalisation of their pay scales. Thus the workers get minimum net financial benefit of Rs. 49/- (Rs. 30/- + 19/-) as against Rs. 45/- paid as interim relief to officers.

इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन

2577. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों में हाल के कुछ वर्षों में इस्पात के उत्पादन में भारी कमी हुई है और इसलिये यह औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कम पड़ रहा है ;

(ख) क्या उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशों से इस्पात के आयात की व्यवस्था के बारे में सरकार ने हाल ही में अनुमान लगाया है विशेष रूप से उन कारखानों के लिये जो अपनी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो देश के इस्पात संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात सौर खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) निम्नलिखित सारणी में मुख्य इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात उत्पादन दिखाया गया है :

(हजार टन)

	1968-69	1969-70	1970-71	अप्रैल-अक्तूबर 71
भिलाई	1,344	1,496	1,549	832
दुर्गापुर	500	494	413	252
राउरकेला	773	796	684	324
टिस्को	1,465	1,440	1,375	755
इस्को	640	568	523	279
योग :	4,722	4,794	4,544	2,442

(ख) और (ग). समय-समय पर देशीय उपलब्धि का पुर्नविलोकन किया जाता है और दोष-रहित वितरण प्रणाली, आयात में वृद्धि, निर्यात के विनियमन और उत्पादन में वृद्धि द्वारा प्राथमिक उद्योगों को इस्पात की यथासम्भव सप्लाई के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

आयात नीति से 1971-72 में कमी काफी हद तक पूरी हो जायेगी।

सभी कारखानों को कच्चा माल, फालतू पुर्जे और संघटक प्राप्त करने में सहायता दी जा रही है ताकि वे उत्पादन में आने वाली बाधाओं पर काबू पा सकें।

बंद पड़े कारखानों का पुनः खोला जाना

2579. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्द पड़े कारखानों के प्रश्न को राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया गया है और बन्द पड़े कारखानों को पुनः खोलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी हां। काम बंदियां कच्चे माख की कमी, श्रमिक अशांति, आर्थिक कठिनाइयों, कुप्रबन्ध आदि के कारण हो सकती हैं। कच्चे माल की कमी के मामलों में जहां, आवश्यक होता है वहां सरकार अग्रिम आयात लाइसेंस जारी करती है। श्रमिक अशांति के मामले में तथा राज्य औद्योगिक सम्पर्क तंत्र बन्द यूनिटों को पुनः चालू कराने के लिए अनुनय द्वारा प्रयास करता है। आर्थिक सहायता की प्रार्थनाओं पर ऐसी सहायता सम्बन्धी नियमों के अनुसार समुचित अभिकरणों द्वारा विचार किया जाता है। जहां तक कुप्रबन्ध के कारण कामबन्दी का प्रश्न है, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। हाल ही का उद्योग (विकास और विनियम) संशोधन अध्यादेश, 1971 सरकार को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में बिना जांच-पड़ताल के बन्द यूनिटों को अपने अधीन ले लेने का अधिकार प्रदान करता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पहली अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1971 की अवधि के दौरान बन्द हुए कारखानों की संख्या 3,115 थी। 31 मार्च, 1971 की अब भी बन्द पड़े कारखानों की संख्या 2397 थी। उपर्युक्त अवधि के दौरान पुनः चालू हुए कारखानों की संख्या 718 है।

बेराजगार श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

2580. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बेरोजगारी के आंकड़े और बेरोजगारी के बारे में बिशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष श्री रोबर्ट मेकनमारां के विवरण का समर्थन करते हैं कि विकासशील देशों में श्रमिकों में से 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक व्यक्ति बेरोजगार हैं ;

(ख) क्या भारत में रोजगार ढूंढने वाले व्यक्तियों की संख्या जो वर्ष 1968 में 28 लाख थी, बढ़ कर इस समय 47 लाख हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बड़ी समस्या का हल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) देश में बेरोजगारी के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बेरोजगारी आंकड़ा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में जिससे सम्भाव्यतः माननीय सदस्य का आशय है, श्री रोबर्ट मेंकनमारा के वक्तव्य समर्थन हेतु पोषी आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) जी हां, मई 1968 और जुलाई, 1971 के दौरान।

(ग) इस सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या 970 के भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में दिनांक 7-7-1971 को सभा-पटल पर रखे विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में खनिज निक्षेप

2581. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हाल में बड़े खनिज निक्षेप मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन खनिज निक्षेपों का कोई विश्लेषण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा उनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने के बारे में क्या सम्भावनायें हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1966 से हिमाचल प्रदेश में किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, सिरमूर जिले के कामसर और सातौन क्षेत्रों में चूना पत्थर के वृहदाकार निक्षेप होने का अनुमान है। सिरमूर जिले के कांती और तातियाना क्षेत्रों में बाराइट्स के और शिमला जिले की ओछाघाट क्षेत्र में रॉक के फास्फेट के कुछ लघु निक्षेप भी अवस्थित हुए हैं।

(ख) और (ग). चूना पत्थर का विश्लेषण पहले ही किया जा चुका है और उसके आधार पर इस (सातौन) चूना पत्थर को एक सीमेंट के कारखाने के लिये, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा पहले ही दी जा चुकी है, आरक्षित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बाराइट्स के प्राप्ति स्थलों को समुपयोजनार्थ पट्टे पर दिया गया है। रॉक फास्फेट हेतु आगे के कार्य में प्रगति हो रही है और उपलभ्य राशियों की मात्रा और प्रकार के स्पष्टतः पता लगने पर इन निक्षेपों के वाणिज्यिक समुपयोजन के विषय में विनिश्चय लिया जाएगा।

इस्पात के वितरण की पद्धति

2582. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के इस्पात संयंत्रों द्वारा उपभोक्ताओं को इस्पात का वितरण करने की वर्तमान पद्धति क्या है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की पुनर्बेलन मिलों को इस्पात की सलाखों, बिलेट और अंतिम उत्पादों की बिक्री के लिये अपने एजेंट नियुक्त करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(घ) इस्पात के उत्पादों की बिक्री के मामलों में व्यापारियों के कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के इस्पात कारखानों का अधिकतर उत्पादन इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा हर तिमाही में दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर वास्तविक उपभोक्ताओं को सप्लाई कर दिया जाता है बाकी माल उत्पादकों के सारे देश में खोले गये स्टाकयार्डों के माध्यम से छोटे उपभोक्ताओं, व्यापारियों तथा स्टाकयार्डों को पुन: बिक्री के लिये वितरित कर दिया जाता है। स्टाकयार्डों से इस्पात के वितरण के लिए भी संयुक्त संयंत्र समिति ने एक समान नीति बनाई हुई है। फिर भी, बिलेटों की आपूर्ति केवल पंजीकृत बिलेट पुनर्बेलकों को ही की जाती है जिसका आवंटन बिलेट पुनर्बेलक समिति द्वारा सरकार से अनुमोदित वार्षिक नीति के अनुसार किया जाता है।

(ख) और (ग). जहां तक पंजीकृत बिलेट पुनर्बेलकों का सम्बन्ध है बिलेट पुनर्बेलक समिति द्वारा उन्हें आवंटित किये गये बिलेटों से निर्मित उत्पाद उसी समिति के निर्देशों के अनुसार वितरित किये जाते हैं। अन्य पुनर्बेलक अपने उत्पादों को अपनी इच्छानुसार बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) इस्पात कारखानों के उत्पादन का कुछ प्रतिशत हर तिमाही व्यापारियों को वितरण के लिए अलग से रख दिया जाता है। इस माल की पुन: बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। फिर भी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वास्तविक इस्तेमाल के लिए दिया गया कुछ माल खुले बाजार में बेचा जा रहा है। इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए देश के विभिन्न भागों में लोहा और इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं तथा उनका एक कार्य इस्पात के दुरुपयोग को रोकना है। लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश में भी संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप अब इस्पात का उस उद्देश्य के लिए प्रयोग न करना, जिसके लिए उसका आवंटन किया गया है अथवा आवेदन किया गया था इस आदेश का उल्लंघन माना जायेगा तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दंडनीय होगा। ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से भी सहायता ली जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों द्वारा कार खरीदने के लिये अग्रिम राशि लिया जाना

2583. **श्री मुहम्मद जमीलुईइमान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कितने अधिकारियों ने कार खरीदने के लिये अग्रिम राशि प्राप्त की है, उनका ब्यौरा क्या है तथा 1 अगस्त, 1971 को उनके पदनाम और वेतनमान क्या थे ;

(ख) क्या जमशेदपुर, रांची और केरल राज्य में नियुक्त अधिकारियों ने कार खरीदने के लिये पहले अनुमति प्राप्त कर ली थी ;

(ग) क्या नियमों के अधीन मोटर-गाड़ियों के लिये अग्रिम राशि दी जा सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नियम क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अपेक्षित सूचना उनके पास इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ). कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सामान्यतः इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नियमावली को अपनाता है ।

दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का बन्द किया जाना

2584. **श्री शशि भूषण :**
श्री अमरनाथ चावला :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सातों केन्द्रों के सभी प्रशिक्षक कुछ मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या इन सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है ; और

(घ) प्रशिक्षणार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) ये मांगें मुख्यतः वेतनमानों में संशोधन, सेवाकाल में प्रशिक्षण भत्ते, निरीक्षण भत्ते, स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन, कर्मचारियों के तबादले आदि के बारे में हैं ।

(ग) जी हां, संस्थानों के शिक्षण खण्डों को हड़ताल की अवधि तक बन्द कर दिया गया है ।

(घ) शिक्षण कर्मचारियों की हड़ताल बन्द करने के लिये राजी करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

Number of Males and Females among Bangla Desh Refugees

2585. **Dr. Laxminarain Pandey :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the number of males and females in the age group of 15 to 45 years out of the total number of refugees, who have crossed over to India from Bangla Desh so far ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The required information is not available, as statistics showing the number of refugees in different age groups are not compiled.

भू-जल विंग का कृषि मन्त्रालय को हस्तांतरण

2586. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-जल विंग को कृषि मन्त्रालय को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार ने हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूतल-जल स्कंद को कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय भूतल-जल बोर्ड के साथ समामेलित करने का विनिश्चय किया है ।

(ख) उपर्युक्त विनिश्चय इस आधार पर किया गया है कि भूतल-जल संसाधनों का समन्वेषण और समुपयोजन जो इस समय पृथक संगठनों द्वारा किया जा रहा है, वे कृत्यों में प्रत्यक्षत: सम्बन्धित हैं, और ऐसे एकल संगठन की अपेक्षा करते हैं जिसके पास केवल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक समर्थताएं ही नहीं हैं, अपितु केन्द्रीय और राज्य विधान के ढांचे में ही संसाधनों के प्रयोग पर नियंत्रण पर विशेष बल देते हुए समग्रत: योजना तथा प्रबन्ध से सम्बन्धित क्रियाकलापों को निबाहने की क्षमता भी रखता है । एक और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और दूसरी ओर केन्द्रीय भूतल-जल बोर्ड के मध्य विभाजित उत्तरदायित्व, पर्याप्त मात्रा में अपव्ययी-द्वीगुपीकरण के अतिरिक्त उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में भी अवरोधक है अत: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूतल-जल बोर्ड के साथ समामेलित करने का विनिश्चय किया गया है ।

क्रयादेश पूरे करने में विलम्ब

2587. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनी और किन-किन फर्मों ने क्रयादेशों को पूरा नहीं किया है ;

(ख) उनको कुल कितने मूल्य के क्रयादेश दिये गये थे और निर्धारित समय पर माल सप्लाई न करने के वे कहां तक दोषी हैं ; और

(ग) दोषी सम्भरणकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मन्त्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन पार्टियों को क्रयादेश दिये गये थे उनकी संख्या कई हजार है । पिछले तीन वर्षों में जिन पार्टियों ने निर्धारित समय में क्रयादेशों को पूरा नहीं किया था, उनके बारे में विस्तृत ब्योरों का इकट्ठा करना बड़ा भारी काम है, और ऐसी जानकारी संकलित करने में जो समय और परिश्रम लगेगा, वह उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

(ग) दोषी पूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के कई उपाय, उनके साथ किये गये ठेकों की शर्तों में ही लिखे हुए हैं । उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(क) सप्लाई में विलम्ब होने के कारण दोषी पूर्तिकर्ताओं पर निर्धारित हर्जाना लगा दिया जाता है ।

(ख) ठेके की शर्तों के भंग होने या दोष आने की दशा में उन ठेकों को, दोषी फर्मों के अपने जोखिम और खर्च पर रद्द कर दिया जाता है, और यदि दुबारा खरीद

पर कोई अतिरिक्त खर्च किया गया हो तो उसे दोषी ठेकेदार से वसूल कर लिया जाता है। जहां कहीं जोखिम-क्रय सम्बन्धी हानि की वसूली सम्भव नहीं होती, वहां सामान्य हर्जानों को वसूल करने के लिये कार्यवाही की जाती है।

(ग) दोषी फर्मों द्वारा भविष्य में दिये गये टेंडरों पर निर्णय करते समय, उनके पिछले कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) दोषी फर्मों को, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में रखी जाने वाली स्वीकृत पूर्तिकर्ताओं की सूची में से भी निकाला जा सकता है।

(ङ) यदि कोई फर्म निरन्तर गलतियां करती है, तो उस दशा में उसके साथ व्यापारिक सम्बन्ध निलम्बित कर दिये जाते हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा निर्मित उपकरण

2588. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा निर्मित उपकरणों के बारे में 3 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1210 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा दिये गये क्रयादेशों और हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा उनकी पूर्ति के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या भविष्य में बोकारो को निर्बाध रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने अपनी तकनीकी व उत्पादन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो किन मदों के सम्बन्ध में अभी भी कठिनाई है और इस कमी को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1-11-1971 को बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के लिये भारी इंजीनियरी निगम द्वारा यांत्रिक उपकरणों की सप्लाई की स्थिति नीचे दी गई है :–

(टन)

मद	कुल भार	1-11-1971 तक प्रदाय कार्यक्रम	वास्तविक प्रदाय	निश्चित कार्यक्रम से पहले किये गये प्रेषण	कुल प्रेषण
यान्त्रिक उपकरण	72,240	69,926	36,078,59	272	36,350.59

(ख) भारी इंजीनियरी निगम ने कुछ प्रौद्योगिक और उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं पर काबू पा लिया है परन्तु कुछ क्रिटिकल मदों के उत्पादन में वांछित दर प्राप्त करने में अभी कुछ कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं।

(ग) भारी रिजेक्शन अथवा कास्टिंग्स के दोषों को दूर करने की आवश्यकता के कारण भारी इंजीनियरिंग निगम निम्नलिखित साज-समान समय पर सप्लाई नहीं कर सकी है।

	जितनी मात्रा के लिये आर्डर दिये गये थे	जितनी मात्रा सप्लाई की गई
लाइम मिक्सिंग टैंक	5 टक	2 टैंक
कोल्ड ब्लास्ट वाल्व	13 वाल्व	1 वाल्व
सैपेरेटिंग वाल्व	4 वाल्व	–

इनके अलावा भारी इंजीनियरी निगम दरवाजों की चौखटें, फ्लैश प्लेटें, किवाड़ अपेक्षित दर पर सप्लाई नहीं कर सकी है। सप्लाई में कमी को पूरा करने के लिये इनमें से कुछ मदों का आयात करने के लिये कार्यवाही की गई है।

मैंगनीज अयस्क खानों का पुनः खोला जाना

2589. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री मैंगनीज अयस्क खानों के बन्द किये जाने के बारे में 3 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1182 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी मैंगनीज अयस्क खानों को पुनः खोल दिया गया है तथा वह कहां-कहां पर स्थित हैं ; और

(ख) निर्यात बाजार में अपने मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1968 के दौरान बन्द की गई 52 मैंगनीज खानों में से तदनन्तर 10 खानें पुनः चालू की गई थीं जिनमें से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 6, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 2 और मैसूर के उत्तरी कनारा जिले तथा महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक एक हैं।

1969 में बन्द की गई 48 खानों में से 3 खानें मैसूर के उत्तरी कनारा और बेल्लारी जिलों में प्रत्येक में एक एक तथा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक खान तदनन्तर चालू की गई।

1970 में बन्द की गई 26 खानों में से अभी तक कोई भी खान पुनः चालू नहीं की गई है।

(ख) खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क का विदेशी बाजारों में विक्रय प्रतिस्पर्द्धात्मक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर किया जाता है। तथा निर्यात में हुई किसी हानि को इस समय निगम द्वारा ही आमेलित किया जाता है। मैंगनीज अयस्क का निर्यात 1967-68 में 10.66 करोड़ रुपए मूल्य के 10.32 लाख टन से बढ़कर 1970-71 में 13.60 करोड़ रुपए मूल्य के 16.30 लाख टन हो गया है।

युद्ध विराम रेखा के पार संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के स्वच्छन्द रूप से घूमने पर प्रतिबन्ध

2590. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के युद्ध विराम रेखा के पार तथा जम्मू क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्वच्छन्द रूप से घूमने पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विराम सन्धि का उल्लंघन नहीं है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं लेकिन यह ज्ञात नहीं हुआ है कि यदि ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये हैं तो किस सीमा तक ।

(ख) और (ग). यह प्रश्न कि क्या ये प्रतिबन्ध संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के आवागमन से सम्बद्ध प्रबन्धों का उल्लंघन करते हैं तभी उठ सकता है, जब इस बात की ठीक ठीक जानकारी मिल जाए कि प्रतिबन्ध किस प्रकार के हैं ।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च आयुक्त का दौरा

2591. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री पी० एम० मेहता :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त हाल ही में भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था ;

(ग) क्या दान के अतिरिक्त, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की ओर से अन्य वस्तुओं की सप्लाई के लिए कोई योजना भी बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां, 6 से 9 नवम्बर, 1971 तक ।

(ख) उनके दौरे का उद्देश्य यह जानना था कि उनके संगठन द्वारा चलाई जा रही राहत सहायता के तकनीकी और कार्य विधि सम्बन्धी पहलुओं की नवीनतम स्थिति क्या है ताकि वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की 26वीं बैठक में होने वाले विचार-विमर्श के दौरान सदस्य देशों को वहां की सही और नवीनतम स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट दे सकें ।

(ग) सरकार को संयुक्त राष्ट्र की केन्द्रीय एजेन्सी के जरिए नकद तथा सामान दोनों प्रकार की मदद मिल रही है ।

(घ) संयुक्त राष्ट्र केन्द्रीय एजेन्सी के अनुसार, 16 नवम्बर, 1971 तक कुल 161,412,986 अमरीकी डालर की सहायता का आश्वासन मिला है । सामान के रूप में सहायता में अन्न गाड़ियां,

पालिथेलीन का कपड़ा, कम्बल, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, टीके और पोषक खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

हरिपुर कोयला खान, आसनसोल के श्रमिकों की हड़ताल

2592. **श्री रोबिन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल की कोयला-पट्टी में इखरा के निकट हरिपुर कोयला खान के श्रमिकों ने 148 श्रमिकों की छंटनी के विरोध-स्वरूप सितम्बर में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस छंटनी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार उन्हें बहाल करने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां, 144 कर्मचारियों की छंटनी के विरोध में।

(ख) छंटनी के निम्नलिखित कारण दिए गए :—

(1) वित्तीय हानियां।

(2) कोयले के चूरे की उपलब्धि की ऊंची लागत और पर्याप्त मात्रा में कोयले का चूरा उपलब्ध करने में कठिनाई।

(3) न बिके कोयले के भण्डार का संचय।

(4) कोयला काटने की अतिरिक्त मशीनों की अप्राप्यता ;और

(5) कोयला भर्ती संगठन के श्रमिकों के नियोजन का अभाव।

(ग) और (घ). सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रानीगंज ने मामले में हस्तक्षेप किया और उसकी सलाह पर 13 सितम्बर, 1971 को पहली पारी से हड़ताल समाप्त कर दी गई। प्रबन्धकों ने छंटनी किए गए 144 कर्मकारों में से 136 को वापस रोजगार में ले लिया। सरकार के पास 8 कर्मकारों की छंटनी से सम्बन्धित विवाद के बारे में एक समझौता विफलता रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है। पता चला है कि प्रबन्धकों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सभी कर्मकारों को छंटनी मुआवजा पेश किया था और केवल एक कर्मकार ने मुआवजा स्वीकार किया।

आसनसोल कोयला-पट्टी के कोयला खान श्रमिकों को देय बकाया मजूरी

2593. **श्री रोबिन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1971 को बर्दवान जिले (पश्चिम बंगाल) में आसनसोल कोयला-पट्टी में कोयला खानों और खानों की, और कोयला खान श्रमिकों की अनुमानतः मजूरी तथा अन्य बकाया राशि कितनी थी ;

(ख) इस पट्टी में उन कोयला खानों और अन्य खानों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है ; और

(ग) सरकार ने इन कोयला खानों के मालिकों की मजूरी और बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सरकार को मालूम है कि आसनसोल कोयला पट्टी में कुछ कोयला खानों के प्रबन्धकों ने श्रमिकों को मजदूरी तथा अन्य देय राशियों का भुगतान नहीं किया है । इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । सरकार दोषी नियोजकों के विरुद्ध वर्तमान कानूनों के अधीन पहले से ही समुचित कार्यवाही कर रही है । इन प्रयासों को तेज किया जा रहा है ।

भारत द्वारा कथित सीमा उल्लंघन

2594. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को इस्लामाबाद में 5 सितम्बर, 1971 को दिये गये एक स्मरण-पत्र में आरोप लगाया है कि भारत ने सीमा उल्लंघन किये हैं और दोनों देशों के बीच युद्ध और इस उप-महाद्वीप की शान्ति और सुरक्षा को भारत से गम्भीर खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हमारे वायु-क्षेत्र एवं सीमा का बराबर उल्लंघन करने की बात को छिपाने के लिए तथा विश्व मत को इस भुलावे में डालने के लिए कि वर्तमान स्थिति भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है, जो कि यह वास्तव में नहीं है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ समय-समय पर झूठे एवं शुद्ध प्रचारक आरोप लगाये हैं। सरकार ने इन निराधार आरोपों को अस्वीकार किया है।

बंगला देश से आये शरणार्थियों को अन्यत्र भेजने के लिए विशेष रेल गाड़ियां

2595. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों को कलकत्ता से बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम और उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय शिविरों में ले जाने के लिए विशेष रेलगाड़यां चलाई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों द्वारा तथा परिवहन के अन्य साधनों द्वारा कितने शरणार्थियों को इन शिविरों को भेजा गया ;

(ग) शरणार्थियों की देख-भाल के लिए क्या व्यवस्था की गई है ; और

(घ) इन राज्यों में स्थित केन्द्रीय शिविरों में कितने शरणार्थी ले जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां । पश्चिम बंगाल से शरणार्थियों को बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय शिविरों तथा पश्चिम बंगाल के आन्तरिक क्षेत्रों में ले जाने के लिए विशेष गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की जा रही है । इसी तरह त्रिपुरा से शरणार्थियों को आसाम में स्थित केन्द्रीय शिविरों में ले जाने के लिए विशेष गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) पश्चिम बंगाल से लगभग 2.60 लाख शरणार्थियों को बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित केन्द्रीय शिविरों में भेजा जा चुका है ।

(ग) केन्द्रीय शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और वस्त्रों, कम्बलों आदि के रूप में अन्य राहत सहायता दी जाती है ।

(घ) मूल योजना के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में खोले जाने वाले प्रस्तावित केन्द्रीय शिविरों में लगभग 7 लाख शरणार्थियों को भेजने का प्रस्ताव था ।

एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि दल

2596. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तेहरान में होने वाले आगामी सातवें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में श्रमिक प्रतिनिधियों को चुन लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चुने गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रतिनिधियों को चुनने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में मजदूरों के भाग लेने के बारे में मजदूर संघ के संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव

2597. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्डों में मजदूरों के भाग लेने की योजना के बारे में केन्द्रीय मजदूर संघ के संगठनों ने कोई सुझाव भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). कुछ केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों के विचारों से प्रतीत होगा कि श्रमिकों को प्रबन्ध में शाप फ्लोर से लेकर प्रबन्धक बोर्ड तक के सभी स्तरों पर भाग लेना चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मशीन मजदूर संघ, नई दिल्ली के पदधारियों की पदच्युति

2598. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मशीन मजदूर संघ, नई दिल्ली में 23 नवम्बर, 1971 को प्रबन्ध द्वारा उनके पदधारियों को पदच्युत करने के बारे में कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उत्पीड़ित कर्मचारियों की बहाली के लिये प्रबन्ध पर जोर डालने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). यूनियन से एक ज्ञापन तारीख 26 अक्तूबर का (न कि 23 अक्तूबर, 1971 का) प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के अलावा उनके दो पदाधिकारियों को, जो कार चालक थे, पदच्युत कर दिये जाने का आरोप लगाया गया है। तथापि प्रबन्धक यह तर्क करते हैं कि ये चालक कम्पनी के कर्मचारी नहीं हैं बल्कि कम्पनी के पदाधिकारियों के निजी कर्मचारी हैं। दिल्ली प्रशासन मामले की परीक्षा कर रहा है और सम्बन्धित पक्षों के साथ पहले ही अनेक बार भेंट कर चुका है।

पाकिस्तान को भेजे गये विरोध-पत्र

2599. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों में पाकिस्तान सरकार को कितने विरोध-पत्र भेजे गये ;

(ख) कितने प्रत्युत्तर प्राप्त हुए ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1 जून से 29 नवम्बर, 1971 तक पाकिस्तान से 58 बार विरोध प्रकट किया है।

(ख) 33।

(ग) सरकार के विरोधों का सम्बन्ध, पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमाओं पर निरन्तर गोली-बारी और हमारी वायु-सीमा का अनुत्तरदायित्वपूर्ण उल्लंघन से था। सरकार के विरोधों पर कोई ध्यान देने के बजाए पाकिस्तान ने अपनी उत्तेजनात्मक कार्रवाइयां जारी रखी हैं, अपनी सारी सशस्त्र सेनाओं को हमारी सीमाओं पर आक्रामक ढ़ंग से तैनात कर दिया है और भारत के साथ पूर्ण युद्ध की धमकी दी है। सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

बाजार फंड, फोर्ट सैंडमैन, क्वेटा (पश्चिम पाकिस्तान) के भूतपूर्व सैनिकों को देय सामान्य भविष्य निधि की राशि

2600. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार फंड, फोर्ट सैंडमैन, क्वेटा (पश्चिम पाकिस्तान) के भूतपूर्व सैनिकों को 24 वर्ष बीत जाने पर भी अपनी सामान्य भविष्य निधि की राशि का भुगतान नहीं हुआ है ;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों से कई बार अभ्यावेदन मिले हैं और पश्चिम पाकिस्तान सरकार को स्मरण-पत्र भेजने के अतिरिक्त और कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा 24 वर्ष तक उनकी जमा राशि पर कौन सी सरकार ब्याज देगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार बाजार फंड, फोर्ट सैंडमैन, क्वेटा (पश्चिम पाकिस्तान) के एक भूतपूर्व सैनिक का ऐसा मामला है जिसमें उसे भविष्य निधि की राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). इस दावेदार से समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । निर्धारित पद्धति के अनुसार ऐसे दावों को पाकिस्तान सरकार द्वारा सत्यापित किया जाता है और दावेदारों को वहां से भुगतान प्राधिकार मिलने पर भुगतान किया जाता है । उपर्युक्त विशेष दावे को पाकिस्तान सरकार द्वारा अभी तक सत्यापित नहीं किया गया, जबकि वहां के सम्बन्धित अधिकारियों को समय-समय पर स्मरण-पत्र भी दिए गए हैं । तथापि पाकिस्तान सरकार द्वारा की जाने वाली देरी के कारण होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक तदर्थ योजना चालू की है जिसके अनुसार पाकिस्तान में रह गई भविष्य निधि की स्लिप प्रस्तुत करने पर भविष्य निधि लेखे में दिखाई गई राशि का 50% भाग दे दिया जाता है । चूंकि इस दावेदार ने अपनी भविष्य निधि की स्लिप प्रस्तुत नहीं की है, अतः उसको इस योजना के अन्तर्गत राहत देना सम्भव नहीं हो सका है ।

भविष्य निधि के नियमों तथा पाकिस्तान सरकार के साथ हुए करार के अनुसार नौकरी छोड़ने के समय से 6 माह की अवधि तक ब्याज दिया जाता है ।

माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड को हुई हानि

2601. **श्री एस० एम० शिवस्वामी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 से माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड को हुई 25.35 करोड़ रुपये की हानि का विश्लेषण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह हानि कौन-कौन से क्षेत्रों में हुई है ; और

(ग) बार-बार होने वाली इस हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) और (ख). 1967-68 से 1970-71 तक माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लि० को कुल 25.87 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इसका विवरण इस प्रकार है :—

(1) परिचालन सम्बन्धी घाटा	8.37 करोड़ रुपए
(2) सरकारी ऋण पर ब्याज	8.24 करोड़ रुपए
(3) मूल्य ह्रास	6.10 करोड़ रुपए
(4) निर्माणकालीन व्यय जिसे पूंजीकृत नहीं किया गया जिसे आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में बट्टे खाते डाल दिया गया।	3.16 करोड़ रुपए
योग...	25.87 करोड़ रुपए

(ग) घाटे का मुख्य कारण यह है कि इसे उस प्रकार के खनन यंत्रों के लिए समुचित आर्डर नहीं मिले जिनके लिए इस कारखाने को स्थापित किया गया था। अन्य सहायक कारण ये हैं :— (1) विविधीकरण की प्रौद्योगिक समस्यायें, (2) बैंच उत्पादन के लिए पुनरावृत्ति वाले आर्डरों की कमी, (3) कारखाने में कम उत्पादिता, (4) औद्योगिक अशांति, (5) विभिन्न कर्मशालाओं और अनुभागों को कार्य सौंपने में असंतुलन, (6) भारी ऊपरी खर्च जिनमें मूल्य ह्रास और ब्याज शामिल है, और (7) संगठनात्मक त्रुटियां/उत्पादन में वृद्धि के लिए कई कदम उठाये गये हैं, उनमें कुछ प्रमुख उपाय ये हैं :— (1) वरिष्ठ प्रबन्धकों के स्तर पर अधिकारियों का पुनर्गठन, (2) उत्पादन में विविधीकरण, (3) उत्पादन आयोजन और नियंत्रण को सशक्त करना, (4) कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना, और (5) मालिक-मजदूर सम्बन्धों में सुधार। ऋण पर ब्याज के अत्यधिक बोझ को कम करने और इस उपक्रम के इतिहास को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के पूंजीगत ढांचे का पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हुई हानि

2602. **श्री एस० एम० शिवस्वामी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को 1958 से हुई 74.40 करोड़ रुपये की संचित हानि के बारे में सरकार ने कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो यह हानि किन-किन क्षेत्रों में हुई है ; और

(ग) उक्त कारपोरेशन को बार-बार होने वाली हानियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). 31 मार्च, 1970 तक कुल 58.90 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। 1970-71 का हिसाब-किताब अभी

तैयार नहीं हुआ है। अस्थायी तौर पर अनुमान लगाया गया है कि 31 मार्च, 1971 तक कुल घाटा लगभग 75.09 करोड़ रुपये होगा।

घाटे का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपये	
फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट	40.23	कच्चे आंकड़े
हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	28.04	
हैवी मशीन टूल्स प्लांट	6.82	
योग...	75.09	

(ग) भारी लागत और लम्बी जेस्टेशन अवधि के कारण इस आकार-प्रकार के कारखाने के उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में घाटा होना अनिवार्य है। कुछ सीमा तक भारी इंजीनियरिंग निगम को हुए घाटे का कारण उत्पादन में धीमी प्रगति है जिसके कई कारण हैं और जिनमें मालिक-मजदूर संबंधों का सन्तोषजनक न होना भी शामिल है। ब्याज के भारी बोझ, मूल्य ह्रास और ऊपरी खर्चे भी इन घाटों के कारण बने हैं।

उत्पादन नियंत्रण की योजना में सुधार लाने, लक्ष्योन्मुख कार्यक्रम लागू करने, प्रबन्धकों की कार्यकुशलता बढ़ाने और कर्मचारियों की उत्पादिता में सुधार करने के बहुमुखी उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों के फलस्वरूप भारी इंजीनियरी निगम के कार्यकरण में कुछ सुधार हुआ है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

2603. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 की तुलना में वर्ष 1969-70 में हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में कुल लाभ कम हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) लाभ कम होने के प्रश्न की जांच के लिये कम्पनी ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० की वर्ष 1965-66 और 1969-70 की वार्षिक रिपोर्टों और लेखों में दिखाये गये शुद्ध लाभ की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। 1965-66 में बोकारो परियोजना के केवल स्थल समतलीकरण का काम आरम्भ किया गया था और ठेकेखाते का समस्त अधिशेष लाभ-हानि खाते में डाल दिया गया था परन्तु 1969-70 में कम्पनी सिविल इंजीनियरी और ढांचों के संविरचन के कार्य कर रही थी। यह काम 3-4 साल तक चलता रहता है और ठेके का पक्का हिसाब-किताब काम पूरा हो जाने के बाद ही तैयार किया जा सकता है। इन हालात में 1969-70 में ठेकेखाते के अधिशेष का कुछ भाग ही लाभ-हानि खाते में डाला गया और 1.48 करोड़ रुपये की बाकी रकम "चल रहे कार्य" के खाते में डाली गई।

(ख) ऊपर (क) में बताई गई स्थिति को देखते हुए लाभ में कोई कमी नहीं हुई है और कम्पनी द्वारा लाभ को बढ़ाने के लिए कोई विशेष कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता निगम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न कराया जाना

2604. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता निगम के अधिकारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि की 40 लाख रुपये की राशि जमा नहीं कराई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि समस्त कलकत्ता निगम, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि धारा 1952 के अन्तर्गत नहीं आता, परन्तु निगम के केवल तीन एकक नामतः (i) प्रिंटिंग प्रेस, (ii) ऐंटेली वर्कशाप और (iii) मोटर विहिकल वर्कशाप उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 27ए के अधीन छूट की मंजूरी के लिए राज्य सरकार द्वारा निगम का आवेदन-पत्र अस्वीकार किया गया है। उपर्युक्त तीन एककों के सम्बन्ध में अनुपालन कराने के प्रश्न पर भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है। निगम द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों की अनुपस्थिति में निगम द्वारा देय सही राशि की जांच नहीं की जा सकी।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य का पुनर्विलोकन करने वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशें

2605. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य का पुनर्विलोकन करने वाली समिति ने मंत्री को दिये गये अपने आठवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि कलकत्ता में 14.98 लाख रुपये का अनुमानित घाटा उठाकर भी दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जायें ;

(ख) क्या समिति के अनुसार, उन संस्थानों में दो पारियों में 448 विस्थापित स्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सिफारिश पर अगर कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) समिति की रिपोर्ट पर पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

इस्पात का उत्पादन

2606. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान देश में विभिन्न प्रकार के इस्पात की कुल कितनी-कितनी मांग रही और कुल कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक प्रकार के इस्पात का कितना-कितना आयात किया गया तथा उनका मूल्य कितना-कितना है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक प्रकार के इस्पात की कितनी मांग होने की सम्भावना है ; और

(घ) इस मांग को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् के अध्ययनों के अनुसार 1970-71 और 1971-72 में तैयार साधारण इस्पात की मांग क्रमशः 52 लाख टन और 56 लाख टन होगी।

1970-71 और 1971-72 (अप्रैल-सितम्बर, 1971) में तैयार साधारण इस्पात का वर्गानुसार उत्पादन तालिका संख्या 1 दिया गया है : [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1204/71.**]

(ख) 1970-71 और 1971-72 (केवल अप्रैल, 1971) में तैयार सामान्य इस्पात के आयात का ब्यौरा तालिका 2 में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1204/71.**] इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उत्पादन और आयात के लिये वर्गीकरण बिल्कुल एक जैसा नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अगस्त, 1971 में लगाये गये अनुमानों के अनुसार 1975 में तैयार सामान्य इस्पात की वर्गानुसार मांग तालिका 3 में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1204/71.**]

(घ) मांग को पूरा करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों में अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों से देशीय उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न शामिल होंगे। यदि आवश्यक हुआ तो मांग की पूर्ति के लिये आयात में वृद्धि करने, वितरण प्रणाली को दोषरहित बनाने और निर्यात को विनियमित करने के प्रयत्न जारी रखे जायेंगे।

संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय प्रकाशन का सेंसर किया जाना

2607. **श्री पी० के० देव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक 25 जुलाई, 1971 के 'स्टेट्समैन' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि संयुक्त अरब गणराज्य ने भारतीय दूतावास द्वारा काहिरा के एक दैनिक में प्रकाशित एक विज्ञापन में काट-छांट की है जो बंगला देश पर भारत के दृष्टिकोण के बारे में था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां। सरकार ने इस पर गौर किया है।

बोनस अधिनियम पर त्रिपक्षीय समिति

2608. **श्री वी० मायावन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस अधिनियम की कार्य-प्रणाली की जांच के लिये एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रचना और निर्देश पद क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खान श्रमिकों के लिये उपदान

2609. **श्री वी० मायावन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में श्रमिकों के लिये उपदान योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). संसद के चालू सत्र के दौरान औद्योगिक श्रमिकों को उपदान देने के सम्बन्ध में एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है। कोयला खानों के श्रमिकों के इस विधेयक के अन्तर्गत आने की सम्भावना है।

कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं का विलय

2610. **श्री वी० मायावन** :
श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के विलय का प्रस्ताव उस विशेष अधिकारी द्वारा जिसको इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया गया था, तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित हो जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). विशेष अधिकारी की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है।

उत्तर बंगाल में छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना

2611. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल में छोटा इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विषय में कोई अनुरोध किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी नहीं ।

रोजगार की स्थिति में सुधार न होना

2612. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 5 नवम्बर, 1971 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में श्रम और पुनर्वास मंत्री के इस वक्तव्य के बारे में छपे समाचारों को पढ़ा है, जो उन्होंने केन्द्रीय रोजगार समिति के समक्ष दिया था और कहा था कि जैसी पहले आशा थी देश की रोजगार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य जोकि सम्बन्धित समाचार-पत्र में सही रूप में प्रकाशित नहीं किया गया है, रोजगार बाजार सूचना अध्ययनों के परिणामों पर आधारित था, जिसके अनुसार अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में 1970-71 में रोजगार अवसरों में 2.2 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था, जब की उससे पिछले वर्ष में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । सरकारी क्षेत्र में तो रोजगार स्थिति (1969-70) में 2.5 प्रतिशत के मुकाबले में 1970-71 में 3.2 प्रतिशत में पिछले वर्षों की अपेक्षा सुधार हुआ है, परन्तु निजी क्षेत्र में वृद्धि दर का स्तर 2.4 प्रतिशत से घट कर 0.7 प्रतिशत रह गया ।

(ख) और (ग). प्रारम्भिक आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन किए जाने तक, इस समय इस कमी के कारण बताना कठिन है ।

पश्चिम बंगाल में कोयला खान के मालिकों द्वारा कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान न किया जाना

2613. **श्री के० लकप्पा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में कतिपय कोयला खानों के मालिकों द्वारा कर्मचारियों को मजूरी, बोनस, मजूरी बोर्ड की बकाया मजूरी, छुट्टी की मजूरी आदि अभी तक नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन कोयला खानों में प्रत्येक कोयला खान के कर्मचारियों की बकाया मजूरी, बोनस आदि की कुल कितनी राशि है ;

(ग) उन कोयला खानों के नाम क्या है ; और

(घ) इन मामलों में प्रत्येक में मालिक के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). सरकार सचेत है कि पश्चिम बंगाल में कुछ कोयला खानों के मालिकों ने वेतन, बोनस और अन्य देय राशियों के भुगतान में चूक की है । इस बारे में पूरी सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है । सरकार वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत दोषी नियोजकों के विरुद्ध पहले ही उचित कार्यवाही कर रही है । ये प्रयत्न तीव्र किये जा रहे हैं ।

जंजीबार में भारत मूलक व्यक्तियों को जंजीबार छोड़ने का आदेश

2614. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मूलक 82 व्यापारियों के व्यापार लाइसेंसों का नवीकरण करने से इंकार किया गया था और उन्हें जंजीबार छोड़ने का आदेश दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1971 में जंजीबार में एशियाई मूल के बहुत से व्यापारियों के लाइसेंस नए करने से इंकार कर दिया गया था और उन्हें जंजीबार से चले जाने का आदेश दिया गया था । यह नहीं मालूम कि उनमें कोई भारतीय राष्ट्रिक भी था या नहीं । फिर भी, भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ जाति भेदपूर्ण व्यवहार के प्रश्न को लेकर भारत सरकार तंजानियाई प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाये हुए है ।

श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों को भूमि से वंचित करना

2615. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार द्वारा हाल ही में जारी किये गये आदेश के परिणामस्वरूप श्रीलंका के भारतीयों से उनके अधिकार में भूमि का स्वामित्व छिन जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अपने बजट भाषण में श्रीलंका के वित्त मंत्री ने श्रीलंका में जोते की भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की घोषणा की थी । इस प्रस्ताव का ठीक-ठीक ब्यौरा नहीं बताया गया है । ऐसा समझा जाता है कि यह सीमा सभी के लिये होगी, चाहे वे राष्ट्रिक हों या गैर राष्ट्रिक, चाहे एक व्यक्ति हो अथवा कोई समूह । हो सकता है कि कुछ भारतीयों पर भी इसका असर पड़े ।

(ख) इस तरह के उपाय बरतना श्रीलंका के अपने अधिकार क्षेत्र में है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ से दक्षिण अफ्रीका को निकालना

2616. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सुझाव दिया है कि यदि दक्षिण अफ्रीका उसकी अवज्ञा करता रहे तो उसे इस संस्था से निकाल दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के इस प्रस्ताव का कितने देशों ने समर्थन किया ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 15 अक्तूबर, 1971 को सुरक्षा परिषद् में नाम्बिया के प्रश्न पर बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा था कि अगर दक्षिण अफ्रीका नाम्बिया से हटने से और प्रशासन (नाम्बिया का संयुक्त राष्ट्र को) सौंपने से इंकार करता है तो अध्याय–7 के प्रावधानों से काम लिया जाएगा और तब इस बात का सुनिश्चय करने के लिए परिषद् कोई भी ऐसी आवश्यक कार्रवाई कर सकती है कि दक्षिण अफ्रीका वहां से हटे और कारगर तरीके से हटे। इससे स्वयं दक्षिणी अफ्रीका में जातीय पृथग्वासन और अन्य प्रकार के दमन-चक्रों की समस्या तो नहीं सुलझेंगी लेकिन दक्षिण अफ्रीका को कम से कम यह पता जरूर लग जाएगा कि वह न सिर्फ नाम्बिया के लोगों के प्रति बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के प्रति भी जिसके सिद्धान्तों और उद्देश्यों को अवहेलना करने के लिए वह कृत संकल्प है और अदंडित, उसका परिहास करते हुए, किया जा रहा है–अन्याय की असहाय कार्रवाइयां वह जारी नहीं रख सकता। दक्षिण अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र से निकलने पर तो मजबूर किया भी जा सकता है लेकिन इसके श्वेतवासियों को सभ्य बनाना कहीं अधिक दुष्कर कार्य सिद्ध होगा।

भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने दक्षिण अफ्रीका के निष्कासन का उल्लेख किसी औपचारिक प्रस्ताव के रूप में नहीं किया था।

(ख) इन परिस्थितियों में, भारत के प्रस्ताव के समर्थन का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्यों के विचार भारत के विचारों से मिलते-जुलते हैं।

चमड़ा रंगने और चर्म वस्तु निर्माताओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति का तीसरा अधिवेशन

2617. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में नवम्बर, 1970 में हुए चमड़ा रंगने और चर्म-वस्तु निर्माताओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति के तीसरे अधिवेशन में क्या मुख्य निर्णय लिए गए ;

(ख) इनमें से कितने निर्णय अब तक क्रियान्वित किए/कर दिए गये हैं ; और

(ग) अब तक कितने राज्यों ने चमड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) चर्मशोधनालयों और चर्म–वस्तु निर्माणशालाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति के 28-11-1970 को मद्रास में हुए तीसरे सत्र के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1205/71.**]

(ख) इन निष्कर्षों पर कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और ये कार्यान्विति के विभिन्न चरणों में है।

(ग) चर्म-उद्योग के लिए मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से करवाया जा रहा है। एक विवरण जिसमें 15-11-1971 को विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की सीमा दर्शायी गई है, परिशिष्ट 11 के रूप में संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1205/71.**]

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें

2618. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय श्रम आयोग की वे कौन कौन सी सिफारिशें हैं जिन पर सरकार की ओर से निर्णय किया गया है कि उन्हें उन पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) वे सिफारिशें क्या हैं जिन पर कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है और वे प्राधिकारी कौन कौन हैं जिन्हें ये प्रेषित की गई हैं ; और

(ग) वे महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं जिन पर आगामी भारती श्रम सम्मेलन में विचार किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले सत्र के लिए कार्यसूची में शामिल की जाने वाली मदों के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है ।

विवरण

(क) सिफारिशें जिन पर ऐसा विचार प्रकट किया गया है कि उन पर सरकार द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जानी है ।

1 से 11, 12 (क) और (ख), 17,22(क), 36(क), 41,67,88,90 से 92, 94 से 100,109,124(क) और (ख),133,148 से 150,157,163 से 165,167,168,197,239, 298,300.

(ख) वे सिफारिशें जिनकी विभिन्न प्राधिकारियों को कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई ।

(i) वे सिफारिशें जिन पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों/प्रशासनों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से सिफारिश की गई ।

12(ग),21,22(ग),23,24,25,26,31(क),(ग) और (घ),32,35,36,(ख),38,39, 42,43,55,61 से 66,69,93,103,124, (ग),125,126,151,207,208,213 से 238, 240, 240 से 245, 247 से 249, 250, 252 से 262, 265 से 273, 275 से 279, 281,289, 290

(ii) वे सिफारिशें जिन पर कार्रवाई करने के लिये श्रमिकों और/या नियोजकों के लिये केन्द्रीय संगठनों से सिफारिश की गई ।

22 (ग), 23,24,25,26,31 (घ), 32,36 (ख), 93,128,131,134,143 से 147, 246

(iii) वे सिफारिशें जिन पर कार्यवाही करने के लिये विभिन्न निकायों की सिफारिश की गई।

(क) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्
110,117

(ख) स्वचालन समिति
112 से 116

(ग) ब्यूरो आफ पब्लिक ऐन्टरप्राईजेज
19,25,26,141,201 से 206

स्वचालित मशीनों के प्रयोग के सम्बन्ध में वेंकटारमन समिति का प्रतिवेदन

2619. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वचालित मशीनों के प्रयोग के सम्बन्ध में नियुक्त की गयी वेंकटारमन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) 12 उपक्रमों में स्वचालित मशीनों / कमप्यूटरों का प्रयोग आरम्भ करने से उपक्रमों पर पड़े प्रभावों के अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) उक्त समिति की मुख्य सिफारिशों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) श्री आर० वेंकटारमन स्वचालन समिति के अब अध्यक्ष नहीं हैं । इसने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ।

(ख) समिति ने सम्बन्धित प्रतिष्ठानों एवं श्रमिकों पर स्वचालन/संगणना के प्रभाव को जानने के लिए केवल दस एककों के मामलों का अध्ययन किया । समिति अपनी सिफारिशें सूत्रित करते समय इन अध्ययनों से प्राप्त परिणामों को ध्यान में रखेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की वाणिज्यिक शाखा का बम्बई ले जाया जाना

2620. **श्री हरी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की वाणिज्यिक शाखा को हाल ही में बम्बई ले आया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कर्मचारियों की संख्या क्या है और बम्बई में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की वाणिज्यिक शाखा के भवन के मालिक को कितना मासिक किराया दिया जाता है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड वाणिज्यिक स्कन्ध के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 12 है ।

पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस्पात का वितरण

2621. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस्पात के उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अस्पतालों, मकानों, पुलों, और पुलियों के निर्माण कार्य को बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त मात्रा में इस्पात उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चूंकि इस्पात की उपलब्धि देश की आवश्यकताओं से कम है इसलिए सरकार को इस बात का पता है कि राज्य लोक निर्माण विभागों को (पश्चिम बंगाल भी शामिल है) कठिनाई हो रही है ।

(ख) समस्त उपलब्धि में से सभी वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की यथासम्भव पूर्ति करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये गये हैं । इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । निर्यात को विनियमित किया जा रहा है । कमी वाले वर्गों के लिए उदार आयात नीति का पालन किया जा रहा है । वितरण प्रणाली को दोष रहित बनाया गया है ।

गैर-पंजीकृत री-रोलिंग मिलों के लिये बिलेट्स का आयात

2622. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वदेशी सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिये बिलेट्स का आयात कर रही है जिससे कि रजिस्टर्ड री-रोलिंग मिलें सुचारु ढंग से चलती रह सकें ; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से पिछड़े राज्यों की ऐसी गैर-पंजीकृत री-रोलिंग मिलों के मामले में जो "स्क्रेप एराइजिंग" के किसी श्रोत से दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, इस प्रकार के सहायक दृष्टिकोण के न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) गैर-रजिस्टर्ड री-रोलिंग मिलों की स्थापना की मंजूरी इस शर्त पर दी गई थी कि उन्हें कच्चे माल का प्रबन्ध स्वयम् करना पड़ेगा । उनके द्वारा तैयार किये गये माल की क्वालिटी, वितरण और विक्रय-मूल्यों पर भी वे नियम लागू नहीं होते जो रजिस्टर्ड री-रोलरों पर लागू होते हैं ।

कुछ पुनर्वेलन योग्य स्क्रेप आयात करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, ट्रावनकौर के कोचीन प्रभाग में हड़ताल

2623. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर और कैमिकल्स, ट्रावनकौर के कोचीन प्रभाग के प्रबन्ध केतर कर्मचारियों ने 14 अक्तूबर, 1971 को एक दिन की हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की मांगे क्या हैं ; और

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

बिहार की मिलों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियां

2624. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, पूर्णिया; आर्थर बटलर एंड कम्पनी, मुजफ्फरपुर, कुमारधूवी फायर क्ले एंड सिलिका वर्क्स, धनबाद ; रिलायंस फायरब्रिक्स एण्ड पोल्टरी वर्क्स, धनबाद; सी० एम० आई० लिमिटेड, हजारीबाग ; सी० एच० (प्राइवेट) लिमिटेड, हजारीबाग; की ओर 31 अक्तूबर, 1971 को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन भविष्य निधि अंशदानों की कितनी राशियां बकाया थीं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक मास के इस सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और क्या यह स्थिति आगे से बिगड़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रबन्धकों की ओर बकाया राशियों को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) . भविष्य निधि प्राधिकारियों ने रिपोर्ट दी है कि सूचना एकत्र की जा रही है । वह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

मुंगेर में जेल कम्पाउंड में स्थित व गन फैक्ट्रियों में लागू कर्मचारी भविष्य निधि योजना

2625. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगैर जिले में जेल कम्पाउंड में स्थित गैर-सरकारी अनेक गन फैक्ट्रियों में हाल में भूतलक्षी तारीखों से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू कर दी गई है और यदि हां तो उनके नाम क्या हैं, और उनमें किन तिथियों को यह अधिनियम लागू किया गया था, तत्सम्बन्धी पत्र किन तारीखों को जारी किये गये थे और उनके मालिकों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या अनेक फैक्ट्रियों ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं किया है क्योंकि उनको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों से प्रोत्साहन मिल रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) मुंगैर जिले में जेल कम्पाउंड में स्थित 19 गन कारखानों को 30-11-1966 से कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाई गई

कर्मचारी भविष्य निधि योजना की परिधि में लाया गया है। एक विवरण, जिसमें गन कारखानों के नाम उनके मालिकों के नाम, अधिनियम के अन्तर्गत लाए जाने और अधिनियम लागू किए जाने सम्बन्धी जारी किए गए पत्रों की तारीखें दी गई हैं, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1206/71.]**

(ख) 19 कारखानों में से 9 ने विभिन्न अवधियों के लिये अधिनियम और योजना के उपबंधों का परिपालन किया है। एक प्रतिष्ठान ने अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में चुनौती दी है। अन्य दोषी हैं।

बिहार में परिवार पेंशन योजना पर अनुक्रिया

2626. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राप्त हुए स्वीकृत-पत्रों की सीमित संख्या को देखते हुए बिहार क्षेत्र में परिवार पेंशन योजना सबसे कम अपनायी गई है ;

(ख) क्या बिहार में ढेरों प्रपत्र बंडलों के रूप में अभी तक विभिन्न निरीक्षकों के कार्यालयों में ही पड़े हुए हैं और कारखानों/संस्थापनों और श्रमिकों तक नहीं पहुंचे हैं जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सके क्योंकि वे इस सम्बन्ध में सर्वथा अनजान थे ; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों को परिवार पेंशन योजना के उपबन्ध समझाने के लिये प्रयत्न करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न सूचना दी है :—

(क) जी नहीं।

(ख) योजना के अधीन आने वाले समस्त प्रतिष्ठानों को विकल्प फार्म क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार ने सीधे रजिस्ट्री द्वारा और सभी बड़े प्रतिष्ठानों को विशेष प्रतिनिधियों द्वारा अप्रैल, 1971 को प्रेषित किए गए थे। प्रतिष्ठानों की अदृश्य मांगों को पूरा करने के लिये भविष्य निधि निरीक्षकों को कुछ फार्म समीकरण भंडार के रूप में रखने के लिये दिये गये थे।

(ग) परिवार पेंशन योजना को विभिन्न माध्यमों द्वारा पर्याप्त विज्ञापन दिया गया था।

कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों को अतिरिक्त मकान किराया भत्ता

2627. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड ने सभी भविष्य निधि कर्मचारियों को अतिरिक्त मकान भत्ता देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस निर्णय को कार्यान्वित न करने के सम्बन्ध में भविष्य निधि कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . बोर्ड की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

पाकिस्तान द्वारा राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने की धमकी

2628. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 28 जुलाई, 1971 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ देने की धमकी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई थी । परन्तु पाकिस्तान सरकार ने भारत पर यह झूठा आरोप लगाया था कि भारत यह नहीं चाहता कि दोनों देशों के राजनयिक मिशन एक-दूसरे के यहां सामान्य ढंग से कार्य करते रहें । वास्तव में, पाकिस्तान ने अपने यहां के भारतीय मिशन के सदस्यों के बाहर जाने पर खुद ही रोक लगा दी थी इस पर भारत को भी जबाबी कार्यवाही करनी पड़ी ।

दण्डकारण्य में भेजे गये बंगला देश के शरणार्थी

2630. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के शरणार्थी दण्डकारण्य को भेजे गये थे क्योंकि वहां पर उनके पुनर्वास के लिये सभी सुविधायें तथा विकसित साधन उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने शरणार्थी भेजे गये थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार की यह नीति है कि बंगला देश में जैसे ही स्थितियां सामान्य हो जायेंगी शरणार्थियों को वहां वापस भेज दिया जाएगा । इसलिए इन शरणार्थियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में या पश्चिमी बंगाल के आन्तरिक क्षेत्र में या अन्य सीमावर्ती राज्यों में स्थित शिविरों में रखा जा रहा है जहां शिविरों की स्थापना तथा अस्थायी निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ।

भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्ज लिमिटेड, विशाखापत्तनम् द्वारा किए गए विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौते

2631. **श्री ई० आर० कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम् ने (1) वायु तथा गैस पृथक्करण संयंत्रों और (2) बहु-स्तरीय उच्च दाबवाहिकाओं के उत्पादन के लिए किन देशों के साथ सहयोग सम्बन्धी समझौते किये हैं ; और

(ख) क्या इन दो योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लि०, विशाखापत्तनम् ने वायु तथा गैस पृथक्करण संयंत्रों के निर्माण के लिए फ्रांस के मैसर्स ल एयर लिक्विड (Messrs. L' Air Liquid) और बहु-स्तरीय उच्च दाव वेसलों के निर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के मैसर्स नूटर कारपोरेशन का सहयोग प्राप्त करने हेतु करार किये हैं ।

(ख) कम्पनी ने इन दोनों करारों के अन्तर्गत उत्पादन आरम्भ करने के लिए प्रारम्भिक कदम उठाये हैं ।

इंजीनियरिंग प्राजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्राप्त किए गए ठेके

2632. **श्री ई० आर० कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा लिये गये ठेकों के बारे में 18 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त उपक्रम द्वारा प्राप्त किये गये ठेके को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : सिविल कार्यों के निष्पादन तथा यांत्रिक और विद्युत् उपस्करों की स्थापना के लिए पार्टियों का चयन कर लिया गया है । पाइलिंग का काम अभी आरम्भ हुआ है । आशा है समस्त, कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जाएगा ।

फरीदाबाद में उद्योगों को इस्पात का वितरण

2633. **श्री डी० बी चन्द्र गौड़ा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री फरीदाबाद के उद्योगों को इस्पात का वितरण करने के बारे में 15 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । अनुलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार आश्वासन 23-8-71 को पूरा किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

एस० सी० (1)—16 (57)/71 लोक सभा दूसरा सत्र 1971

इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) अनुलग्नक

दिनांक तथा संदर्भ	विषय	आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	टिप्पणी
श्री लीलाधर कटकी द्वारा, फरीदाबाद में उद्योगों को इस्पात के वितरण के बारे में दिनांक 15-7-71 को पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1149 ।	जिसमें पूछा गया था :— (क) क्या सरकार के ध्यान में ऐसी घटनायें आई हैं कि फरीदाबाद में लघु उद्योग समूह के लिये इस्पात का जो कोटा संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा जिस प्रयोजन के लिये मन्जूर किया गया था वह उस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं किया गया है ; (ख) क्या संयुक्त संयंत्र समिति ने सम्बन्धित उद्योग समूह को इस्पात का कोटा आबंटित करने से पहले उचित जांच की थी ; और (ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?	(क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।	(क) इस मंत्रालय अथवा संयुक्त संयंत्र समिति के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है । वर्तमान वितरण प्रणाली के अंतर्गत संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा कोटों का आवंटन नहीं किया जाता है । लघु उद्योगों को इस्पात की सप्लाई उद्योग निदेशकों की सिफारिशों पर या तो इस्पात प्राथमिकता समिति के आवंटन के आधार पर सीधे इस्पात कारखानों से अथवा स्टाक यार्डों से की जाती है । (ख) लघु उद्योगों की मांगों को आगे भेजने से पहले प्रायोजक प्राधिकारियों से आशा की जाती है कि वे उनकी मांगों की जांच के पश्चात् अपनी सिफारिशें भेजें । इस्पात प्राथमिकता समिति समस्त मांग तथा उपलब्धि के अनुसार प्रेषणों का विनियमन करती है । (ग) मार्च 1971 में लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश में हुए संशोधन द्वारा जिस प्रयोजन के लिए इस्पात का आवंटन किया गया हो उसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए इस्पात का प्रयोग, लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश का उल्लंघन होगा । आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन इसके लिये दंड की व्यवस्था है । लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं और उनको कार्यों में एक काम यह भी है कि जब कभी आवश्यक हो इस्पात के दुरुपयोग के मामलों को पकड़ने के लिए स्थल पर जाकर जांच करें ।	

खासजम्बाद और शंकरपुर कोयला खानों का बन्द हो जाना

2634. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल कोयला-पट्टी (पश्चिमी बंगाल) की खासजम्बाद और शंकरपुर कोयला खान के प्रबन्धकों ने क्रमशः 23 और 15 नवम्बर, 1971 को अपनी-अपनी खानें बन्द कर देने का नोटिस दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन खानों के बन्द हो जाने पर कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) ये खानें बन्द न होने देने और श्रमिकों को बेकार होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 220 जामबद कोलियरी में और लगभग 700 शंकरपुर कोलियरी में।

(ग) **खास जामबद कोलियरी—**

(i) श्रमिकों द्वारा बन्दी को स्वीकार किया गया और त्रिपक्षीय समझौते पर 10-11-71 को हस्ताक्षार किए गए। कोलियरी के प्रबन्ध में तमाम देय मुआवजा और श्रमिकों की अन्य बकाया कानूनी देय राशियों का भुगतान कर दिया था।

(ii) **संकरपुर कोलियरी**
बन्दी का नोटिस द्विपक्षीय समझौते के बाद 29-10-71 को वापस ले लिया गया।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए कम्बलों की सप्लाई में विलम्ब

2635. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊनी और सूती कम्बल शरणार्थियों के लिए अभी तक सप्लाई नहीं किये हैं जिसके लिए पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा अपने राज्य के शिविरों में ठहरे हुए बंगला देश के शरणार्थियों में वितरण करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सप्लाई में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी सप्लाई शीघ्र करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं। बताया गया है कि 27 नवम्बर, 1971 तक 82,213 कम्बलों की सप्लाई की जा चुकी है।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल के शिविरों तथा साथ ही अन्य राज्यों में रह रहे शरणार्थियों के लिए कम्बलों की सप्लाई की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के माध्यम से की गई है। पहले सप्लाई उन स्थानों में की जा रही है जहां ठंड अधिक पड़ती है। मेघालय तथा त्रिपुरा राज्यों की सारी आवश्यकता पूरी की जा चुकी है और ऐसी आशा है कि पश्चिम बंगाल में भी सप्लाई उचित समय के भीतर ही कर दी जाएगी।

भारत-सोवियत सन्धि के बारे में विचार-गोष्ठी

2636. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सोवियत सन्धि के बारे में सितम्बर, 1971 में दिल्ली में कुछ पार्टियों ने एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ राजनयिकों ने भाषण दिए थे ; और

(ख) यदि हां, तो राजनयिकों द्वारा क्या मत व्यक्त किये गये और विदेशी राजनयिकों को इस प्रकार की विचार-गोष्ठी में आमंत्रित करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) स्वतंत्र पार्टी ने कुछ अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर 5 सितम्बर, 1971 को भारत-रूस शान्ति, मैत्री एवं सहयोग संधि पर एक सार्वजनिक संगोष्ठी आयोजित की थी । युनाइटेड किंगडम और अमरीका के राजनयिकों के अलावा कुछ और विदेशी राजनयिक संगोष्ठी में उपस्थित थे । इन लोगों ने कार्यवाही को सुना, किन्तु उसमें हिस्सा नहीं लिया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये गये इस्पात में से कुछ इस्पात का खुले बाजार में आना

2637. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वास्तविक उपभोक्ताओं और खपतकर्ताओं को दिये गये इस्पात में से कुछ इस्पात खुले बाजार में आया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार को कुछ रिपोर्टें मिली हैं कि वास्तविक उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं को आवंटित किया गया इस्पात खुले बाजार में बेचा जा रहा है ।

(ख) देश के विभिन्न भागों में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं और उनका एक कार्य इस्पात के दुरुपयोग को रोकना है । लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश में भी संशोधन किया गया है तथा इस बात की व्यवस्था की गई है कि इस्पात का उन कार्यों के लिए उपयोग न करना, जिनके लिए उसका आवंटन किया गया है अथवा जिस कार्य के लिए आवेदन किया गया था, नियंत्रण आदेश का उल्लंघन माना जायेगा तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दंडनीय होगा । ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से भी सहायता ली जाती है ।

परिवार पेंशन योजना का विरोध

2638. **डा० रानेन सेन** :
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा परिवार पेंशन योजना हाल ही में लागू कर दी गई और इसका सभी केन्द्रीय संघों के संगठन ने इसलिए विरोध किया है कि यह श्रमिकों के लिए अलाभकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 पहली मार्च, 1971 से रायज की गई है। कुछ मजदूर संघ संगठनों ने योजना के विरुद्ध नुक्ताचीनी की है। सरकार ने नुक्ताचीनी के विभिन्न बिन्दुओं की जांच की है और यह पाया है कि इस योजना में अन्तर्हित बीमे की मूल संकल्पना की उपेक्षा की गई है। सरकार की यह धारणा है कि योजना कुल मिलाकर श्रमिकों के लिये लाभप्रद है और वह इसके वर्तमान रूप में कोई तत्वत: तरमीम किए बिना इसकी उचित परीक्षण करने का विचार रखती है।

Discovery of Mineral Deposits by Geological Survey of India

2639. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the approximate number of mineral deposits discovered by the Geological Survey of India during the last two years; and

(b) the estimated value of the wealth contained in these mineral deposits ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) A statement showing the new mineral deposits discovered and additional ore reserves proved by the Geological Survey of India during the last two years is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. L. T.-1207/71.]**

(b) Since the exploration is in progress, it is premature to evaluate the economic value of all the mineral occurrences located during the last two years. However, the value of the proved section within one copper deposit and molybdenite deposit exceeds Rs. 720 millions. The additional iron ore reserves proved are approximately valued at Rs. 4200 millions and manganese ore reserves are valued at Rs. 2437 millions.

मध्य प्रदेश में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण

2640. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विभिन्न खनिजों के अनेक निक्षेपों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय भू-विज्ञान विभाग द्वारा वहां का विस्तृत सर्वेक्षण करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यह कब तक हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में विभिन्न खनिज अवस्थित करने हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे अन्वेषण पहले ही प्रगति पर हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 52848 वर्ग कि० मी० का सुव्यवस्थित मान-चित्रण, 1453 वर्ग कि० मी० का बड़े पैमाने पर मान-चित्रण, क्षेत्रीय खनिज निर्धारण हेतु 87625 मीटर का व्यधन और विस्तृत खनिज निर्धारण हेतु 2500 मीटर का खनन सम्पूरित होना परिकल्पित है।

मध्य प्रदेश में प्रस्तावित कार्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) बालाघाट जिले के मालंजखण्ड ताम्र निक्षेप में व्यधन जनवरी 1969 में प्रारम्भ किया गया था और अक्तूबर 1971 के अन्त तक लगभग 45,062 मीटर का व्यधन सम्पूरित

हो गया था। अब तक 975 मीटर अनुदैर्ध्य लम्बाई पर 1.67% ताम्रांश को लगभग 71.40 लाख टन की संकेतित उपलब्ध राशियां अनुमानित हुई हैं। आगे का कार्य प्रगति पर है।

(ii) टीकमगढ़ के बहादुरपुर क्षेत्र में सीमा खनिजीकरण के लिए विगत कार्य सत्र के दौरान किए गए प्रारम्भिक कार्य से क्षेत्र में केवल क्षीण खनिज उपदर्शित हुए हैं। वर्तमान कार्य सत्र के दौरान आगे के विस्तृत अनुवर्ती-कार्य का आयोजन किया जा रहा है। विगत कार्य सत्र में छत्तरपुर और सागर जिलों में भी ताम्र और सीसा अयस्कों के अनेक प्राप्ति स्थलों का अन्वेषण किया गया था। वर्तमान कार्य सत्र के दौरान विस्तृत समन्वेषण किया जाएगा।

(iii) पन्ना हीरक पट्टी में विस्तृत क्षेत्रीय कार्य और लोहमय-हीरक संघटानों के लिए समन्वेषण में दिसम्बर, 1969 में प्रगति हो रही है। पट्टी के लगभग 4200 वर्ग कि० मी० का भूवैज्ञानिक ढंग से मान-चित्रण किया जा चुका है। हिनोटा डाइट्रीमी में लगभग 1200 टन सामग्री व्यवहारित की गई थी जिससे हीरक के 81 टुकड़े प्राप्त हुए थे जिनका वजन 45.13 कैरेट था।

(iv) वर्तमान कार्य सत्र के दौरान झबुआ जिले के प्राप्ति-स्थलों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तावित है।

मध्य प्रदेश में मैंगनीज के निक्षेप

2641. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-विज्ञान सर्वेक्षण से मध्य प्रदेश में मैंगनीज के काफी बड़े निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों से मैंगनीज निकालना कब तक शुरू कर दिया जायेगा ; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के तीन क्षेत्रों में 45.50 लाख टन (संकेतित) मैंगनीज अयस्क की उपलभ्य राशियां अनुमानित की गई हैं।

(ख) मध्य प्रदेश में मैंगनीज अयस्क की कतिपय उपलभ्य राशियों का समुपयोजन पहले ही इस मंत्रालय के अधीन पब्लिक सेक्टर में की उपक्रम भारतीय मैंगनीज अयस्क लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। 1973-74 तक इन खानों से उत्पादन 2 लाख टन से बढ़कर 2.5 लाख टन हो जाएगा।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बालाघाट क्षेत्रों का विस्तृत समन्वेषण कार्य अभी जारी है और उसके 1973-74 तक सम्पूरित होने की सम्भावना है।

(ग) मध्य प्रदेश में की मैंगनीज खानों में पहले ही 7500 से अधिक श्रमिक नियोजित हैं। इस समय यह प्रत्याशित करना कठिन है कि भारतीय मैंगनीज अयस्क लिमिटेड द्वारा वर्धित उत्पादन पर श्रमिक-शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए शिविर

2642. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय तथा त्रिपुरा राज्य में बंगला देश के शरणार्थियों के कितने शिविरों का प्रशासन सीधे केन्द्र सरकार के हाथ में है और कितने शिविरों का प्रशासन सम्बद्ध राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के हाथ में है ;

(ख) प्रत्येक शिविरों में कितने शरणार्थी हैं, ऐसे कितने शिविर अन्य राज्यों में चल रहे हैं, उनमें कुल कितने शरणार्थी हैं और उनके राज्यवार पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र द्वारा तथा राज्यों द्वारा पृथक-पृथक चलाये जा रहे, शिविरों की प्रशासनिक प्रणाली में कोई अन्तर है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) वास्तव में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा चलाए जा रहे शिविरों की प्रशासनिक प्रणाली में कोई खास अन्तर नहीं है। अन्तर केवल यह है कि राज्य शिविरों में नियुक्त कर्मचारी राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहते हैं तथा उनके द्वारा निर्धारित वेतन पाते हैं।

विवरण

राज्य का नाम	राज्य द्वारा चलाए जा रहे शिविरों की संख्या	शरणार्थी जनसंख्या (लाख में)	केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिविरों की संख्या	शरणार्थी जनसंख्या (लाख में)	अवधि
पश्चिम बंगाल	503	45.58 (संशोधित)	6	1.61	23.11.1971
त्रिपुरा	273	7.79	3	0.70	19.11.1971
मेघालय	17	5.84	शून्य	शून्य	18.11.1971
आसाम	27	2.18	3	0.26	22.11.1971
बिहार	7	0.09	1	0.29	20.11.1971
मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	5	2.19	23.11.1971
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	1	0.10	23.11.1971
जोड़...	827	61.48	19	5.15	

भारतीय हीरा निगम की स्थापना

2643. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पालना हीरा खानों और बहुमूल्य पत्थरों के व्यापार की देख-रेख के लिये एक भारतीय हीरा निगम की स्थापना का प्रस्ताव रद्द करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन कारखानों और बहुमूल्य पत्थरों के व्यापार की देख-रेख के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की सहायक रूप में एक नई कम्पनी खोली जाने वाली है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). हीरों के उत्पादन और व्यापार के कार्य को ग्रहण करने के लिए पृथक संस्थान के रूप में अथवा राष्ट्रीय खनिज निगम के समनुषंगी के रूप में अथवा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन पृथक स्कंध के रूप में, पृथक पब्लिक सेक्टर अधिकरण की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

Production of minerals and non-minerals in Rajasthan

2644. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state ;

(a) the quantum and value of minerals and non-minerals produced in Rajasthan at present ; and

(b) the element or the compound found mixed in abundance with the minerals discovered in Pali district of Rajasthan ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) A statement showing quantity and value of minerals/ores produced in Rajasthan during 1969 and 1970 is given in Annexure-I- **[Placed in Libarary. See No. L. T.-1208/71.]** Besides minerals, metals like zinc and cadmium (as a by-product) are also being produced in Rajasthan, and production of these metals during 1969 and 1970 is given in Annexure-II. **[Placed in Libarary, See No. L. T.-1208/71.]**

(b) Information regarding other components of minerals discovered in Pali District of Rajasthan is being collected and shall be laid on the Table of the House when received.

बर्मा से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

2645. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से आये शरणार्थियों का पुनर्वास कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) अब तक कितने व्यक्ति पुनः बसाये गये हैं ; और

(घ) इन शरणार्थियों के पुनर्वास पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

श्रम यौर पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्राप्त सूचना के अनुसार 30.9.1971 तक बर्मा से लगभग 62,000 परिवार आ चुके थे । व्यवसाय तथा कृषि ऋण के रूप में लगभग 60,276 परिवारों को प्रारम्भिक तथा अनुवर्ती पुनर्वास सहायता दी जा चुकी है ।

(घ) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास के लिए 30.9.1971 तक ऋण के रूप में 833.56 लाख रुपए तथा अनुदान के रूप में 193.22 लाख रुपए मंजूर किए जा चुके हैं।

केरल में बहुमूल्य खनिज निक्षेपों का पाया जाना

2646. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल राज्य में नये बहुमूल्य खनिज निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन निक्षेपों से लाभान्वित होने के सम्बन्ध में सरकार का विचार कौन से कदम उठाने का है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा केरल राज्य में किए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, कन्नानोर, क्वीलोन और तिरुवनन्तपुरम् जिलों में भागतः बौक्साइट अयस्क, कोजिकोड जिले के अलम्पारा में लोह अयस्क और कोजिकोड जिले के बड़गाव में देशी-पारा अवस्थापित किया गया है।

(ख) इन निक्षेपों की उपलभ्य राशियों के निर्धारण के लिए आगे के अन्वेषण प्रगति पर हैं। इन निक्षेपों के समुपयोजन पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब उपलब्ध राशियां प्रमाणित हो जाती हैं।

तमिलनाडु में लौह अयस्क के भण्डारों का पता लगाया जाना

2647. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के भण्डारों का पता लगाने के लिये तीखानामलाई हिल्स नार्थ आरकाट जिला, तमिलनाडु में कोई भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में इतने बड़े भण्डारों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा तमिलनाडु के तीरुवन्नामलाई क्षेत्र में लौह अयस्क निक्षेप 1931 में अवस्थापित किये गये थे। तमिलनाडु सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से, इस समय इस क्षेत्र में लौह अयस्क निक्षेपों का व्यधन द्वारा विस्तृत समन्वेषण कर रही है। अभी तक उनके द्वारा पांच व्यधन छिद्र सम्पूरित किए गए हैं और इस क्षेत्र वैदीप्पानमलाई में 600 लाख टन, कावुथीमलाई में 560 लाख टन और उचचीमलाई में 200 लाख टन लौह अयस्क की संकेतिक उपलब्ध राशियां उपदर्शित हुई हैं। लौह अयस्क पट्टियों का व्यवस्थित प्रतिचयन किया गया है और 400 छोटे नमूने और बड़े नमूनों के 4 थैले एकत्रित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रायोजना, मद्रास के अयस्क प्रसाधन प्रयोगशाला में परिष्करण परीक्षण भी किए जा रहे हैं।

अलौह तथा लौह धातुओं का पता लगाना

2648. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में अलौह, लौह धातुओं तथा खनिज उर्वरकों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा केरल राज्य में अलौह और लौह धातुओं के लिये पूर्वेक्षित क्षेत्र यह हैं :–

अलौह धातुएं (बौक्साइट)

कन्नानोर जिले के अनन्तग्पुरगुड्डा, नारायणमंगलम्, पेर्नागुड्डा और नीलेश्वर में, क्वीलोन जिले के चित्तावत्तम्, कोट्टाक्कारा तालुक, आदिचनल्लुर, क्वीलोन तालुक, वडक्कुमुरी चुरनाड, कोन्नाटुर तालुक में, तिरूवनन्तपुरम् जिले के मंगलापुरम्-चिलमपिल, सस्नावट्टम्, अम्बालम् और अट्टिष्पारा में।

लौह धातुएं (लौह अयस्क)

कोजिकोड जिले के चेरूप्पा, नन्मिन्दा, नडुबल्लुर, कोजिकोड नगर के अन्तर्गत की पहाड़ी और आलम्पारा में।

राज्य में अभी तक कोई उर्वरक खनिज अवस्थापित नहीं किये गये हैं। क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है।

भारत में सक्रिय होने के लिये पूर्वी बंगाल में रजाकारों को प्रशिक्षण

2649. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 नवम्बर, 1971 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी कमांडर लैफ्टीनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खां नियाजी का इस आशय का वक्तव्य छपा है कि उनका देश रजाकारों की तीन विशेष यूनिटों को प्रशिक्षण दे रहा है और हथियार दे रहा है और कुछ को पूर्वी बंगाल से भारत में सक्रिय होने के लिये लैस किया जा रहा है ; और

(ख) इस प्रकार की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अपने देश की सुरक्षा के लिये कदम उठाये हैं।

केरल मिनरल एम्पलाइज एसोसिएशन से ज्ञापन

2650. **श्रीमती भार्गवी तनप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल मिनरल एम्पलाईज एसोसिएशन, क्विलोन से उनकी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) अरनाकुलम् को 23-10-71 को केरल मिनरल्स एम्पलाइज एसोसिएशन की ओर से तारीख 16-10-71 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) अभ्यावेदन में की गई मांगों में से बहुत सी तारीख 22-7-1968 के एक समझौते में शामिल हैं, जो अभी भी वर्तमान हैं। सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अरनाकुलम प्रबन्धकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक करने का प्रयास कर रहा है ताकि बाकी की मांगों के बारे में समझौता कराया जा सके।

मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेप

2651. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हाल ही में पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क के निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के कोई वृहदाकार निक्षेप अवस्थित नहीं किए गए हैं। तथापि, विगत काल में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विस्तृत अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, अब तक बस्तर जिले में लगभग 20550 लाख टन, दुर्ग जिले में लगभग 3600 लाख टन और जबलपुर जिले में लगभग 1220 लाख टन लौह अयस्क की उपलभ्य राशियों का होने का अनुमान है।

नागालैंड में हीरों के निक्षेप

2652. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में किसी स्थान पर हाल ही में हीरों के निक्षेपों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में स्विटजरलैण्ड की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

2653. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में स्विटजरलैण्ड और औद्योगिक विकास संस्था की सहायता के साथ तकनीशियनों के लिये प्रस्तावित व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार के अनुरोध पर, एक संयुक्त शिष्ट-मंडल, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक विशेषज्ञ और स्वीडश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (एस० आई० डी० ए०) न कि स्विटजरलैंड औद्योगिक विकास संस्था, का विशेषज्ञ सम्मिलित था, भारत की यात्रा पर आया और इलेक्ट्रानिकी एवं प्रक्रिया साधन विनियोग के लिए उच्च प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह मामला विचाराधीन है।

दण्डकारण्य में कर्मचारियों के लिये दण्डक एस० ए० एस० परीक्षा

2654. **श्री आरविन्द नेटम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डक एस० ए० एस० परीक्षा में दण्डकारण्य के सभी कर्मचारी बैठ सकते हैं, अथवा केवल किसी विशेष संगठन के ; और

(ख) यदि इसमें केवल किसी विशेष संगठन के कर्मचारी ही बैठ सकते हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सॉफ्ट कोक के मूल्य

2656. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सॉफ्ट कोक के मूल्य फिर बढ़ गए हैं ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि उपभोक्ताओं को कोयला नियंत्रित मूल्यों पर मिले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड के श्रमिकों पर कथित लाठी प्रहार

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : श्रीमान, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड, मैसूर के श्रमिकों पर हाल ही में किये गये लाठी प्रहार और उसके परिणामस्वरूप अनेक श्रमिकों के सख्त घायल हो जाने का समाचार।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : महोदय, मैसूर सरकार ने सूचित किया है कि 28 नवम्बर, 1971 की अप्राह्न अझासन्द्र स्थित मैसूर सिमेंट लिमिटेड के कारीगरों ने यह सूचना प्राप्त होने पर कि कम्पनी के एक रक्षा प्रेरक्षा कर्मचारी ने एक जमादार को पीट दिया है, हड़ताल कर दी। इसके परिणामस्वरूप श्रम कल्याण अधिकारी और एक गार्ड पर आक्रमण हुआ। बाद में कारीगर हिंसा पर उतर आए और उन्होंने पत्थर तथा पेट्रोल से भरी एक बोतल पुलिस चौकी पर फेंकी। उपद्रवी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी और अश्रु गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में रात्रि के लगभग 9.30 बजे कुछ कारीगरों ने फैक्टरी की बिल्डिंग पर आक्रमण किया और अनुमान है कि दो लाख से तीन लाख रुपये तक की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई। कम्पनी के एक रक्षा प्रेरक्षा कर्मचारी ने गोली चलाई जिससे तीन व्यक्ति घायल हो गये। तुरन्त पुलिस द्वारा कुमुक भेजी गई और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। इन घटनाओं में 15 पुलिस कर्मचारी 4 फैक्टरी के कर्मचारी तथा 11 अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं जिनमें उस रक्षा प्रेरक्षा कर्मचारी द्वारा घायल किए गए व्यक्ति भी शामिल हैं जिसने गोली चलाई थी। पुलिस ने चार मामले दर्ज किए हैं जिसमें उस रक्षा प्रेरक्षा कर्मचारी के विरुद्ध भी मामला शामिल है जिसने गोली चलाई थी। कानून के अनुसार मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है और 40 से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

श्री के० लकप्पा : यह मामला इतना साधारण नहीं है, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है। मैसूर सीमेंट्स कारखाना अझासंद्र में स्थित है। इसमें बिड़ला बन्धुओं ने 29 लाख रुपये की पूंजी लगा रखी है और इसका प्रबन्ध भी उन्हीं के हाथ में है। उनका प्रबन्ध ठीक नहीं है और इसके प्रति श्रमिकों में भारी असंतोष है। बिड़ला-बन्धुओं द्वारा उस कारखाने में नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और वे अधिक लाभ कमाने के लिए समवाय विधि का भी पालन नहीं कर रहे हैं। वे तो मैसूर राज्य सरकार को 'रायल्टी' की राशि भी नहीं दे रहे हैं। श्रमिकों में फूट डालने के उद्देश्य से वे कुछ श्रमिकों को भड़का देते हैं और श्रमिकों में परस्पर झगड़ा हो जाता है: वायु-दूषण, जल-दूषण आदि के विरोध में पड़ौसी गांवों के लोगों ने भी बिड़ला बन्धुओं के खिलाफ आन्दोलन किया था। उक्त कारखाने के प्रबन्धक बदले की भावना से श्रमिकों को सता रहे हैं। श्रमिकों ने अपनी शिकायतों का अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को दिया था। सरकार ने प्रबन्धकों को निदेश भी दिये थे कि नियमों का इस भांति उल्लंघन न किया जाये। किन्तु फिर भी कारखाने के एक इंजीनियर श्री शिव शंकर ने प्रबन्धकों की प्रेरणा से कुछ श्रमिकों को भड़का कर यह झगड़ा कराया जिसमें 5 व्यक्ति घायल हुए और सैकड़ों गिरफ्तार किये गये। प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार ने इस मामले की जांच करा कर सच्चाई का पता लगाया है? क्या सरकार इस दुर्घटना की न्यायिक जांच करायेगी? क्या सरकार इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक कम्पनी को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रश्न है, इस मामले पर सम्बद्ध विभाग मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार करेगा। माननीय सदस्य ने इस दुर्घटना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है। इस दुर्घटना के सम्बन्ध में मेरे पास जो जानकारी थी, वह पहले ही मैं बता चुका हूं। मेरी जानकारी के अनुसार तो एक वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने एक श्रमिक पर हाथ उठा दिया था और इसी के परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई। जो रिपोर्ट मुझे मिली है, उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। अतः मैं नहीं कह सकता कि रिपोर्ट में उल्लिखित व्यक्ति का

नाम शिव शंकर है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त मेरी जानकारी यह है कि वहां 14 पुलिस कर्मचारी, चार कारखाना अधिकारी और ग्यारह अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि 100 व्यक्ति तिरफ्तार किये गये हैं किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार केवल 40 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री धर्मराव अफजलपुरकार (गुलबर्गा) : ऐसी दुर्घटनाओं के लिए प्रबन्धक जिम्मेदार होते हैं किन्तु वे बातों को छिपाते हैं। यह सच है कि उक्त कारखाने में श्रमिकों को चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। अतः मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह देखना कि किसी कारखाने में तत्सम्बन्धी कानूनों का पालन किया जा रहा है या नहीं, राज्य सरकार का काम है। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष बात मुझे बतायेंगे तो मैं उस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा।

श्री पी० आर० शिनाय (उद्दीपी) : मुझे भी यह पता लगा है कि यह दुर्घटना श्रमिकों को भड़काये जाने से हुई है। भड़काने का काम प्रबन्धकों ने किया है और इन प्रबन्धकों को सरकार का समर्थन प्राप्त है। अतः मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इस घटना की किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जांच कराई जायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने इस दुर्घटना से सम्बन्धित सारे तथ्य बता दिये हैं। हां, यह मैं मानता हूं कि यह दुर्घटना दुभाग्यपूर्ण है। जहां तक जांच का सम्बन्ध है, जांच की जा रही है। जांच करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाये अथवा नहीं, यह राज्य के राज्यपाल तय करेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयला बोर्ड के प्रमाणित लेखे, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोयला बोर्ड के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1197/71.**]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, के वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-1198/71.]

संविदा श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम तथा श्रमिक कल्याण निधि (गुजरात) (पहला संशोधन) नियम

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविदा श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1643 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-1199/71.]**

(2) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, बम्बई श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (3) के अन्तर्गत श्रमिक कल्याण निधि (गुजरात) (पहला संशोधन) नियम, 1971 की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या के० एच०/एस० एच०/3521-बी० एल० डब्ल्यू० 1169-टी में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–1200/71]**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

Shri Buta Singh (Rupar) : Mr. Speaker, Sir, I lay on the Table the Report of Study Tour of Study Group II of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Gujarat in September, 1971.

संविधान (26वां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (TWENTY SIXTH AMENDMENT) BILL

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक जिस सिद्धान्त पर आधारित है, उस पर इस सभा में पहले ही चर्चा की जा चुकी है और वह भारी बहुमत के साथ स्वीकार किया जा चुका है। भूतपूर्व शासकों के निजी थैलियां (प्रिवीपर्सेस) और विशेषाधिकार समाप्त करने के लिए लगभग 15 मास पूर्व एक विधेयक लाया गया था जो राज्य सभा में एक मत से रह जाने के कारण पारित न किया जा सका था। उसके बाद इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था, किन्तु इसे उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अवैध ठहराया था। किन्तु लोगों की यह इच्छा थी कि ऐसा हो। पिछले निर्वाचन में भी हमने लोगों को ऐसा करने का वचन दिया था। अतः अपना वचन पूरा करने के लिए हम इस विधेयक को पुनः सभा के सामने लाये हैं। जैसा कि स्पष्ट है, इस विधेयक का उद्देश्य समाज में व्याप्त विषमता को दूर करना है। सामाजिक अन्याय और विषमता को दूर करके एक ऐसे समाज की स्थापना करने की दिशा में यह सहायक है जिसमें सब व्यक्ति बराबर अवसर पा सकें जिसमें छोटे-बड़े या धनी-निर्धन का भेदभाव न हो। हमारे समाज में समानता लाने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हमें उनकी उपेक्षा करनी ही पड़ेगी।

मैं यह मानती हूं कि अनेक भूतपूर्व शासकों ने दूरदर्शिता से काम लिया और अपने आपको नयी स्थिति में ढाल लिया है। प्रारम्भ में इन्होंने देशभक्ति का परिचय दिया और देश की एकता स्थापित करने में सहयोग दिया। बाद में उन्हें इस बात के लिए राजी करने का प्रयास किया गया कि वे स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकार त्याग दें। किन्तु इसके प्रति कुछ भूतपूर्व शासकों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं थी। इसीलिए सरकार को ऐसी कार्यवाही करने पर बाध्य होना पड़ा। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमें व्यक्तिगत रूप से किसी नरेश से द्वेष नहीं है। हमारा संघर्ष है समाज में व्याप्त एक व्यवस्था से, जो हमारे समाज में अब पुरानी पड़ चुकी है। हम एक ऐसा समाज स्थापित करने जा रहे हैं जो समानता पर आधारित हो। अतः मैं भूतपूर्व नरेशों को निमंत्रण देती हूं कि वे हमारे साथ मिलकर इस कार्य में सहयोग दें।

इस विधेयक में इतिहास की भावना झलकती है। अतः मैं सभा से अनुरोध करती हूं वह इस विधेयक पर आगे विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"
मेरे सामने श्री पी० के० देव का एक संशोधन है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत इस विधेयक को उच्चतम न्यायालय को सौंपने के लिए अनुरोध किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : अब सभा के सामने मूल प्रस्ताव और श्री पी० के० देव का संशोधन विचारार्थ प्रस्तुत हैं ।

***श्री मनोरंजन हाजरा** (आरामबाग) : श्रीमान् मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा पेश किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं । यद्यपि यह विधेयक देरी से लाया गया है, फिर भी मैं प्रसन्न हूं कि सरकार ने यह विधेयक लाकर लोगों को दिये गये आश्वासन को पूरा किया है । न केवल मैं बल्कि हम सभी प्रसन्न हैं ।

जहां तक भूतपूर्व नरेशों के प्रिवीपर्स को समाप्त करने का सम्बन्ध है, हम इसका समर्थन करते हैं । किन्तु साथ ही मैं सरकार का ध्यान उन लोगों की ओर दिलाना चाहता हूं जो इन नरेशों के यहां नौकरी करते हैं । इन लोगों को सरकारी सेवा में लिया जाना चाहिए । एक अन्य बात यह है कि ये भूतपूर्व नरेश अपनी सम्पत्ति को शनैः शनैः बेच रहे हैं । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार कोई ऐसी कार्यवाही करे, जिससे ये लोग अपनी सम्पत्ति न बेच सकें और न ही दूसरों के नाम हस्तांतरित कर सकें । मेरा यह सुझाव है कि इनकी सम्पत्ति सरकार अपने हाथ में लेकर उसे जनसाधारण के कल्याणार्थ उपयोग में लाये । मैं पुनः विधेयक का दिल से समर्थन करता हूं ।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : I welcome this historical Bill. During this decade we have witnessed several revolutionary changes. It started with the nationalization of banks

Now the purses and privileges of the ex-Rulers are being abolished. This is being done in pursuance of the same very principle on which we abolished 'Zimindari' and 'Jagirdari'. The number of those who want to retain this institution is very few. We are not preventing them from going to the Supreme Court. But the agreement between the ex-Rulers and the Government was a political one and there is no need of bringing the Supreme Court in it. They can go to the Supreme Court as ordinary citizens. Last time when this Bill was brought before this House the Prime Minister said that History is replete with instances of customs, practices and enactments which were regarded as sacrosanct in one age and inhuman in the next." She also said that all the great reformers of our country have fought against customs and practices which were unjust.

So far as political aspect is concerned Sardar Patel never promised that the coming generation will also adhere to these terms. He had not promised these purses and privileges to the rulers for all times to come. The constitution is being changed in accordance with the aspirations of the people. We have to keep in view the aspirations of the common man. We have to give importance to the needs of the crores of people of India. We have promised many things to them in the directed Principles enshrined in our Constitution. It is against all cannons of morality and democracy to give them all these privileges and purses without imposing upon them any responsibility.

So far as economic aspect is concerned, we have already given them too much compensation during the last 20 years in tunes of purses and privileges. The people of India cannot afford to give any more compensation. Our prestige will be enhanced with the passing of this constitutional amendment.

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि खण्डों पर चार बजे के लगभग मतदान किया जाये ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्दिष्ट-आंग्ल भारतीय) : पिछली बार जब इसी प्रकार का विधेयक

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

पेश किया गया था तो निर्दलीय ग्रुप ने उसके पक्ष में मत दिया था। निर्दलीय ग्रुप के 9 अथवा 10 सदस्यों ने किसी ओर भी मत न देने का निर्णय किया था। परन्तु श्री रघुरामैया मुझसे मिले तो हमने इस बात पर कि महाराजाओं को कुछ भत्ता दिया जायेगा, सर्वसम्मति से सरकार का समर्थन करने का निर्णय किया। श्री रघुरामैया ने कहा था कि वह मुआवजा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। इस प्रकार हमने विधेयक का समर्थन किया और वह पास हुआ। मुझे आशा है कि सरकार इस बात को नहीं भूलेगी और भूतपूर्व नरेशों को कुछ संक्रमणकालीन भत्ता देगी।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): I rise to oppose the way this Bill has been brought before the House.

The resolution regarding socialism was passed in 1954 but the congress never opposed the privy purses or the privileges of the ex-Rulers. Now the ex-Rulers have started opposing the ruling party when the Government has brought forward this measure to abolish their privy purses and privileges. The hon. Minister had stated that 900 crores are needed for introducing free and cumpulsory education but the Government will get only four and a half crores of rupees by abolishing privy purses.

So far as the question of establishing egalitarian society is concerned, we are prepared to go even one step further. It appears that Government is not really interested in that sort of society because several Ministers including Prime Minister own property worth lakhs of rupees. If the Government is really interested in saving the money, they themselves should put forward ideal examples before the public. Abolition of privy purses which amounts only to four and a half crores of rupees cannot solve our basic problems. We also demand that ban on the receipt of foreign money by the political parties should be imposed.

These ex-Rulers are granting pensions to many people in their respective States. They are actually dependent upon the rulers for their livelihood. It is feared that ex-Rulers will stop those pensions after the abolition of privy purses. Some arrangements should be made for their rehabilitation.

Mr. Speaker: The House stands adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर दो मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): Today is the historic and most important day as we are abolishing privileges of a section of our society. There is no question of saving few crores of rupees but the question is that of a direction towards which we are proceeding.

Although there is no provision of paying compensation to the ex-Rulers in the Bill, yet I am afraid that Government may not bow to the demand of the rulers for compensation. I am of the opinion that no compensation should be paid to those who have exploited the people for such a long time.

These ex-Rulers can not claim that they are followers of Maharana Pratap or Rani of Jhansi. Every body knows that these ex-Rulers were very cruel to their people and even they put patriots in jails during independence struggle.

So far as the question of agreement between the Government and ex-Rulers is concerned, I may say that the agreements were not signed with the consent of the people. Had this question been put before the people, they would not have agreed to the payment of privy purses and granting of privileges to the ex-Rulers.

This is the age of Socialism. Every body wants equal rights. I would, therefore, say that there is no justification in continuing to give privy purses to the ex-Rulers.

There is no protection to the life of farmers in the villages. There are so many other facilities which are denied to ordinary citizen but not to the Princes who in addition get Privy Purses. It is, therefore, imperative that not only should the Privy Purses be stopped but other privileges be abolished forth with.

We want to percolate Socialism to the country side and Privy Purses militate against the concept of Socialism. Therefore these Purses must be abolished and no compensation should be paid to the ex-Rulers.

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : इस विधेयक के द्वारा कुछ विशेषाधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। अनेक सदस्यों ने इस विधेयक में निहित वास्तविक भावना का गलत अर्थ लगाया है। यह धन देने की बात नहीं यह तो नीति की बात है। कुछ वर्गों के लोगों के पास विशेषाधिकार हैं यह विशेषाधिकार समतावादी समाज के अनुरूप नहीं है। इस विधेयक के द्वारा उस असमानता को समाप्त करना है। यही इस विधेयक की वास्तविक भावना है।

यहां पर हम राजाओं के व्यक्तित्व अथवा चरित्र पर विचार नहीं कर रहे हैं। कुछ शासक अच्छे शासक रहे होंगे और कुछ निरंकुश शासक रहे होंगे।

देश के एकीकरण के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो प्रतीत होगा कि कुछ शासकों ने लोगों की भावनाओं का आदर किया है और कुछ अधिकतर मामलों में इन शासकों ने अपने निहित स्वार्थों को देखते हुए ब्रिटिश शासन के समाप्त होने को पसन्द नहीं किया। परन्तु हम इस सब पर विचार करने के लिये यहां पर नहीं हैं।

गत चुनावों में हमने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। चुनावों के समय हमने यह प्रण लिया था कि संसद् में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने पर हमारा दल प्रिवी पर्स विधेयक को पारित करवायेगा। इसी आधार पर हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और इस विधेयक पर विचार करतें समय हमें इसी बात को ध्यान में रखना है, इस विधेयक के द्वारा उस प्रण को पूरा करने का प्रयत्न है।

भूतपूर्व नरेशों को अपने आपको सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा में सम्मिलित कर लेना चाहिए और उन्हें विशेषाधिकारों के बारे में नहीं सोचना चाहिये जबकि हमारी अधिकांश जनता गरीबी, उपेक्षा और निरक्षरता का जीवन व्यतीत कर रही है। ऐसे अवसर पर उन्हें जनता के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहिए।

मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि प्रिवीपर्स समाप्त हो जाने पर बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाये। सरकार के इस कार्य का उन पर प्रभाव नहीं होना चाहिये।

***श्री सी० टी० दंडपाणि** : यह विधेयक स्वागत योग्य है। अन्य विधेयकों की तुलना में यह विधेयक बहुत ही महत्व पूर्ण है। पिछली संसद् में जब इसी प्रकार का विधेयक पुरःस्थापित हुआ था तो यह मांग की गई थी कि इसके आधार पर चुनाव लड़े जायें। फिर इसी आधार पर चुनाव हुए, जिनमें जनता के दरबार में यह विषय रखा गया। जनता ने अपने अधिमत के द्वारा यह स्पष्ट किया कि राजाओं की संख्या का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं।

जनता इस बात के प्रति जागरूक है कि शोषण का युग समाप्त होना चाहिये। वर्तमान परिस्थितियों में राजसी पद्धति की कोई सार्थकता नहीं है। लोकतन्त्र के युग में लोगों को पैत्रिक रूप से मिले विशेष अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। इन बातों को समझ कर जनता ने अपना स्पष्ट मत अभिव्यक्त किया। आज के युग में जनता की आवाज भागवान की आवाज है और जनता की आवाज को मूर्त रूप देकर उनकी आशाएं पूरी की जा रही हैं।

भूतपूर्व शासकों को यह जान लेना चाहिए कि यह अधिकार उनके जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हैं। लोगों की निर्दोषता और अज्ञानता का शोषण हर समय नहीं किया जा सकता। वह युग समाप्त हो चुका जब राजा को भगवान का अवतार समझा जाता था। अतः भूतपूर्व नरेशों को यह जान लेना चाहिये कि अब लोग निद्रा त्याग चुके हैं और अपनी स्थिति को पहचानते हैं। हाल के चुनावों में उन्होंने सिद्ध किया है कि वे सामाजिक असमानताओं को दूर करना चाहते हैं। अतः भूतपूर्व नरेशों को लोगों की राय को स्वीकार करना चाहिये।

आज जब कि भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार समाप्त किये जा रहे हैं तो ऐसे समय पर राज्यों के राज्यपालों और केन्द्रीय मंत्रियों को प्राप्त विशेष सुविधाओं को भी समाप्त करने की दिशा में समुचित कदम उठाना चाहिए। जनता के नेताओं को छोटे छोटे मकानों में रह कर जनता के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिये।

Shri R. S. Pandey (Rajnand Gaon): It is not merely a question of Privy Purses and special privileges of former princes. It is a question of principles and changed circumstances. Former princes should realise that the time has changed. They are not living in old times. Therefore they should adopt new ideology and move with the times.

We were asked to seek verdict of the people on this issue. We accepted the challenge and 'Abolition of Privy Purses' formed an item of Election Manifesto of our Party. Our party got massive mandate for the abolition of Princely privileges and Privy Purses.

It is strange that the former Princes are demanding compensation. But do they really need any compensation? Moreover, it would have done them much honour had they surrendered their Privy Purses themselves. When we are abolishing these Privy Purses and privileges, we should not forget the views expressed by Mahatma Gandhi about abolition of Zamindari system. He expressed the view that no compensation could be paid but we could consider payment of some money for rehabilitating small Zamindars.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से पूरी तरह विचार नहीं किया गया है। यदि इसके पारित होने में कोई विलम्ब हुआ है तो उसका कारण यह है कि

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

इस उपाय को अनुचित ढंग से करने का प्रयास किया गया था। जहां तक हमारे उद्देश्य का सम्बन्ध है निस्संदेह रूप से लगातार हमारा उद्देश्य भी यही रहा है हालांकि हमारे राजनैतिक विरोधियों ने हमारे दृष्टिकोण को गलत ढंग से दिखाने के प्रयास किये। अविभाजित कांग्रेस में हमने दस सूत्री कार्यक्रम पारित किया था। जिसमें राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त करने की बात थी उस सकंल्प में राजाओं की निजी थैलियों को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई बात नहीं थी। हमारे ही अनुरोध पर यह खण्ड संशोधन के द्वारा उस संकल्प में सम्मिलित करवाया गया था।

कांग्रेस के विभाजन के उपरांत भी हमने अहमदाबाद कांग्रेस में इस आशय का एक संकल्प पारित किया था। संसद् में इसका हमने समर्थन किया था। परन्तु इसमें अनेक कानूनी खामियों के कारण बाद में हमने इसका विरोध किया। उसके साथ ही विरोध का कारण यह भी था कि यह सब कुछ पर्दे के पीछे किया जा रहा था। परन्तु अब सब कुछ स्पष्ट रूप से किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की आशंकाओं व धमकियों आदि के लिये कोई स्थान नहीं है। इस सबसे स्पष्ट है कि इस बार संसद् का पूरी तरह से विश्वास प्राप्त किया जा रहा है। कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है।

यह ठीक ही कहा जा सकता है कि इन नये प्रकार के शरणार्थियों को पुनर्वास अनुदान अथवा राहत दी जानी चाहिये। इस विधेयक के सम्बन्ध में एक आशंका प्रतीत होती है वह यह कि सब प्रकार की कानूनी सावधानियों के पश्चात भी यह कानून न्यायालय में ठहर नहीं सकेगा। इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये थी कि यदि प्रिवी पर्स को सम्पत्ति भी स्वीकार कर लिया जाये तो उसके एवज में कुछ क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था कर दी जाती और फिर चाहे उस क्षतिपूर्ति की राशि कुछ भी होती। अभी कल ही हमने, इस प्रकार का विधेयक पारित किया है। इस प्रकार की व्यवस्था होने से इस आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 31 (ग) के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है जिसके अनुसार आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण की नीति को लागू किया जा सकता है। परन्तु क्या सरकार सभी नरेशों को एक वर्ग के अन्तर्गत रखेगी? और फिर भी उसे एक ऐसा मामला बता सकती है जिस पर न्यायालय में चुनौती न दी जा सके? क्या न्यायालय इस बात को स्वीकार करेगा कि 170 रुपये प्रति वर्ष का प्रिवी पर्स बन्द किया जाना आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लिये है? क्या इस मामले में अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) के उद्देश्य को वैध माना जा सकेगा?

यदि इसे 31 (ग) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लिया जाना है तो इसके साथ ही यह घोषणा की जानी चाहिये कि इसका प्रयोजन 39 (ख) और (ग) के अन्तर्गत नीतियों को प्रभावकारी बनाना है।

यदि सरकार ने इन सब दोषों को दूर न किया तो इस विधेयक को न्यायालय में सिद्ध करना कठिन हो जायेगा और उस स्थिति में सरकार पर दोष लगेगा कि सरकार इसके प्रति उत्सुक नहीं है। केवल दिखावे मात्र के लिए विधेयक बना दिया जाता है।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa): I rise to support this measure. When the Supreme Court rejected the 24th Amendment of the Constitution, which sought to abolish the Privy Purses and the privileges, Jan Sangh, Swatantra and old Congress Parties challenged the ruling party to seek fresh mandate of the people on this issue. This challenge was accepted and midterm elections held. This issue formed part of out manifesto. So public has given a clear mandate in favour of this measure. Now this measure should be whole heartedly supported by such parties. If they oppose it there is no justification for it.

Princes did a great thing by agreeing to the integration of their states into India. Now they should again show their generosity and accept this verdict of the people. Recent elections have clearly established that such distinctions are not going to be tolerated.

I would also like to pay my homage to those great personalities who worked for creating political consciousness amongst the people of Princely States. It is because of their efforts that we are witnessing this day.

Shri Satpal Kapur (Patiala) : I congratulate 55 crore people on this occasion. 30th November, 1st and 2nd December would find a special mention in the history of the country. While in other countries Right to Property and abolition of the institution of kingship resulted in the bloodshed whereas it has been done in peaceful manner in this country. Our people decided this and today we are giving a real shape to that decision.

People want change. Society is taking a new turn and nobody can prevent us from moving in that direction. Our Government is taking measures to strengthen the texture of our Society.

Though there is no mention about compensation in this Bill, I would like that no compensation be paid to the Princes. It would also be appropriate to fix a ceiling on property. Government should also devise ways to put to use for common good enormous wealth in the form of Gold and Diamonds placed in the Coffers and Bank Lockers of these Princes. I am against payment of any Compensation but Government should pay special attention towards rehabilitation of the dependents of princes. They have not been given proper treatment by these Princes. They treated them as Slaves.

श्री पीलू मोदी : जब श्री चह्वाण ने भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों के बारे में कहा था कि यह अराजकतावाद है तब प्रत्येक व्यक्ति ने इस शब्द के प्रयोग को यहां पर सही बताया था। उनके कानूनी, राजनीतिक तथा नैतिक तर्क वहीं समाप्त हो गये थे। निःसन्देह अब समय बदल गया है। प्रधानमन्त्री के अपने निकट सम्बन्धियों द्वारा दिये गये वचन तोड़े जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अराजकतावाद का नाम दिया गया है। प्रधान मन्त्री ने इस देश को दिये गये वचनों को भी तोड़ दिया है। यह कोई तर्क नहीं है कि क्योंकि वह कुछ वचनों को पूरा नहीं कर सकी हैं अतः वह अन्य वचनों को भी तोड़ दें। मेरे विचार में यह भी अराजकता है कि हमारे राष्ट्रपति अपने परिवार के उन्नीस सदस्यों के साथ विदेशों में सरकारी दौरों पर जायें और उनके बच्चे राष्ट्रपति भवन की सात कारों में स्कूल जायें। मैं इस पर आपत्ति नहीं करता। परन्तु मैं कहता हूं कि ऐसे लोग यदि मुझे समाजवाद का उपदेश दें तो मैं समझता हूं कि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार प्रधान मन्त्री जब विदेशों के दौरों पर जाती हैं तो वह बोईंग विमान का प्रयोग करती हैं, इस विमान का कई दिनों तक अन्य प्रयोजनों के लिये अर्थात् यात्रियों को ले जाने के लिये उपयोग नहीं किया जाता जबकि उस विमान द्वारा यात्रियों से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। मेरे विचार में लोकतंत्रात्मक देशों के अध्यक्षों को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारी प्रधान मन्त्री चुनावों के दौरान भारतीय वायु सेना के विमानों का प्रयोग करती रही हैं। यह भी अनुचित बात है क्योंकि इस प्रकार की सुविधाएं अन्य राजनीतिक दलों को उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्रियों के वेतन राजाओं की निजी थैलियों से भी अधिक हैं। एक मंत्री 12 लाख रुपये लेता है। जब वह कार में बठता है तो ड्राइवर के साथ 'गनमैन' और निजी सचिव भी बैठता है और स्वयं मंत्री महोदय कार की पिछली सीट पर बैठते हैं। क्या यह समाजवाद है? प्रधान मन्त्री ने कहा था कि राजाओं के विशेषाधिकार और निजी थैलियां बन्द हो जाने से वह आदमी बन जायेंगे। मैं इस भावना का आदर करता हूं। क्या प्रधान मन्त्री अपने मन्त्रियों को भी आदमी बनाने का विचार करेंगी जो इस देश की गरीब जनता की काफी बड़ी राशि प्राप्त कर रहे हैं?

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : 23 वर्षों के बाद भी इन महाराजाओं के दृष्टिकोण और उनके व्यवहार में अभी तक कोई अन्तर नही आया है। हमने वर्ष 1953 में साबलपुर में एक संकल्प पारित किया था कि निजी थैलियां और विशेषाधिकार तुरन्त समाप्त किये जाने चाहिये। परन्तु वह अवसर आज आया है। आज उन्हें निजी थैलियों के रूप में दिये जाने वाले 5 करोड़ रुपये की बात ही नहीं है बल्कि इससे 10 गुना राशि उनके विशेषाधिकारों पर खर्च होती है। अब जनता राजाओं की इन निजी थैलियों को और विशेषाधिकारों को समाप्त कर देना चाहती है और उसके लिये विधान बना रहे हैं। जैसा व्यवहार राजाओं ने जनता के साथ किया था अब वैसा ही व्यवहार उनके साथ जनता कर रही है। इसलिये उन्हें रुष्ट नहीं होना चाहिये।

यह बहुत अच्छी बात है कि वे भी जीवन की मुख्य धारा के साथ मिल जायें। पहले भी अंग्रेजों ने अपने हित में उन्हें महाराजा बना रखा था। जहां कहीं भी गड़बड़ होती थी वे इनके नाम पर कार्यवाही करते थे। ये कभी भी प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं रहे। सरदार पटेल ने उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिये थे परन्तु अब समय बदल गया है। अब उन्हें जनसाधारण के साथ मिलकर रहना होगा अन्यथा चुनाव में उनके मुकाबले में कोई साधारण व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिससे इन महाराजाओं के विशेषाधिकारों का अन्त हो जायेगा और जिससे उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होगा।

पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : श्रीमान आज से ठीक पन्द्रह महीने पहले मैंने इसी प्रकार के विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि विश्व में परिवर्तन का दौर-दौरा है और पुरानी मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। विज्ञान और टेकनोंलोजी इस विश्व का रूप बदल रही है। एक बात निश्चित है कि इस विश्व में परिवर्तन अवश्य आयेगा। इस महान् आम चुनाव ने राष्ट्र को प्रेरित किया है और जनता ने लोकतंत्रीय समाजवाद के द्वारा समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाने के पक्ष में भारी मतदान किया है। मैं इस सभा में और सभा के बाहर भी महाराजाओं से अब अपील करूंगा कि जब एक बार भारत की जनता ने निर्णय दे दिया है तो नरेशों को अपनी समृद्धि और देशभक्तिपूर्ण पृष्ठभूमि के होते हुए शिष्टाचार के साथ इस निर्णय को तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिये। उन्हें यह निर्णय स्वीकार तो करना ही पड़ेगा परन्तु मैं कहता हूं कि वे इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि वे बुद्धिमान और शिक्षित लोग हैं।

विश्व का प्रत्येक देश सामन्तवाद के युग से गुजरा है। परन्तु यह बात अद्वितीय है कि जनता की सहमति से 20 वर्ष तक यहां के महाराजा विशेषाधिकार और निजी थैलियां प्राप्त करते रहे हैं। परन्तु जब आज जनता ने यह निर्णय दे दिया है तो इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। इन 20 वर्षों में उन्हें अपने आपको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बना लेना चाहिये। मैं स्वयं एक महाराजा के परिवार का हूं। परन्तु मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे स्वतन्त्र राष्ट्र के स्वतन्त्र नागरिक बनें। उनका यह सबसे बड़ा विशेषाधिकार होगा। अब हमें यह नहीं देखना है कि किसी व्यक्ति के पास क्या है बल्कि अब यह देखा जायेगा कि वह व्यक्ति स्वयं क्या है। किसी की उपाधियां नहीं देखी जायेंगी, उसका गुणदोष देखा जायेगा कि उसने समाज की कितनी सेवा की है। इस प्रकार की नई विचारधारा से ही हम देश में नया भारत बना सकेंगे। मेरे विचार में यह विधेयक इस प्रकार के नये समाज को बनाने के लिए एक छोटा परन्तु महत्वपूर्ण प्रयास है।

श्री फतह सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : मैं व्यक्तिगत रूप से डा० कर्ण सिंह के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। जब कांग्रेस दल एक था और उन्होंने यह निर्णय लिया था कि राजाओं के विशेषाधिकारों

और निजी थैलियों को समाप्त कर दिया जाये तब हमें धक्का लगा था। आज से 22 वर्ष पूर्व हमने सरकार के साथ एक करार किया था और उस करार को करने वाले लोगों में अब भी कुछ लोग जीवित हैं, तब हमें भारतीय स्वतन्त्रता के सह-निर्माता बताया कहा गया था और आज हमें अराजकतावादी, देशद्रोही और प्रतिक्रियावादी और समाज की प्रगति में बाधक कहा जा रहा है। सरकार का एक पक्षीय और मनमर्जी से किया गया निर्णय हमें वर्ष 1968 में बताया गया था। हमने उसी समय सरकार से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने को कहा था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। सरकार ने हमें अपने विचार प्रस्तुत करने तक का अवसर नहीं दिया बाद में भी जब सरकार से बातचीत की गई तो हमें यही बताया गया कि हम सिद्धान्त रूप में इस निर्णय को स्वीकार कर लें और हमें संक्रमणकालीन भत्ता दिया जाये। परन्तु यह नहीं बताया गया कि वह भत्ता कितना होगा। जनता में यह भावना पैदा की जा रही है कि राजाओं को कुछ भुगतान की पेशकश की गई थी परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया है। पहले तो हमें कोई ठोस योजना बताई ही नहीं गई अतः उस योजना के प्रति हमारे रवैये का अब प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जहां तक हमें पता है सरकार मुआवजे और संक्रमणकालीन भत्ते की बात करती रही है परन्तु उसने यह कभी नहीं बताया कि अच्छी राशि कितनी होगी। सरकार ने किसी भी अवस्था में हमारी कठिनाइयों को समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया। फिर यह भी समझना चाहिये कि इस विधेयक के पास होने से बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी ।

इस स्थिति के लिये हम स्वयं दोषी हैं। हममें से अच्छे नेता, अच्छे योद्धा आदि तो बने परन्तु हम अच्छे व्यापारी नहीं बन सके। यदि हम सरदार पटेल और भारतीय संविधान निर्माताओं की बात स्वीकार न करते तो आज हमारी यह स्थिति न होती जो आज है। हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है।

हम इस बात को महसूस करते हैं कि देश कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है और हमारा भविष्य इतना उज्ज्वल नहीं है जितने की हम आशा करते हैं। मेरी केवल इतनी अपील है कि हमें भारतीय समझा जाये। भारतीय इतिहास में चाहे वह अतीत का हो या भविष्य का, हमें समान भागीदार समझा जाना चाहिये और हममें से कुछ की जो विशेषताएं हैं, उनका उपयोग राष्ट्र के लाभ के लिये किया जाना चाहिये और हमारे साथ न्याय किया जाना चाहिये।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : श्रीमान मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वर्ष 1967 में निजी थैलियां समाप्त करने के सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया था। वर्ष 1969 में राज्य सभा ने इसी उद्देश्य से एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया था। वर्ष 1970 में शासक दल ने इसी आशय का एक संविधान संशोधन विधेयक भी सभा में प्रस्तुत किया था जो लोक सभा में पास हो गया था। परन्तु संवैधानिक अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण वह राज्य सभा में पारित न हो सका। अब फिर यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूतपूर्व शासकों को दी जाने वाली निजी थैलियों से सम्बन्धित अनुच्छेद 291 और 262 हटाने और उसके स्थान पर अनुच्छेद 366 के खण्ड 22 को प्रतिस्थापित करने की भी व्यवस्था है। भूतपूर्व शासकों को मकान कर, आय-कर, सीमा-शुल्क आदि से छूट दे दी गई है। निजी थैलियों के अतिरिक्त उन्हें कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। कानून सब के लिये समान है और उसे लागू करने में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाना चाहिये।

मैं डा० कर्ण सिंह को बधाई देता हूं जिन्होंने स्वेच्छा से निजी थैली, का परित्याग कर दिया

है और उसे समाप्त करने के लिये कहा है । मुझे आशा है कि अन्य भूतपूर्व शासक भी इसी प्रकार के विचार प्रदर्शित करेंगे जिससे उनके त्याग को सही रूप में समझा जायेगा

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि इससे हमारे समाज में अन्याय को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है और इससे सामन्तवाद का अन्तिम निशान भी नष्ट हो जाएगा । संविधान के 24वें, 25वें और 26वें संशोधन में अर्थात् तीनों संशोधनों में एक कड़ी दिखाई देती है । 24वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद् को सर्वोपरि रखा गया है जब कि 25वें संशोधन द्वारा सामाजिक, आर्थिक सुधारों के मार्ग में आने वाली "मुआवजा" देने की बाधा को दूर किया गया है । अब 26वां संशोधन विधेयक इस उद्देश्य से सभा में पेश किया गया है कि उच्चतम न्यायालय में निजी थैलियों को सम्पत्ति मानने तथा उनको समाप्त करने के बारे में उसको संविधान का उल्लंघन मानने के निर्णय का कोई असर न पड़े ।

ये रियासतें इन राजाओं को स्वतन्त्रता संग्राम में ब्रिटिशवासियों का साथ देने के विश्वासघात के कार्य के एवज में दी गई थीं । और अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन रियासतों को समाप्त करने में निजी थैलियां उनको दी गई हैं । पर अब उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

यह भी कहा गया है कि समझौतों का उल्लंघन किया जा रहा है । पर मैं यह बताना चाहता हूं कि फ्रांस में भी ऐसी ही स्थिति में सभी समझौतों को समाप्त कर दिया गया था ।

कुछ सदस्यों ने यह बात भी उठाई कि इन थैलियों के बन्द करने से कितना धन मिलेगा । निजी थैलियों को बन्द करने के पीछे मुख्य उद्देश्य धन की बचत नहीं है वरन् जनता में आर्थिक समानता लाना है । सामाजिक दृष्टिकोण से भी इन थैलियों और विशेषाधिकारों का बन्द किया जाना मैं आवश्यक समझता हूं ।

देश के प्रत्येक नागरिक जैसे किसान, व्यवसायी, श्रमिक, अमीर-गरीब सबको कर देना पड़ता है पर नरेशों को निजी थैलियों पर कोई कर नहीं देना पड़ता है । यह कहां की समानता है । जहां सबके लिये समान कानून नागरिकता के अधिकार तथा समान मापदण्ड हो वहां से इस प्रकार की असमानता को समूल रूप से नष्ट कर दिया जाना चाहिए ।

स्वेच्छा से निजी थैलियां छोड़ने की बात कही गई है । डा० कर्ण सिंह ने अपने भाषण में बताया कि उन्होंने स्वेच्छा से निजी थैली छोड़ दी है । पर ऐसा करने वाले कितने नरेश हैं ।

मेरे जैसे समाजवादी को इस विधेयक का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं हैं भले ही यह सत्ताधारी दल की ओर से प्रस्तुत किया गया है । परन्तु इसके साथ ही मैं यह चेतावनी देता हूं कि नरेशों के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को समान कर राजनीतिज्ञों के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का निर्माण न किया जाये ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : इस कानून का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । इसके सम्बन्ध में अधिक कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है । अपने प्रारम्भिक भाषण में प्रधान मंत्री ने कहा था कि पिछली लोक सभा में इस विधेयक को भारी बहुमत मिला था, पर राज्य सभा में वह एक मत से पारित होने से रह गया क्योंकि उस समय कुछ दलों ने नकारात्मक रुख अपनाया

था। फिर न्यायालय में ले जाया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुकूल बनाने के लिये यह विधान सभा के विचाराधीन है। एक बात पूर्णतः स्पष्ट है कि न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जनता का निर्णय सदैव इस विधेयक के पक्ष में रहा है।

यहां एक बड़े ही संतोष की बात है कि सभा के बहुत से सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है। पर कुछ सदस्यों ने उसका विरोध भी किया है। श्री जगन्नाथ राव जोशी ने कहा कि मैं इस बिल का समर्थन इस कारण नहीं कर सकता क्योंकि सरकार ने अब तक बहुत से गलत काम किए हैं, वह निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा अभी तक लागू नहीं कर सकी है। यह बड़े ही ढीले-ढाले तर्क हैं। तथ्य यह है कि वे लोगों को यह बताना चाहते है कि वैसे तो वे विधेयक के पक्ष में थे पर इन एक दो कारणों से उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। उन्होंने एक तर्क यह भी दिया कि निजी थैलियों से राजकीय कोष पर केवल 4 या 5 करोड़ रुपये का भार पड़ता है। पर हम इसके महत्व को रुपये पैसे में नहीं गिनते हैं इसका सामाजिक, नैतिक और मानवीय महत्व भी है जो भौतिक महत्व से कहीं ऊंचा है। इन दो तर्कहीन बातों के अतिरिक्त उन्होंने कोई तीसरी बात नहीं कही है।

विधेयक का समर्थन करते हुए श्री मिश्र ने उसमें कुछ वैधानिक कमजोरियों का उल्लेख भी किया है। उन्होंने कहा है कि यदि हम उसमें किसी नाममात्र राशि का उल्लेख कर देते हैं तो यह संशोधित अनुच्छेद—31 (2) के अनुरूप ही हो जाता। पर हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक संसद् को संविधान के किसी भी उपबन्ध को संशोधित करने का अधिकार है तब तक वर्तमान विधेयक न्यायिक जांच से अवश्य दूर रहेगा। हमें इसके सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है।

श्री एंथनी ने बताया है कि सरकार ने कुछ धन की अदायगी की बात कही थी। उसका क्या हुआ। मुझे लगता है कि श्री एंथनी समय को नहीं पहचानते हैं। अब वह स्थिति नहीं, रही क्योंकि हमने इसी को आधार बना कर जनता का सामना किया था तथा उसने हमें यहां बहुमत दिलाया है। श्री एंथनी कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं उनसे यही कह सकता हूं कि वे एक बार चुनाव लड़ कर तो देखें।

महाराजा बड़ौदा ने लिखित वायदों की याद दिलाई। इस बात पर पहले भी कई बार बहुत कुछ कहा जा चुका है। पर एक वचन एक बार दिये जाने पर पीढ़ी दर पीढ़ी मान्य नहीं हो सकता। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि रीति रिवाज बदल गये हैं, आदतें बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं तथा इसके भी ऊपर लोगों की उन्नति करने की इच्छा जाग्रत हो गई है जो कि एक लोकतंत्र देश की जनता के मन में जागनी चाहिए।

यह विधेयक किसी एक विशेष नरेश पर लागू नहीं होता और न ही इसमें किसी विशेष नरेश के प्रति दुर्भावना है। यह तो उस राजसी व्यवस्था के विरुद्ध है जो कि वर्तमान परिस्थितियों में अनुचित है। जो निकाय समाज के लिये कुछ नहीं करता उसे कैसे सहन किया जा सकता है।

कुछ सदस्यों ने छोटे नरेशों को मुआवजा देने की बात कही है। विधेयक में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि छोटे नरेशों के प्रश्न को ध्यान में रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The motion was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 373 विपक्ष में 7

Ayes 373 Noes 7

यह प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

The Motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 के लिये कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 374 : विपक्ष में

Ayes 374 : Noes

यह प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

The Motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 (भारतीय देशी रियासतों के शासकों को दी गई मान्यता को समाप्त करना तथा निजी थैलियों को समाप्त किया जाना

श्री मनोरंजन हाजरा : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं। मैं नरेशों को मुआवजा दिये जाने का विरोधी हूं। मेरा कहना है कि यदि कोई मुआवजा दिया जाता है तो वह उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो उन नरेशों के यहां काम करते थे और अब बेकार हो जायेंगे।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य के संशोधन का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय ने संशोधन संख्या 8 सभा में मतदान के लिये रखा और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 373 : विपक्ष में 7

Ayes 373 : Noes 7

यह प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

The Motion is carried by a majority of the Total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 4 के लिये कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 373 : विपक्ष में 7

Ayes 373 : Noes 7

यह प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

The Motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4 added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 1, the enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों को समाप्त करने का विचार सत्ताधारी कांग्रेस की अपनी बुद्धि की उपज नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है जबकि आज से 10 वर्ष पहले मैंने इस सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की सूचना दी थी। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में यह बताया गया है कि नरेशों को सरकार से निजी थैली के रूप में धन मिलता है, इसलिये इन्हें संसद् या विधान मण्डल का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जाना चाहिए।

वाद-विवाद का उत्तर देते हुए तत्कालीन विधि मंत्री ने कहा था कि हम कुछ नरेशों को किसी प्रकार का संक्रमणकालीन भत्ता देने का अभी भी विचार कर रहे हैं। यदि सरकार ऐसा करती है तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं, पर इसके सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट रूप से सभा में बताना चाहिए। नरेश इसके बिना अधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि वह एक दान होगा जो एक मौका परस्त राजनीतिक लाभ के लिए दिया जायेगा।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : इस विधेयक के विरुद्ध मंत्री गांधीवादी आत्मा विद्रोह कर रही है।

यदि नरेश संविदों और करारों से सहमत न होते तो आज कई हैदराबाद और जूनागढ़ बन गये होते। निजी थैलियों की समाप्ति से देश को कुछ अधिक नहीं मिल जायेगा। मैं समझता हूं कि यदि यह विधेयक न भी लाया जाता तो भी यह कभी अपने आप ही समाप्त हो जाता। इन पवित्र संविदों और प्रतिज्ञाओं को तोड़ने से कोई व्यक्ति ऐसे पवित्र अवसरों पर सरकार का विश्वास नहीं करेगा।

नैतिक सिद्धान्त पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा-पूर्व) : हमारे दल ने पहले ही इस विधेयक का समर्थन किया है। मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमती गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार ने पहले जो त्रुटियां की थीं, उनमें से आधी त्रुत्रियां अब ठीक कर दी गई हैं।

मुझे खेद है कि सरकार विशेषाधिकार और मुआवजे के बारे में बिल्कुल चुप है। इसका यह अर्थ निकलता है कि और बातचीत का रास्ता खुला है। सरकार को स्पष्टरूप से बताना चाहिये कि भूतपूर्व नरेशों को कोई सामयिक मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं न तो प्रधान मंत्री को और न ही सत्तारूढ़ दल को बधाई देता हूं परन्तु सभा के सदस्य होने के नाते स्वयं को ही बधाई देता हूं।

जो प्रतिज्ञायें और वचन किये गये थे, उनके बारे में बताया गया है परन्तु आज विश्व में बहुत परिवर्तन आ गया है, इसको भी समझा जाना चाहिए।

जिस विश्व में पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान का भाग था, वह आज बांगला देश बन गया है। यह निर्णय अच्छे के लिये हुआ है। हमारे पूर्वजों द्वारा भूतपूर्व नरेशों को जो वचन दिये गये थे, उन्हें हम मानने के लिये अब बाध्य नहीं हैं। युवा पीढ़ी इन वचनों की पक्षपाती नहीं थी, अतः हम इन वचनों को नहीं मानते हैं।

अब नरेशों को चाहिये कि वे इस निर्णय को स्वीकार करें, यदि न करें तो उन्हें इसे सम्मान-पूर्वक स्वीकार करना होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि नरेशों ने देशभक्त और बहादुर पैदा किये हैं, क्या मैं उन्हें जरमनीदास द्वारा लिखित पुस्तक का स्मरण कराऊं जिसमें लिखा गया है कि उन्होंने कुछ और ही किया था। उन्हें जितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई थी, वह उनसे भूतलक्षी प्रभाव से वापस ली जानी चाहिये।

कुछ लोग छोटे और बड़े नरेशों की बात करते हैं परन्तु जिन्होंने भी गरीब लोगों को हानि में रख कर निजी थैलियां स्वीकार की हैं, उन्होंने पाप किया है और आज वे सम्पत्ति की बातें करते हैं। उन सब की सम्पत्ति नियंत्रण में ले लेनी चाहिये और महलों को शिक्षण संस्थानों के रूप में बदल दिया जाना चाहिये।

इन महाराजाओं के कारण विदेशों में भी भारत का नाम अनादर से लिया जाता है। अतः अब समय आ गया है जब इस देश को हमारे रहने के लिये सुरक्षित बनाया जाना चाहिये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : After independence we used to demonstrate in the streets demanding the end of privy purses and privileges. Prof. S. L. Saksena has tried to make a slur on the name of Gandhiji by saying that Gandhiji would not have allowed the end of privy purses.

I am sorry to some extent to note that my friends were princes only upto the passage of this Bill. They talk of property. But whose property ? At whose cost these palaces were constructed ? I was sorry to listen that these princes could not be tried in court, for they were privileged, whether their car might have run over a poor boy. But this Bill is a foot forward for the socialism, I do not know it will be achieved or not. After twenty years of independence, this Bill was brought forward but the Supreme Court upheld it. But the people, who have been exploited for thousands of years, have now succeeded.

No compensation should be given to the ex-rulers and if it is given, the opinion of the House must be taken. I would like to say that now the time has come when these princes have come to an end.

श्री एच० आर० गोखले : उस तरफ के एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस विधेयक में नरेशों के विशेषाधिकार, सम्मान और अन्य अधिकारों के बारे में कहा नहीं गया है । उन्होंने यह नहीं देखा कि विधेयक का खंड (2) विशेष रूप से अनुच्छेद 362 को हटाने के लिये है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 381 : विपक्ष में 6

Ayes 381 : Noes 6

यह प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

The Motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the member present and voting.

The motion was adopted

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आयुध (संशोधन) विधेयक

ARMS (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हू : "कि आयुध अधिनियम, 1959 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 2 (एक) (घ) में दी गई "जिला मजिस्ट्रेट" की परिभाषा के अनुसार उस अधिनियम के अन्तर्गत केवल प्रेसीडेंसी टउन अथवा हैदराबाद शहर का पुलिस आयुक्त

ही जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वर्तमान व्यवस्था में इस अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अतः ऐसे पुलिस आयुक्तों को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने को सक्षम बनाने के लिये अधिनियम की धारा 2 (एक) (घ) में जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा में उचित ढंग से संशोधन करना आवश्यक समझा गया है। बड़े शहरों में पुलिस के उप-आयुक्तों को इस अधिनियम के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सक्षम बनाने के लिये राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करने का इसमें प्रस्ताव किया गया है ताकि वह किसी पुलिस के उप-आयुक्त को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त कर सके।

यह छोटा सा विधेयक है जिसके उद्देश्य सीमित हैं और मेरे विचार से इस पर कोई विवाद नहीं होगा। इस पर विचार करने और इसे पारित करने के लिये मैं सभा से अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आयुध अधिनियम, 1959 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : केन्द्रीय सरकार अपना कर्तव्य निभाने में पूर्ण रूप से असफल हुई है। आयुध अधिनियम को उन व्यक्तियों पर लागू किया जाता है, जिन्हें गैर-अपराधी कहा जाता है।

पश्चिम बंगाल में बम की सप्लाई में कोई कमी नहीं है और पोटेशियम क्लोराइड भी बिना किसी कष्ट के मिल जाती है।

विस्फोटक पदार्थों के क्रय-विक्रय तथा वितरण पर नियन्त्रण करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है किन्तु वे जान-बूझ कर इस बारे में मौन साधे हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं।

पोटेशियम क्लोराइड मद्रास और महाराष्ट्र से आता है...

अध्यक्ष महोदय : विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है, आप इसके क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। मुख्य अधिनियम पर चर्चा नहीं हो रही है, उस अधिनियम के संशोधन पर चर्चा हो रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया धैर्य पूर्वक सुनिये। सरकार विधेयक के बाद विधेयक लाती है परन्तु मूल अधिनियम का प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये करती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या पोटेशियम क्लोराइड इस विधेयक के अन्तर्गत आता है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह उस विषय के बाहर है।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक का क्षेत्र सीमित है। किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट के स्थान पर पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जिला मजिस्ट्रेट किस प्रकार कार्य कर रहा है ? सरकार शक्तियों का और प्रत्यायोजन करना चाहती है। इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी। इस समय जो कानून हैं, उनका प्रयोग वे अपने उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं।

ये विस्फोटक पदार्थ महाराष्ट्र तथा मद्रास में उत्पन्न होते हैं तथा आयात भी किए जाते हैं। रेल से भी यह विस्फोटक पदार्थ आता है जिस पर केन्द्र का नियन्त्रण है। यह विस्फोटक तटीय स्टीमरों द्वारा आयात होता है, जिन पर केन्द्र का नियन्त्रण है तथा सड़कों से भी आता है। इस मामले में बहुत कम लोगों को अब तक पकड़ा गया है और कलकत्ता में तथा-कथित उग्रवादियों को हथियार गोला बारूद तथा विस्फोटक पदार्थ निशुल्क सप्लाई किया गया है। हमने देख लिया है कि किस प्रकार सरकारी अधिकारियों के अपने ही घरों में उग्रवादी पकड़े गए हैं।

गोला-बारूद के बारे में सरकार छोटे निर्माताओं के बारे में बातचीत करती रहती है कि छोटे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अन्तर्गत पुलिस की हथियार बनाने वाले व्यक्तियों के साथ सांठ गांठ रहती है। सरकार विद्यमान शक्तियों के प्रयोग करने में कितनी असफल हुई है जो शक्तियां आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दी गई हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय मैं समझता हूं कि समूचे आयुध अधिनियम पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

***श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट): आयुध अधिनियम पास करने के 13 वर्ष पश्चात् यह संशोधन लाया गया है। इससे केवल यही प्रतीत होता है कि सरकार घटनाओं की परिकल्पना नहीं कर सकी है।

आखिरकार सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस के उपायुक्तों तथा पुलिस के आयुक्तों को भी मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने की आवश्यकता समझती है।

हमारी सीमाओं पर गम्भीर स्थिति पर विचार करते हुए शस्त्रास्त्रों को रखने वालों के लिए लाइसेन्स देने के प्रतिबन्ध में शिथिलता करना आवश्यक है।

ऐसे आवश्यक संशोधनों के लाने में विलम्ब से अवांछनीय परिणाम निकलते हैं। इस प्रस्तावित संशोधन द्वारा पुलिस उपायुक्तों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जा रही हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अब तक इस अधिनियम को लागू किए जाने में शिथिलता होती रही है।

अध्यक्ष महोदय: विधेयक सरल सा है और 'जिला मजिस्ट्रेट' की परिभाषा में संशोधन किया गया है।

श्री सी० चित्तिबाबू: क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब मद्रास के मुख्य मंत्री किसी निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे, उनके सामने बम फेंका गया। उन लोगों के पास बम कहां से आया?

अध्यक्ष महोदय: जब सामान्य आयुध अधिनियम पर चर्चा हो तब माननीय सदस्य यह सब बातें पूछ सकते हैं।

श्री सी० चित्तिबाबू: यदि स्थानीय पुलिस उपायुक्तों को पहले ही पूरी शक्तियां दी गई होतीं तो वे बिना लाइसेंस शस्त्रास्त्रों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कठोर सतर्कता बरत सकते थे।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

राज्य सरकारों को प्रभावी ढंग से और शीघ्रता पूर्वक शक्तियों का उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को आवश्यक विस्तृत संशोधन शीघ्र लाने चाहिए।

Shri Bhogendra Jha : (Jainagar) : Though this is five line Bill yet I welcome it.

It is seen that licences for possessing arms are issued to capitalists, rich persons and monopolists. They misuse their arms against the poor and working-class. Recently twenty persons were shot dead at Purnea.

During the elections guns are used. Those who possess guns, do not allow the voters to caste their votes freely and independently. They prevent them from going to polling-booths. I would request the Government to review its licencing policy. The present licencing policy calls for a change. I strongly feel that licences should not be given on the basis of status and property but on the basis of necessity of the common man.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Mr. Speaker, Sir, I do not oppose the Bill or the proposed amendment but I want to draw the attention of the House towards difficulties which are likely to arise by this legislation. My very first submission is that muzzle loading guns should be exempted from the purview of the Arms Act. Most of the guns are used by the tribals. These people have to travel a distance of twenty to thirty miles to reach the headquarters of the district to get their licence renewed. They have to face difficulties in getting their licences renewed.

Secondly, I would like to add that it is difficult for the tribals to affix photograph to their licences. They have to spend more money and time in doing so. Therefore, I would request the hon. Minister that tribal people should be exempted from the affixing of photographs on their licences.

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : श्रीमान जी, यह कहना ठीक ही है कि प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है और इसमें केवल जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा में ही परिवर्तन किया गया है।

चर्चा के दौरान विभिन्न प्रश्नों को उठाया गया है जिनमें से एक यह भी है कि नाल मुख बन्दूकों का प्रयोग किसानों द्वारा फसलों तथा पशुओं की अन्य जन्तुओं से रक्षा करने के लिये किया जाता है। इन लोगों को अपने लाइसेन्स का नवीकरण करवाने में काफी कठिनाई होती है। परन्तु इसके साथ ही इस समस्या का दूसरा पहलू भी हमारे समक्ष आता है। आज देश में विधि और न्याय की जो स्थिति है, उसे दृष्टिगत रखते यह आवश्यक समझा गया है कि नालीमुख बन्दूकों को भी आयुध अधिनियम के क्षेत्राधिकार में रखा जाये। हाल ही में कई बार सदस्यों द्वारा यह आरोप भी लगाए गए हैं कि उदारता पूर्वक लाइसेंस जारी किए जाने के कारण, वन्य जन्तुओं की अन्धाधुन्ध हत्या कर दी गई है।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री की हत्या के षडयन्त्र के बारे में उल्लेख किया गया है। श्री भोगेन्द्र झा ने शिकायत की है कि यह लाइसेंस केवल धनी व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आयुध अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों को क्रियान्वित करने की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति के पूर्वइतिहास की जांच के बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। उचित जांच के बाद ही वह अपने स्वविवेक से काम लेता है। उनका यह कहना ठीक नहीं है। कि केवल भूमि और सम्पत्ति के आधार पर ही लाइसेंस दिए जाते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने का हक तो प्रत्येक ऐसे किसान तथा मजदूर को है जो कि नियमों के उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। इसके बारे में अगर उसे कोई कठिनाई होती है तो वह राज्य

सरकार के अधिकारियों को बता सकता है। (व्यवधान) तात्पर्य यह है कि इस अधिनियम को लागू करने की सारी जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट की होती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयुध अधिनियम, 1959 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र और विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Speaker Sir, the Bill provides for granting more powers to District Magistrates and other officers for the issue of Arms Licences. In this connection I would like to say that after the general Elections of 1967, I recommended the name of one of my supporters for Arms Licence. Besides my recommendation, his application was recommended by eight Congress M. L. As. But uptill now licence has not been granted to that person inspite of the fact that I had written personal letters to district magistrates from time to time. The only fault of the applicant was that I did not permit him to bribe either the police or the District Magistrate. Now I have permitted that applicant to bribe the persons concerned and now his name has been recommended for Arms Licence. That is how our laws are being implemented ? May I know whether the Government will enquire into the matter and bring the culprit to book ?

Shri Ram Niwas Mirdha : State Government or the District authorities have been given the right to issue licences under Arms Act. I think this is quite justified. Does the hon. Member desire that power should not be given to District Authorities ?

Shri Ramavatar Shastri : Something should be done to check the misuse of powers.

Shri Ram Niwas Mirdha : It is within the powers of the State Government.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अभी दस मिनट का समय शेष है, तब तक हम अगले विधेयक पर विचार कर लें।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं यह बताना चाहता हूं भारत के अगरतला में आज हवाई हमला किया गया है। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को उठाने के लिए यह उचित समय नहीं है। मैं आपकी बात प्रधान मन्त्री तक पहुंचा दूंगा।

वायु निगम (संशोधन) विधेयक

AIR CORPORATION (AMENDMENT) BILL

विचार करने का प्रस्ताव—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वायु निगम अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है वायु निगम अधिनियम पहले 1953 में पारित किया गया था और फिर 1962 में केवल एक बार इसमें संशोधन किया गया था। गत दस वर्षों में निगमों के कार्य संचालन में हुये अनुभव और प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन को देखते हुये हमने यह महसूस किया है कि इस अधिनियम में काफी सुधार और संशोधन की आवश्यकता है।

वर्तमान अधिनियम के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो यह कि इन वायु निगमों के निदेशक मण्डल में सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 कर देने का है। हम महसूस करते हैं कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या अधिक होनी चाहिये और साथ ही जो लोग बहुत समय से उपक्रम में कार्य कर रहे हैं, उन्हें उपक्रम के सदस्य बनने का अवसर दिया जाना चाहिये।

इस अधिनियम का दूसरा उद्देश्य एक सहायक निगम की व्यवस्था करना है। गत दस वर्षों में विश्व में एक नई प्रवृति पैदा हो गई है। सभी बड़ी-बड़ी वायु कम्पनियां अब होटल कार्य भी करने लगी हैं और यह है भी ठीक, क्योंकि पर्यटन और वायु परिवहन के बीच परस्पर सम्बन्ध है। अतः इन परिवर्तित परिस्थितियों के सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि एयर इंडिया को भी होटल व्यापार का कार्य आरम्भ करना चाहिये क्योंकि वह इस क्षेत्र में गत 17-18 वर्षों से कार्य कर रही है। इसके साथ ही एयर इण्डिया चार्टर कम्पनी की स्थापना करने की व्यवस्था भी है। आज अन्तर्राष्ट्रीय वायु भाड़े में काफी गम्भीर स्थिति है और अपने हितों की सुरक्षा के लिए हमें एक चार्टर कम्पनी की स्थापना करनी ही चाहिये, अतः इस विधेयक का दूसरा प्रयोजन यह है कि सहायक निगम स्थापित किये जायें जिससे कि समूचा स्वामित्व मूल कम्पनियों का ही हो।

तीसरी बात इस सन्दर्भ में मुझे यह कहनी है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये हम इन निगमों के स्वायत्त कार्यचालन को सुदृढ़ कर रहे हैं ताकि वह अधिक व्यय कर सके। पहले उन्हें 15 लाख रुपये व्यय करने की अनुमति प्राप्त थी। अब चूंकि मूल्य में काफी कमी हो गई है और दूसरी ओर वायु व्यापार में काफी वृद्धि हुई है, अतः हम इस राशि को 40 लाख तक बढ़ा रहे हैं।

एक दो छोटी छोटी बातें और भी हैं। पहले एक सलाहकार समिति हुआ करती थी, परन्तु उसने कभी कोई उपयोगी कार्य नहीं किया था। जब कि हमारे पास मंत्रालय से सम्बन्धित परामर्श-दात्री समिति है और साथ ही एक बड़ा निदेशक मण्डल है, तो हम एक अन्य सलाहकार समिति को बनाना आवश्यक नहीं समझते। निगम के विनियमन के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा गया है, उसमें भी छूट दी जा रही है।

दूसरे शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान विधेयक का उद्देश्य वायु निगमों में अत्यावश्यक अपेक्षित संशोधन कर उन्हें नवीनतम रूप देना है। वैसे यह विधेयक दो बार राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है और अब मैं इस लाभकारी विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : केवल तीन मिनट शेष रह गये हैं। अब आपकी अनुमति से मैं सभा स्थगित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1971/12 अग्रहायण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 3, 1971/Agrahayana 12, 1893 (Saka).

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—18-1-72—490